खण्ड-207, अंक-6
सोमवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(7 सितम्बर, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ७ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७२

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारात चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस',श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाँडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभानाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथभार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्री
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ७ सितम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिका कमचारियों को पेन्शन देने के सम्बन्ध में सम्मति

**१--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने नगरपालिकाओं से अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के सम्बन्ध में सम्मति मांगी है ? यदि हां, तो क्या वह जिन-जिन नगरपालिकाओं ने पक्ष व विपक्ष में सम्मति दी है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--जी हां । अभी तक केवल २५ नगरपालिकाओं की सम्मतियां प्राप्त हुई हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ--५३७ पर)

**२--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त सम्मति केवल नगरपालिकाओं से अथवा टाउन एरिया व नोटीफाइड एरियाओं से भी मांगी गई है ?

श्री जयराम वर्मा--केवल नगरपालिकाओं से मांगी गई है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नगरपालिकाएं उनकी उक्त योजना को कार्यान्वित करेंगी उनको वह क्या कोई आर्थिक सहायता देंगे ? अगर हां, तो किस अंश में ?

श्री जयराम वर्मा--जी नहीं ।

तारांकित प्रश्न

सहकारी मुर्गी पालन फार्म, सैदपुर

*१--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सहकारी मुर्गीपालन फार्म हैं, तथा उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)--उत्तर प्रदेश में केवल एक सहकारी मुर्गी पालन फार्म सैदपुर जिला बुलन्दशहर में है। इस फार्म को चलाने के लिये उक्त संस्था ही स्वयं देखभाल करती है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सैदपुर में जो सहकारी मुर्गी पालन फार्म है उसके लिये सरकार ने कुछ सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--सैदपुर फार्म के लिये २ हजार रुपये की आर्थिक सहायता पशुपालन विभाग द्वारा दी गयी है ?

श्री गनेशचन्द्र काछी--ऐसे फार्म अन्य जिलों में अब तक क्यों नहीं खोले जा सके हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--सरकार की ओर से कोई फार्म नहीं खोला जाता है। सहकारी फार्म जो लोग खोलते हैं उनको हम कुछ सहायता के रूप में दिया करते हैं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गंजरिया फार्म में जो मुर्गी पालन केन्द्र था वह कब से बन्द कर दिया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--गंजरिया में सरकारी फार्म है, सहकारी फार्म कोई नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--सैदपुर फार्म को जो सहायता दी जाती है है वह कब से दी जा रही है और क्या सरकार इस बात की भी देखभाल रखती है कि उसका सदुपयोग हो रहा है और उससे कोई लाभ हो रहा है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--यह सहायता सन् १९५८-५९ में दी गयी थी और यह देखभाल की जाती है कि जो रुपया दिया गया है उसका ठीक-ठीक उपयोग हो और उसकी रिपोर्ट मंगायी जाती है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--यह फार्म घाटे पर चल रहा है या नफे पर ?

श्री मोहनलाल गौतम--सहकारी फार्म घाटे में चल रहा है या मुनाफे में इससे सहायता देने का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पशुधन तथा पशुधन से उत्पादित वस्तुओं के विक्रय-केन्द्र

*२--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी पशुधन तथा पशुधन से उत्पादित वस्तुओं के क्रय-विक्रय केन्द्र हैं और कहां-कहां ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका 'अ' तथा 'ब' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३८-५४० पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी--सूची में जो केन्द्र हैं उनमें से कितनों में नुकसान हो रहा है और कितनों में फायदा हो रहा है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़े ब्योरे का है यद्यपि हमने उत्तर देने का प्रयास किया है। कोई भी हमारा क्रय-विक्रय केन्द्र विशेष रूप से सूबे भर में केवल क्रय-विक्रय के लिये नहीं है। लेकिन राजकीय यंत्र सज्जित क्षेत्र पर जहां पशु नस्ल सुधार के लिये रखे जाते हैं वहां पर दूध इत्यादि होता है इस कारण से वहां उसका विक्रय होता है। जहां हमारी कुक्कुटशालायें हैं वहां मुर्गियां दी जाती हैं, अंडे दिये जाते हैं। इसी प्रकार से मत्स्य विभाग और पिगरी विभाग हैं विशेष रूप से विक्रय केन्द्र कोई नहीं है। उनमें कितना नुकसान या लाभ होता है, यह बड़े ब्योरे का प्रश्न है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो हर जगह का अलग-अलग ब्योरा बताया जा सकता है। इनकी संख्या ३००-४०० होगी।

"पीपुल" समाचार-पत्र को कोआपरेटिव फेडरेशन से विज्ञापन के लिये प्राप्त धन

*३--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता विभाग द्वारा पीपुल (people) समाचार-पत्र को सन् १९५८ से २८-२-५९ तक कितना धन विज्ञापन के लिये दिया गया ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--कुछ नहीं।

*४--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)--कितना धन उक्त समाचार-पत्र को Co-operative Federation के द्वारा उपरोक्त अवधि में विज्ञापन हेतु दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--७७२ रुपये।

*५--**श्रीमतीराजेन्द्र किशोरी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जो धन विज्ञापन के लिये दिया गया वह सीधे समाचार-पत्र को दिया गया या सूचना विभाग द्वारा गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--उपरोक्त ७७२ रुपये की धनराशि समाचार-पत्र को सीधे दी गयी थी।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सारा रुपया इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट से क्यों नहीं जाता और सहकारिता से देने की क्यों बात की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सहकारिता विभाग के कार्य के लिये सहकारिता विभाग ने दिया।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन कितनी बार दिया गया और रुपये की धनराशि कितनी थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--कुल ५४०२ रुपया दिया गया और ३२ विज्ञापन थे जिनमें से इस पत्र को ३ दिये गये और २९ दूसरे अखबारों को दिये गये।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--इस पत्र से सहकारी मंत्री जी का क्या सम्बन्ध है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके चलाने वालों ने जब रिवाइव किया था उस समय मैं इससे सम्बन्धित था। इस समय कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि यह विज्ञापन पीपुल में ही क्यों दिये गये, दूसरे पत्र में क्यों नहीं दिये गये ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३-५ श्री उमाशंकर शुक्ल ने पूछे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मैं बता चुका हूं कि २९ विज्ञापन दूसरे पत्रों में दिये गये और कुल ३ इस पत्र में दिये गये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी उन कारणों का स्पष्टीकरण करेंगे कि पहले इस अखबार से उनका क्या सम्बन्ध था और अब क्यों सम्बन्ध नहीं रह गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह अखबार १९२४ में लाला लाजपतराय जी ने शुरू किया था। उसके बाद वह बन्द हुआ और पार्टिशन के बाद जब दिल्ली में उनके साथी आये तो उनमें लाला फीरोजचन्द जी ने इस अखबार को लाला जी की यादगार में फिर चलाया। उस पर बहुत सा जब कर्ज हो गया २०,२५ हजार का तो उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी था। फीरोजचन्द जी से इसका कर्ज अदा नहीं हो सका तो उसे मेरे गले मढ़ दिया गया। उस पर अब भी बहुत सा कर्ज है और घाटा है और जो हाथ डालता है तबाह हो जाता है। मेरे अपने दसियों हजार रुपये जाती उसमें खप चुके हैं और जो इस समय चला रहा है वह भी उस में बीसियों हजार रुपया खपा चुका है और मैं चूंकि इस वक्त मंत्री हूं पहले भी जब मैं मंत्री नहीं था, तो भी मैंने अपना सम्बन्ध इस से तोड़ लिया था।

श्री राजनारायण---क्या सरकार पुनः इस बात का स्पष्टीकरण करेगी कि माननीय मंत्री जी उस अखबार से हटाये गये या मंत्री बनने के बाद स्वतः हटे ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि प्रश्न में जिस तरह नियत पर हमला किया गया है यदि उत्तर भी उसी तरह से दिया जायगा तो आप उसकी इजाजत देंगे और उसे रूल आउट नहीं करेंगे। जहांतक मेरा ताल्लुक था, इस पत्र को लाला फीरोज-चन्द जी ने दुबारा चलाया था और वह मेर साथ चलाया था। जो कुछ मैं उस समय सहायता कर सकता था, मैंने की। उन्होंने डाइरेक्टर बनने को कहा, मैं बन गया और मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। जब मैं इधर हुआ तो मैंने उस से अपना सम्बन्ध विच्छेद इसलिये कर लिया कि जो चीजें उसमें छपती हैं....

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते हैं कि आप प्रोप्राइटर की हैसियत से थे या मैनेजर की हैसियत से ?

श्री मोहनलाल गौतम---मेरे मित्र ने इसको चलाया और इसका बहुत सा घाटा मुझे देना पड़ा। १० हजार रुपया मेरी जेब से गया है और इस पत्र से किसी को फायदा नहीं हुआ। जो साहब इस समय चला रहे हैं २० हजार रुपया उनकी जेब से गया है। यह फायदे की चीज नहीं है, गले का सांप है।

श्री राजनारायण---मंत्री जी क्या थे उस अखबार के ?

श्री अध्यक्ष---उनका मतलब है शायद प्रोप्राइटर थे।

केन्द्र से प्राप्त शक्कर का वितरण

*६---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या खाद्य मंत्री को यह जानकारी है कि ३० जून सन् १९५९तक उत्तर प्रदेश में किन-किन शहरों व नगरों को भारत सरकार द्वारा शक्कर का कोटा दिया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने तीन हजार पचास टन और पांच हजार टन चीनी के दो एडहाक कोटे राज्य के कुछ नगरों को दिये जिनकी तालिका संलग्न है और वह चीनी वहां के जिला सहकारी विकास संघों द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से कार्ड होल्डरों को एक सेर प्रति यूनिट प्रतिमाह ०·९७ नये पैसे प्रति सेर के भाव पर बेची गयी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४१ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार ने सिफारिश करते समय केवल चीनी की मांग की थी या यह भी सिफारिश की थी कि तालिका में वितरित किये गये नगरों में चीनी उक्त मात्रा में दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उनका केवल यह कहना था कि जहां भाव बढ़ रहे हैं वहां हमारे द्वारा बांटी जाय तो स्थिति ठीक हो जायगी । कोई एडहाक कोटा किसी नगर का नहीं था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वितरण करते समय जनसंख्या को आधार माना गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जनसंख्या के अतिरिक्त आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार ने जिन नगरों के लिये सिफारिश की थी उनको कोटा दिया गया और कितनों क लिये सिफारिश की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह लिखा-पढ़ी कई बार हुई और आखिर में तय हुआ कि ५० हजार से ऊपर की आबादी के नगरों में दे दी जाय।

*७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[हटा दिया गया।]

*८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*९—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—[हटा दिया गया।]

*१०—**श्री ऊदल**—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*११-१२—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

बिल्वा फार्म की भूमि का क्रय

*१३—**श्री बाबूराम** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि बिल्वा फार्म, जिला बरेली को सरकार ने खरीद लिया है ? यदि हां, तो उसका रकबा क्या है और उसकी क्या कीमत दी गई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां। रकबा ९६.६२ एकड़ है और जमीन ४३,४७९ रुपये में खरीदी गई।

श्री बाबूराम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि किस कार्य के लिये ली गयी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के लिये।

श्री बाबूराम—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह भूमि रेतीली है और खेती के लिये उपयुक्त नहीं है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—सर्वथा उपयुक्त है।

श्री बाबूराम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि के साथ और कोई वस्तु भी खरीदी गयी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी हां। जमीन के साथ मकानात और ट्यूबवेल भी खरीदे गये हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि किस व्यक्ति से खरीदी गयी थी और जमीन किस रेट से खरीदी गयी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह जमीन श्री राजेन्द्रकुमार अग्रवाल, मोहल्ला आलमगीरीगंज, बरेली, से फरवरी, १९५९ को खरीदी गयी थी। इसके अतिरिक्त जो मकानात खरीदे गये वह १०,७०० रुपये के और ट्यूबवेल ९,७५० रुपये का खरीदा गया।

श्री मदन पांड़ेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो फार्म और इसका साज-सामान खरीदा गया इसका मूल्यांकन किस के द्वारा किया गया और किस आधार पर किया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---तरीका इस प्रकार है कि यहां से सरकार द्वारा १७ सितम्बर, १९५८ को हमने एक परिपत्र जारी किया जिसके द्वारा सारे प्रान्त के लिये नियम बना दिया है कि जहां पर भूमि का मूल्य एक्जीबीशन रेट से ज्यादा हो तो वह जमीन केवल ऐग्रीकल्चर के डायरेक्टर नहीं खरीद सकते। उसके लिये हमने एक कमेटी मुकर्रर करदी है जिसमें विकास आयुक्त, माल सचिव, वित्त विभाग के एक अधिकारी, और कृषि संचालक हैं। यह चार सदस्यों की कमेटी छानबीन करके मूल्य अंकित करती है।

*१४---**श्री रघुवीरसिंह** (जिला एटा)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१५---**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

कतिपय डेफिसिट तथा सरप्लस जिले

*१६---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---दिनांक १०-८-५९ के तारांकित प्रश्न १ के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, झांसी और हमीरपुर जिलों में कितने जिले deficit हैं, और कितने surplus ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है कि कौन से जिले सरप्लस और कौन से डेफिसिट हैं। साधारण उत्पादन के आधार पर, पूछे गये जिलों में, निम्नलिखित जिले सरप्लस या डेफिसिट माने गये हैं:---

सरप्लस

१---बांदा, (२) हमीरपुर, (३) झांसी।

डेफिसिट

१---इलाहाबाद, (२) देवरिया, (३) मिर्जापुर, (४) वाराणसी, (५) बलिया।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा, हमीरपुर, झांसी से कितना गल्ला सरकार की स्कीम के मुताबिक सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---लगभग १८ हजार टन के करीब हुआ होगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद, देवरिया, मिर्जापुर, वाराणसी और बलिया से भी, जिन्हें मंत्री जी डेफीसिट मानते हैं, अनाज लिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वहां से नहीं लिया जाता है ।

नैनीताल जिले में पशुधन क्षति के कारण बिना ब्याज तकावी देने की प्रार्थना

*१७---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में नैनीताल जिले में पशुओं में व्याप्त मान रोग के परिणामों के सम्बन्ध सरकार की ओर से जो जांच की कार्यवाही की गई थी उसके अन्तर्गत क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो वह सहायता कब तक दी जायगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है और न अब तक कोई ऐसी सहायता किसी व्यक्ति को दी गई है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि वहां पशुधन की हानि हुई है? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी हां, काफी हानि हुई जिसे दूर करने का प्रयास किया गया। १,०८९ पशु जिला नैनीताल में मरे।

श्री प्रतापसिंह---हानि के लिये क्या प्रयास किया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जैसे ही हमारे पास खबर २३-६-५६ को आई बीमारी को दूर करने के लिये हमने स्टाकमैनों को और वेटेरिनरी सर्जन्स को टीका लगाने के लिये भेजा। ५०, १७८ जानवरों को टीके लगाये गये।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी कोई ऐसी नीति बनाने जा रहे हैं कि पशुधन की हानि को सरकार सहन करे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---तकावी के लिये वे आवेदन-पत्र दे सकते हैं। मिल्च कैटिल के लिये दी जायगी और प्राथमिकता उनको दी जायगी जिनके जानवर मर चुके हैं।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह तकावी बिला सूद के देंगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---सूद लिया जायगा।

श्री उग्रसेन---मुख्य कौन-कौन पशु और कितनी संख्या में मरे, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---नोटिस चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न तो सरकार ने कोई नेशनल इन्श्योरेंस फंड पशुओं के लिये कायम किया है और न बीमे की योजना चलाई है तो क्या सरकार कम से कम इतना करेगी कि पशुओं के मरने पर उनके मालिकों को दी गयी तकावी का सूद न लिया जाय।

श्री कालीचरण अग्रवाल---इस पर विचार किया जायगा।

एसेन्शियल कम्मोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत अनाज अधिग्रहण के लिये आदेश

*१८---**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती) तथा **श्री प्रभुदयाल** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Essential Commodities Act. 1955 की धारा ३ (एफ) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पिछले मई, जून, और जुलाई में होर्डिंग के सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां हुईं और किस-किस जिले में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—Essential Commodities Act, 1955 की धारा ३ (२) (एफ) के अन्तर्गत किसी भी खाद्यान्न के स्टाकिस्ट से गल्ला requisition किया जा सकता है। क्योंकि पिछले मई, जून और जुलाई में इस प्रकार के requisition के आदेश जारी नहीं हुए अतएव उनके उल्लंघन के फलस्वरूप किसी की गिरफ्तारी का भी प्रश्न नहीं उठता।

***१९—श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री प्रभुदयाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन गिरफ्तार व्यक्तियों में प्रत्येक जिले से कितने लोग छोड़ दिये गये और कितने को न्यायालय से सजा मिली ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल धुसिया—एसेंशल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ की धारा ३ (एफ) के अन्तर्गत यू० पी० में रिक्वीजीशन के आदेश किस-किस समय और किन सरकम्सटेंसेज में जारी किये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह आदेश गत वर्ष जारी किये गये थे और उस समय किये जाते हैं जब मालूम हो जाता है कि बाजार में होर्ड किया हुआ गल्ला है और उस समय तीन महीने के औसत भाव पर गल्ला खरीद लिया जाता है।

श्री सोहनलाल धुसिया—क्या पिछले मई, जून और जुलाई के महीनों में अनाज की इतनी मंहगाई नहीं थी और उस समय रिक्वीजीशन का टाइम नहीं आया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, मंडियों में कोई गल्ला नहीं आ रहा था।

बदायूं जिले को एडहाक कोटे से कोयला

***२०—श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले को १ जलाई, १९५८ से ३० जून, १९५९ तक कितनी गाड़ी कोयला एडहाक कोटा से दिया गया और उसमें से कितनी गाड़ी कोयला जिले में आया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बदायूं को १ जुलाई, १९५८ से ३० जून, १९५९ तक ३६५ गाड़ी कोयला एडहाक कोटे से दिया गया जिसमें से २६१ गाड़ी कोयला अभी तक जिले में आया है।

***२१—श्री श्रीकृष्ण गोयल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गाड़ियां किस कोल एजेन्ट के द्वारा मंगवाई गयी थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सर्वश्री प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, कोल मर्चेन्ट तथा कोलियरी एजेन्ट, बदायूं।

लखनऊ जिले के देहाती क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानें खोलने की प्रार्थना

***२२—श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला लखनऊ के देहाती क्षेत्र में सस्ते गल्ले और शक्कर की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला लखनऊ के देहाती क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानों की आवश्यकता फिलहाल नहीं समझी गई। अतः इसकी कोई व्यवस्था उन क्षेत्रों में नहीं की गई। जहां तक शक्कर का प्रश्न है देहाती क्षेत्रों में इसके विक्रय के लिये दूकानें खोल दी गई हैं।

***२३—श्री रामशरण यादव**—देहाती क्षेत्र में ३१ जुलाई, १९५९ तक सस्ते गल्ले व शक्कर की किन-किन स्थानों में और कब से दूकानें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सस्ते गल्ले की दूकानों के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता। ३१ जुलाई, १९५९ तक देहाती क्षेत्रों में शक्कर की दूकानें भी नहीं खुली थीं।

श्री रामशरण यादव---क्या खाद्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो यह जवाब दिया गया है कि फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी यह जवाब किस आधार पर है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---चूंकि मंडियों में देहातों से कोई गल्ला नहीं आया इसके मानी यह हैं कि देहातों में गल्ला रुका हुआ है।

श्री रामशरण यादव---क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि डिस्ट्रिक्ट ऐडवाइजरी फूड कमेटी की सिफारिश है कि लखनऊ के देहातों में पिछले साल फ्लड के वक्त में जो दूकानें खोली गयी थीं उनको जारी किया जाय और दोबारा उनको सप्लाई की जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मेरे पास अभी सिफारिश पहुंची नहीं, लेकिन कीमतों को देखते हुए, हम यह देखते रहते हैं कि कहां दूकानें खोलने की आवश्यकता है या नहीं, चाहे फूड एडवाइजरी कमेटी सिफारिश करे या न करे। अगर आवश्यकता होगी तो खोलेंगे।

चीनी वितरण योजना का कथित विरोध

*२४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया कर बतायेगी कि प्रदेश में चीनी के वितरण के तरीके के विरोध में सरकार के पास विभिन्न व्यापारी संस्थाओं द्वारा स्मृति-पत्र आये हैं? यदि हां, तो कितने और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सरकार की चीनी वितरण योजना के विरोध में अब तक किसी भी व्यापारी संस्था ने स्मृति-पत्र नहीं भेजा है।

*२५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने व्यापारियों को चीनी बेचने के लिये लाइसेन्स प्राप्त हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अब तक इलाहाबाद में चीनी के ४४ लाइसेन्स दिये जा चुके हैं।

*२६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उसने फुटकर चीनी विक्रेताओं का व्यापार चलाने के लिये कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वर्तमान फुटकर चीनी विक्रेताओं का व्यापार चलाने के लिये कोई अलग से योजना नहीं बनाई गयी है।

जौनपुर जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*२७---**श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सरकार की ओर से जुलाई, अगस्त, १९५९ में कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गईं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जुलाई तथा अगस्त, १९५९ में जिले में खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित है :---

	दूकानों की संख्या
जुलाई, १९५९	शून्य
अगस्त, १९५९	१२७
योग ..	१२७

श्री रामसमझावन---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी-कितनी दरख्वास्तें राजनीतिक पीड़ितों, कोआपरेटिव सोसाइटीज, हरिजनों और बैकवर्ड की आयीं और कितनी-कितनी स्वीकृत हुयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह प्रबंध जिले के स्तर पर होता है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी दूकानें नगरों में खुली हैं और कितनी देहात के क्षेत्र में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जितनी गत वर्ष शहरों में और देहातों में थीं कुल की कुल वही हमने खुलवा दी हैं ।

रीजनल फूड कंट्रोलर, कानपुर द्वारा नियुक्तियां

*२८---**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में Regional Food Controller कानपुर द्वारा कई नियुक्तियां बिना एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा निर्देश किये कर ली गई हैं ? यदि हां, तो कितनी नियुक्तियां किस पद की किस वेतन क्रम पर किस अवधि के लिये की गईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सारी सूचना कब तक एकत्र की जा सकेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कोशिश हमेशा यह की जाती है कि जल्दी से जल्दी हो ।

*२९---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गन्ना सहकारी संघ, रौजा में स्थायी पद

*३०---**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने-की कृपा करेगी कि गन्ना सहकारी संघ रौजा, शाहजहांपुर, जिला शाहजहांपुर में कौन कौन से पद स्थायी किये गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, अब सूचना एकत्रित हो गई है कि अभी कोई पद स्थायी नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष---यह आप मेरे पास लिखकर भिजवा दें ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारियों को वहां जो ३ साल की सर्विस वाले हैं स्थायित्व मिल चुका है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इसे सूचना मानकर इस सूचना को मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---अगर आप लिखित देंगे तो मंगा ली जायेगी ।

श्री रामायणराय---ये लोग अब तक स्थायी क्यों नहीं किये गये ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३० श्री हरदयाल सिंह ने पूछा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---बहुत दिनों से सभी सहकारी समितियों के कोई नियम नहीं थे। सन् ५४ में गन्ना फेडरेशन ने समितियों के कर्मचारियों के नियम बनाये। फिर उन्होंने सभी गन्ना समितियों से स्थायीकरण के लिये नाम मांगे। उन पर कुछ आपत्तियां आईं और लोगों ने अपीलें कीं जो फेडरेशन के विचाराधीन हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---उस समिति में २५ अस्थायी कर्मचारी हैं।

*३१---**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

सेवा सहकारी समितियों के स्थापनार्थ कार्य

*३२---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने राज्य में प्रचलित वर्ष के अन्दर सेवा सहकारी समितियों के स्थापनार्थ अब तक क्या कदम उठाये हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---प्रचलित वर्ष के अन्दर सेवा सहकारी समितियों के स्थापनार्थ Supplementary Plan तथा बजट में भारत सरकार के परामर्श से आवश्यक प्राविधान किया जा रहा है। उक्त प्राविधान के होने पर ही उक्त समितियों के स्थापनार्थ आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से सेवा सहकारी समितियों के स्थापनार्थ योजनायें मांगी हैं? यदि हां, तो हमारी सरकार ने कौन सी योजना भारत सरकार के पास भेजी है?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने यह योजना मांगी थी और ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं लेकिन जून में जब हम लोग नैनीताल में थे उसी वक्त हमने यह योजना भेजी थी। उस पर भारत सरकार ने गौर किया, उसके बाद एक-दो दफा हमारे यहां के आफिसर्स वहां गये भी, अभी पिछली मर्तबा भी गये थे और बहुत-सी बातें उसकी तय हो गई हैं। कुछ बातें अभी बाकी भी हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस योजना को हमारी सरकार ने भारत सरकार के पास भेजा है और जिसको स्वीकार किया है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और कौन-कौन सी बातें ऐसी हैं जिनके लिये भारत सरकार के परामर्श से बजट के अन्दर प्राविधान किया जा रहा है?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, इस समय जो मुख्य-मुख्य बातें हैं जिनको कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया है यह हमारे आफिसर्स स्टेज की बातें हैं। जब तक कि उनका दस्तखत किया हुआ कागज हमारे पास न आ जाय तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो तय हुआ है उसे मैं निवेदन कर रहा हूं। वह यह है कि १० हजार सर्विस कोआपरेटिव्ज हम बनायें और सर्विस कोआपरेटिव्ज के लिये यह कायदा बना है कि ६०० रुपया ५ साल में वह सहायता देंगे उनको अपना स्टाफ रखने के लिये। उसको इस तरह से बांट दिया है कि ३०० रु० पहले साल, दो-दो सौ रुपया दूसरे और तीसरे साल और

१००, १०० रुपया चौथे और पांचवें साल में वह देंगे। हमारी यह भी सिफारिश है कि वह ६०० के बजाय १२०० रुपया कर दी जाय। ३०० ६० के हिसाब से २५ रुपया महीना होता है, ४ महीने के लिये १० हजार सर्विस कोआपरेटिव्ज के लिये, इस हिसाब से १० लाख रुपये की स्वीकृति हो गई है। उसमें हमारी सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों का हिस्सा होगा। उसी के साथ-साथ सर्विस कोआपरेटिव्ज के लिये यह भी जरूरी है कि उनका और मार्केटिंग का साथ हो और दो तरह का पैटर्न है सर्विस कोआपरेटिव का। एक तो वह होगा जहां प्राइमरी सोसाइटीज बनेंगी और दूसरे वह जहां क्रेडिट यूनियन बनेगी। तो ५० मार्केटिंग सोसाइटीज बनाने का इंतजाम हो गया है और ५० क्रेडिट यूनियन्स बनाने का। उसके लिये ५० क्रेडिट यूनियन के लिये ५ हजार रुपये की स्वीकृति हुई है और ५० मार्केटिंग सोसाइटीज के लिये इंतजाम हुआ है। मार्केटिंग सोसाइटीज में जो शेयर कैपिटल होगा वह ५ लाख रुपया होगा। ५ गोडाउन्स बनेंगे, उसका १.२५ लाख रुपया होगा और मैनेजीरियल स्टाफ का १० हजार रुपया होगा। इस तरह से मार्केटिंग सोसाइटीज और क्रेडिट यूनियन्स का है जो कि उसके साथ जोड़े जायेंगे और दो सौ सुपरवाइजर्स का इंतजाम किया गया है। उसमें १ लाख रुपया है और सबसे बड़ी बात यह है कि नान-आफिशयल एजूकेशन का भी है और उसमें ३७,६०० रुपया तय हुआ है। मैं आंकड़े इसलिये दे रहा हूं कि यह फाइनल नहीं है, पहले स्टेज पर हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि इस तरफ काफी कदम उठाया है और हम तेजी से चलना चाहते हैं और इस ओर काफी अच्छी प्रगति हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मन्त्री जी ने कहा कि आवश्यकता का प्राविधान हो रहा है और उसके हो जाने पर ही स्थापना का कार्य आरम्भ हो सकेगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस आवश्यकता का प्राविधान होने की संभावना कब तक है?

श्री मोहनलाल गौतम---यहां जब आफिसर वापस आये तो मैंने उनसे बातचीत की और मैंने यह कहा कि चार महीने का जो हमको प्राविजन हुआ है वह चार महीने का पहली नवम्बर से करेंगे तो पूरी १० हजार नहीं होगी। इसलिये अभी से शुरू करें और मैंने हिदायत दे दी है कि इधर यह काम सर्विस कोआपरेटिव का शुरू हो जाय। हिदायत सब लोगों को बुलाकर दी जा रही है और वह काम इस महीने से कुछ न कुछ चालू हो जायगा, ऐसी आशा है।

श्री मदन पांडेय---सर्विस कोआपरेटिव की स्थापना के संबंध में जो परिस्थिति आपने बताई उसके लिये क्या वर्तमान कोआपरेटिव ऐक्ट के रूल्स में कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? यदि हां, तो वह कब तक हो जाने की बात है?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं समझता हूं जहां तक ऐक्ट का ताल्लुक है उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वैसे हमारा वह संशोधित बिल छपा हुआ तैयार है। उसमें जैसा कि कोआपरेटिव फार्मिंग का सवाल है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है? वह कमेटी रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर हम संशोधन करना चाहते हैं नहीं तो इसी सेशन में वह बिल पेश कर देते। वह छपा हुआ बिल मौजूद है। लेकिन जब तक वह बिल पास न हो जाय हम सर्विस कोआपरेटिव का काम शुरू नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। इसमें इसकी गुंजायश है और हम शुरू कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि १० हजार सर्विस कोआपरेटिव जो खुलेंगी उनमें और उससे संबंधित संस्थाओं वगैरह पर कुल कितना खर्चा होगा?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, इस 'वगैरह' लफ्ज से प्रश्न कर्त्ता के सवाल के दायरे को मैं समझ नहीं पाया। इसलिये मेरे लिये इसका जवाब देना मुश्किल है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने केंद्रीय सरकार को अपना कार्य-क्रम भेजते हुए यह बतलाया है कि प्रत्येक जिले में कितनी सर्विस कोआपरेटिव खोली जायंगीं ।

श्री मोहनलाल गौतम--यह प्रश्न इस तरह से नहीं देखा जाता है कि हम इस काम को जिलेवार करेंगे ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतलायेगी कि सहकारिता समिति में अधिकारियों का हस्तक्षेप कम से कम करने के लिये सरकार का जो इरादा था उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अधिनियम में कोई नया संशोधन नहीं किया जा रहा है जिससे वह कम हो ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, नियम में परिवर्तन करने की बात नहीं है, वह प्रोसीजर और अमल की बात है। २५ रुपया महीना सहकारी समितियों को सहायता दी जायगी ताकि वह अपने सेक्रेटरी रख सकें यानी सुपर-वाइजर जो अभी तक रहते थे वह नहीं रखे जायंगे। वह स्वयं अपना सेक्रेटरी रखेंगी और उसमें सरकारी तरीके से कम से कम दखलन्दाजी की जायगी। यह चीज है।

*३३--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३४--**श्री मोहनलाल वर्मा**--[निर्माण मंत्री से संबंधित सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--आज ३४ सवालों में १० सवाल सूचना एकत्रित न होने के कारण स्थगित हो गये हैं और २,३ दिन बाद यह सेशन खत्म हो जायगा। शुक्रवार को १३४ सवाल थे। वह दिन और आज भी माननीय सहकारिता मंत्री के प्रश्न हैं। तो यह बटवारा कैसे किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--जब तक सदन प्रोरोग नहीं हो जाता है तब तक सवाल जारी रहेंगे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--इधर माननीय मंत्रियों के अलावा कुछ सदस्य भी बैठते हैं। उनको भी पूरक प्रश्नों का अवसर होना चाहिये। शायद आपकी कृपा-दृष्टि इस ध्वनि-यंत्र के डंडे के कारण इधर नहीं पड़ती है, या तो इसे हटवा दें--

श्री अध्यक्ष--ऐसी बात नहीं हैं। एक बार केवल आप उठे थे फिर नहीं उठे ।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ अगस्त, १९५९ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ अगस्त, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ अगस्त, १९५९ को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का १०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ११ अगस्त, १९५९ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ अगस्त, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई और वह १९५९ का ११ वां अधिनियम बन गया।

श्री राजनारायण द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है जो मैंने अस्वीकार कर दिया है। उन्हें जो कुछ कहना हो, आज पूरक अनुदानों की बहस में कह सकते हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें हैं जिनमें से मैं एक भी सार्वजनिक महत्व की या अविलम्बनीय नहीं मानता। जिसे उनको भेजने वाले उनका जिक्र अब पूरक बजट की बहस में कर सकेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के चुनाव के संबंध में सूचना देना चाहता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये जो सदस्य निर्वाचित हुये हैं उन की सूची यह है:--

श्रीमती चन्द्रावती,
श्री नरेंद्रसिंह भंडारी,
श्री बुलाकीराम,
श्री मदनमोहन वर्मा, तथा
श्री मुनीन्द्रपालसिंह।

१९५९-६० के प्रथम अनुपूरक अनुदानों तथा १९५५-५६ के अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा मतदान होगा।

अब समय निर्धारण के विषय में कोई सदस्य कुछ निवेदन करना चाहते हैं?

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल ३ बज तक अनुदानों पर साधारण वाद विवाद चल और उस के बाद ग्रांट्स बिना वाद विवाद के पास कर दी जायं और उस के बाद जितना समय रहे उस में एक्सेस ग्रांट्स और एप्रोप्रियेशन बिल लिया जाय। जहां तक समय की बात है नेताओं को साधारणतः १५ मिनट और अध्यक्ष महोदय चाहें तो ५ मिनट और दे दें और बाकी अन्य सदस्यों को १० मिनट दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--क्या आप अनुपूरक अनुदानों को और एक्सेस ग्रान्ट्स को साथ लेना चाहते हैं?

श्री जगवीरसिंह--अनुपूरक अनुदानों का सामान्य विवाद कल ३ बजे तक चले और तुरन्त उसके बाद उन पर राय ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष--एक्सेस ग्रांट तो कल के लिये है। यह तय हो चुका है कि अनुपूरक अनुदान आज और एक्सेस कल लिये जायेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--उन का कहना है कि आज ही ले लिये जायं और वे कल तक चलते रहें, ३ बजे तक सामान्य वाद विवाद चले फिर वोटिंग हो जाय और बाद में वह चलें।

श्री अध्यक्ष--इसके विषय में, नेता सदन और उपनेता सदन मौजूद हैं, उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)––अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ठीक समझा हूं तो उन का मंशा यह है कि कल ३ बजे तक साधारण वाद-विवाद हो और उस के बाद सारी ग्रांट्स बिना बहस के पास कर दी जायं और एप्रोप्रियेशन बिल भी पास कर दिया जाय ३ बजे तक . . .

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)-----अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा यह है कि ३ बजे तक अनुपूरक अनुदानों पर साधारण वाद विवाद हो और उस के बाद अनुपूरक अनुदानों के संबंध में जितने संशोधन हैं वह बिना राय के ले लिये जायं और अनुदान पारित कर दिये जायं। फिर जो समय बचे उस में पहले थोड़ी देर के लिये एक्सेस ग्रांट्स ले ली जाय और उसके बाद ५ बजे के पहले ही एप्रोप्रियेशन बिल ले लिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन––मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––अध्यक्ष महोदय, जिनके संशोधन आये हैं उन संशोधनकर्ताओं को अधिक समय मिलना चाहिये। यह जो प्रस्ताव आया है कि नेताओं को १५ मिनट और दूसरे सदस्यों को दस मिनट इस के बजाय नेताओं को १५ मिनट और संशोधनकर्ताओं को भी १५ मिनट मिलने चाहिये और बाकी सदस्यों को ५ मिनट दिये जायं।

श्री अध्यक्ष––जहां तक बजट के संबंध में बहस होती है उसमें विरोधी दल का अधिक समय होता है और मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता ने अधिक से अधिक समय अनुपूरक मांगों पर आम बहस के लिये चाहा है इसलिये यद्यपि कटमोशन तो सब देना चाहेंगे, परन्तु पार्टियां संगठित होने से फायदा तो यही है कि छोटी-छोटी मांगों के लिये कटमोशन देने की इच्छा होते हुये भी सदस्य अपने को आम बहस के हेतु थोड़ा सा नियंत्रित करते हैं और सब लोगों को मौका देते हैं जिसमें भिन्न-भिन्न उस पार्टियों की बजट के संबंध में जो भावनायें हैं, उन पर वे प्रकाश डाल सकें। इस संबंध में अधिकतर लोगों की यही राय मालूम पड़ती है कि कल ३ बजे तक अनुपूरक अनुदानों पर बहस होगी और उसके बाद ग्रांटों पर बिना बहस के राय ले ली जायगी। उसके बाद अतिरिक्त अनुदानों पर आम बहस आध पौन घंटे होगी। उसके बाद जो संबंधित विधेयक हों वे उपस्थित होकर, पांच बजे के पहले समाप्त हो जायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)––अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि 'दि गवर्नर शैल एप्वाइंट ए डे आर मोर'। तो कल तो एक दिन ही होगा। उसमें मोर शब्द है, लेस शब्द नहीं है।

श्री अध्यक्ष––वह तो अनुदानों के उपस्थित करने के बारे में है, नियम में आगे यह लिखा हुआ है कि "The Speaker may, from time to time, in consultation with the Leader of the House allot one or more dys for daiscussion and voting of such demands."

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट––श्रीमन् को तो पूरा अधिकार है, यह मैं मानता हूं, लेकिन एप्रोप्रियेशन बिल में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बहुत भयंकर हैं।

श्री अध्यक्ष––तो आप ग्रांटों का विरोध करके गवर्नमेंट को हरा दीजिये।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––मैं आपकी आज्ञा से एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह प्रश्न इस वक्त नहीं आ सकता। आप उसको मेरे पास लिख कर भेज दीजिये।

१९५९-६० के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष--अब अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद जारी होगा। मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल या उनकी तरफ से जो बोलेगा उनके पहले भाषण के लिये २० मिनट काफी होंगे। बाकी नेताओं को १५ मिनट और सदस्यों को १० मिनट का समय होगा। ५ मिनट की गुंजाइश मैं हर जगह रखूंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा आदरणीय सदन में अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं, मैं समझता हूं उनको जिस रूप में हमारे सामने रखा जा रहा है, उनको हम उचित नहीं समझते। क्योंकि मान्यवर, किसी भी देश में जब अनुपूरक बजट आता है तो वह दो खास चीजों के लिये आता है। पहले तो उसमें कुछ अनफोरसीन आइटम्स होते हैं जिनके बारे में सरकार को पहले से पता नहीं होता। दूसरे उनमें ऐसे आइटम्स होते हैं जो अरजेन्ट होते हैं। उस दृष्टि से जब मैं इस बजट को देखता हूं तो इसमें कहीं भी अनफोरसीन एक्सपेंडीचर नजर नहीं आता है। ग्रांट नं० ४८ में मान्यवर, लिखा है कि ३० लाख रुपया कोआपरेटिव बैंक के शेयर्स लेने के लिये है। सरकार की ओर से और हिन्दुस्तान की कांग्रेस गवर्नमेंट की ओर से, पंडित नेहरू से लेकर सम्पूर्णानन्द जी तक कोआपरेशन का बहुत ऊंचा नारा लगाते हैं और माननीय गौतम जी तो जब भी कोआपरेटिव की कोई बात कहते हैं तो वे बड़े जोरदार शब्दों में इस बात को कहते हैं कि हम इस प्रदेश को एक नये ढांचे में ढालना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कौनसा अनफोरसीन आइटम है जिसके बारे में सरकार को पहले से पता नहीं था कि ३० लाख रुपये क कोआपरेटिव बैंक के शेयर्स उसे लेने होंगे और उसे अनुपूरक अनुदान के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी को सदन के सामने रखने की जरूरत आ पड़ी। मैं तो इसे अनुचित समझता हूं।

दूसरा नं० ४९ है जिसमें है कि कुछ बांध बांधे जायेंगे। उसके लिये ६ लाख ४१ हजार रुपये की रकम रखी गयी है। मान्यवर, बरसात तो अब समाप्त होने को है, तो मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन से सलाहकार उनके हैं जिन्होंने उनसे कहा कि ६ लाख ४१ हजार रुपये की रकम से बांध बांधे जायेंगे। यह कौन सा अनफोरसीन आइटम है जिसका सरकार को पहले से पता नहीं था कि बरसात में कहां पर बांध बांधने होंगे। और आज अनुपूरक बजट के रूप में ६ लाख ४१ हजार रुपये की मांग हमारे सामने रख दी गयी। मान्यवर, जितने भी सवाल होते हैं सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि धनाभाव के कारण यह नहीं हो सकता, स्कूल के बच्चों की फीस माफ नहीं हो सकती। धनाभाव के कारण अस्पताल नहीं बन सकते, धनाभाव के कारण पुल नहीं बन सकते, धनाभाव के कारण आज प्रदेश के गरीब लोगों को सरकार मुफ्त खाना मुहैया नहीं कर सकती, धनाभाव के कारण ये तमाम चीजें हैं और इधर ६ लाख ४१ हजार रुपये बांध बांधने पर खर्च किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा इस तरह से रुपये की मांग करना बहुत ही अनुचित है क्योंकि बरसात कब होगी, तथा गंगा, सरयू आदि नदियों में बाढ़ आयेगी इसका पता सरकार को हमेशा रहता है। तो इस तरह का आइटम यहां पर लाना, मैं समझता हूं कि इस तरह से सरकार अपने अधिकार को बढ़ाना चाहती है और यह सरकार की अनधिकार चेष्टा है।

इसके बाद नं० ४५ है जिसमें ४ लाख ७५ हजार रुपया स्वाइल कंजर्वेशन के लिये रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह कौन-सी ऐसी चीज है कि स्वाइल कंजर्वेशन स्कीम के मातहत अभी पिछले दिनों देहरादून में ट्रेनिंग हुई और लोगों को बतलाया गया कि किसको कहां पर इस सम्बन्ध में क्या काम करने हैं। वह सारी स्कीम भी सरकार की थी जिस पर काफी रुपये खर्च किये गये फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ४ लाख ७५ हजार रुपया जो स्वाइल कंजर्वेशन के लिये रखा गया है वह कौन-सा ऐसा आइटम है जो अनफोरसीन है और जिसका सरकार

को पहले से अन्दाजा नहीं था। मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। अनुपूरक बजट के रूप में वह सदन के सामने कोई आइटम रख कर जितना भी चाहे पास करा सकती है, बजट से दुगनी रकम भी पास करा सकती है क्योंकि उसकी ब्रूट मेजारिटी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के एक्सचेकर पर कम से कम बोझ पड़े क्योंकि अभी जो यह ३ करोड़ २६ लाख का बजट है उसमें २ करोड़ से ज्यादा कैपिटल कर्जे का है। इस तरह से हमारे एक्सचेकर पर पहले से ही ज्यादा भार है। मैं समझता हूं कि स्वाइल कंजर्वेशन के लिये ४ करोड़ ७५ लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान रख कर यह कहना कि यह अनफोरसीन आइटम है, और इसका पहले से कोई अन्दाजा नहीं था, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं है।

अब मैं ग्रांट नं० ४१ की ओर आता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि अनुपूरक बजट अनफोरसीन आइटम के लिये होना चाहिये या कोई अर्जेन्ट एक्सपेन्डीचर हो जाय। तो यह लखनऊ में नजूल जो ली गयी है उसके सुधार के लिये ४ लाख १४ हजार रुपये की रकम रखी गयी है जिससे मकान बनेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इन मकानों के बनाने की अर्जेन्सी क्या है? क्या ६ महीने तक माननीय मंत्री जी नहीं रुक सकते थे? कौन-सा आसमान फट पड़ेगा अगर ये मकान नहीं बनेंगे? यह सदन ४ लाख १४ हजार की रकम मकान बनाने के लिये नहीं देना पसन्द करेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी सफाई करें। हम आपके सामने तथ्य रख रहे हैं ताकि माननीय वित्त मंत्री जी को यह कहने का मौका न रहे कि आपने बजट भाषण के मौके पर तो कुछ कहा ही नहीं फिर मैं क्या जवाब दूं? इसलिये इधर-उधर की व्याख्या न करते हुए अनुपूरक बजट तक ही अपने भाषण को सीमित रखता हूं। इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ४ लाख १४ हजार रुपया जिसे मैं डेड इन्वेस्टमेंट कहता हूं, क्यों रखा जा रहा है। क्या आइंदा बजट रखने का विचार नहीं है? इस तरीके से आप एक नई चीज चालू करना चाहते हैं।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी वित्तीय प्रथा है जिसके मुताबिक मकान बनाने के लिये ४ लाख १४ हजार रुपया अनुपूरक बजट में रखा गया है? अगर लड़कों की फीस माफ करने की बात होती, नये स्कूल खोलने की बात होती कि जौनसार-भावर के लिये स्कूल खोलना चाहते हैं, बैकवर्ड एरिया के लिये रोड बनाने की बात होती तो हम समझ सकते थे कि ठीक है। लेकिन मकान बनाने हैं कि कुछ कर्मचारी वहां बसा दिये जायं, मैं समझता हूं कि इसके लिये इंतजार किया जा सकता है।

आज नियोजन का युग है। मैं कह सकता हूं कि आज सरकार ने प्रिंसिपल आफ प्रायरटी को ताक में रख दिया है और जिस तरह से उनके योग्य सलाहकार सलाह देते हैं वित्त मंत्री जी वही बजट रखते हैं। मैं कहता हूं कि प्रिन्सिपल आफ प्रायरटी ताक में न रखा जाय और बैलेन्स्ड बजट बनाया जाय। जितने भी बजट हमारे सामने आते हैं सब अनबैलेन्स्ड बजट होते हैं। कौन-सी ऐसी अरजेन्सी इसमें है, मंत्री जी इसे बतलाने की कृपा करेंगे।

एक ३ करोड़ २० लाख की रकम मांगी जा रही है। इसमें कहा गया कि सौ-सौ रुपये का टोकन दिखाकर बचत पूरा कर देंगे। श्रीमन्, हमारा देश बैकवर्ड है और विकास का युग है। इस समय सरकार कहे कि इतना रुपया बचत से मिल जाएगा और वह भी कल्याणकारी राज्य के अन्दर तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि बैकवर्ड इकोनामी है, विकास का युग है और दूसरी तरफ कहते हैं बचत से पूरा कर लेंगे, यह कैसे संभव है? जहां विकास करना हो, लोगों को कपड़ा देना हो, खाना देना हो, स्कूल की फीस माफ करनी हो, वहां कैसे बचत कर सकते हैं? विरोधी-दल के लोगों ने कहा कि सरकार का केवल यही काम नहीं है कि लोगों को भूखों न मरने दे बल्कि उन्हें बैलेन्स्ड डाइट दे। १२ साल बाद मंत्री जी एक तानाशाह की तरह से कहते हैं कि हम किसी को भूखों नहीं मरने देंगे। १२ साल के बाद यह कहना कि भूखों नहीं मरने देंगे मैं समझता हूं कि सरकार के लिये लज्जा की बात है। उन्हें कहना चाहिये कि हम आज बढ़िया से बढ़िया खाना दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। कल मैंने पढ़ा कि

[श्री प्रतापसिंह]

१४ बेरोजगारी के दफ्तर और खोले जाएंगे। उससे केवल दो चार लोगों को नौकरी मिल जाएगी लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होगा। माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट करें कि बचत कहां से होगी। यह नहीं लिखा कि बचत कहां से होगी। केवल एक जगह लिखा है ग्रान्ट नं० २१ में, कि स्वास्थ्य में ८ लाख की बचत है। इस प्रदेश में, श्रीमन्, जहां ४१ हजार आदमियों के पीछे एक डाक्टर है, जहां लोग मांग करते हैं कि अस्पताल खोले जायं और अस्पताल नहीं खोल सकते हैं। पिछले दिनों मंत्री जी ने कहा था कि देहात में बच्चों को मेडिकल एड नहीं दे पाये हैं। इन सब बातों के बाद भी ८ लाख रुपये की बचत। अन्डर-फेड लोग हैं इसलिये टी० बी० बढ़ रही है। पूर्वी और पश्चिमी अंचल में विशेषज्ञों ने अन्वेषण के बाद कहा है यहां के लोग अन्डर-फेड हैं और इसलिये टी० बी० बढ़ रही है। आज हम मांग करते हैं कि फ्री बेड्स की व्यवस्था होनी चाहिये। अंग्रेजों के जमाने से जो गवर्नर की सिफारिश से ६ बेड्स थीं वही आज भी चली आ रही है, क्यों नहीं उनको बढ़ाया जाता? क्या जरूरत है कि एक गरीब आदमी को बेड के लिये मंत्री या उप-मंत्री से सिफारिश करानी पड़े? जो लोग अन्डर-फेड हैं, प्रदेश के किसी हिस्से के हों, उनके लिये व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, आज लोगों को पता नहीं कि स्वास्थ्य विभाग भी कोई है, डाक्टर भी कोई चीज होता है और उसी में से ८,००,००० रु० बचत हो रही है।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि केवल हमसे यह कहना कि जो अनुपूरक अनुदान मांग रहे हैं इसमें बहुत सा रुपया बचत से पूरा हो जायगा, मैं समझता हूं सरकार हमारी आंख में धूल झोंकना चाहती है। मान्यवर, पार्लियामेंट की ऐस्टीमेट्स कमेटी की २०वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि आब्जेक्ट्स और रीजन्स, या जो शाइटम्स रखे जाते हैं उनके बारे में मंत्री को स्पष्ट होना चाहिये कि अगर यह आइटम बचत से पूरा होगा तो कहां-कहां से बचत होगी। यहां केवल इतना कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में ८,००,००० रुपये की बचत होगी, इससे काम नहीं चलने वाला है।

पिछड़े जिलों के बारे में इसमें कहा गया है। पिछले दिनों में सूचना विभाग से तीन किताबें बांटी गयी पूर्वी, पश्चिमी और पर्वतीय अंचल के बारे में। क्यों इस तरह से है? एक ओर तो रीजनल प्लान ही पूरा नहीं कर पाये हैं दूसरी ओर किताबें छापते हैं। प्लानिंग कमीशन कहता है कि रीजनल प्लानिंग करें। मैदानी इलाके में एक ब्लाक ४०,६० हजार की आबादी पर है और वही स्कीम पर्वतों पर भी लागू है। हम चाहते हैं कि पर्वतीय इलाकों में आबादी के आधार पर ब्लाक न रखे जायं बल्कि एरिया के आधार पर रखे जायं क्योंकि वहां यातायात के साधन नहीं हैं और इतनी बड़ी आबादी को एक डी० डी० ओ० कवर नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि यह स्कीम तीसरी योजना में लागू हो। बल्कि मेरा तो सुझाव है कि २ पटवारी सर्किल में एक ब्लाक होना चाहिये। जरूरत है कि रीजनल प्लानिंग हो। लखनऊ में बैठ कर स्कीम बनाने से काम नहीं चल सकता।

मैं नहीं कहता कि डेवलपमेंट कमिश्नर काबिल नहीं हैं। लेकिन उनकी तरफ से सरकार के सामने सुझाव आना चाहिये कि पर्वतीय इलाके और लखनऊ या मैदानी इलाके के ब्लाक में अन्तर होना चाहिये। इसलिये कि वहां यातायात के साधन नहीं हैं।

इसके अलावा हमारी मांग यह भी है कि जो पर्वतीय अंचल है उस पिछड़े इलाके को बार्डर एरिया घोषित किया जाय। मैंने देखा है कि वहां पर पी०ए०सी० के सिपाही रहते हैं, उनको बार्डर ऐलाउन्स मिलता है आसकोट में लेकिन वहीं आसकोट में आनन्द नगर में जो अध्यापक हैं उनको कोई एलाउन्स नहीं मिलता। इसलिये कि सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है कि बार्डर एरिया किसको कहते हैं। कांग्रेस की सरकार कहती है कि प्लान जनता का प्लान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के इन्ट्रोडक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था कि यह जनता का प्लान है लेकिन जनता यह नहीं जानती कि प्लान क्या है। जिस प्लान में पब्लिक का

कोआपरेशन हो वही पब्लिक या पीपुल्स प्लान है। अगर अधिकारी इस योग्य नहीं बन सक कि जनता का कोआपरेशन ल सकें तो यह तो सोचना चाहिये कि लोगों की तकलीफें कैसे दूर हो सकती हैं। इसलिये मेरी मांग है कि पर्वतीय अंचल को आप बार्डर एरिया घोषित करें और यह न हो कि लाखों रुपया जो बार्डर एरिया को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिला वह भी लैप्स हो गया। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी निर्माण मंत्री जी से इस बारे में पूछें। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी ने यह कहा कि हमने इतना रुपया तुमको दिया था उसको आपने कहां खर्च किया? हो सकता है कि मैं गलत हूं लेकिन ८० लाख रुपया सड़कों क निर्माण में लैप्स हो गया। ऐसा क्यों है ?

पिछड़े इलाकों के लिये किताबें बंटी कि उसमें ५ लाख रुपया पानी के लिये तीनों क्षेत्रों—पूर्वी, बुन्देलखंड और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये। अब पूर्वी इलाकों की आबादी ही इतनी घनी है तो सिर्फ बुलन्देलखंड के लिये ४ लाख ३० हजार और ३० हजार सड़कों के लिये इन तीनों क्षेत्रों के लिये। मिर्जापुर में ऊनी कालीन बनाने के लिये १ लाख ११ हजार और वाराणसी में २ लाख ८२ हजार रुपया और काम के लिये, यानी जब मैं रुपयों को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि बहुत रुपया रखा गया है, लकिन ५ लाख रुपया तीनों क्षेत्रों क लिय पानी क लिय बहुत कम है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रदेश में एक जगह भीमताल है जहां पानी की नहरें हैं। लेकिन १ लाख १५ हजार रुपया उसके बनाने के लिये मांगा गया है जब कि आज भी उसकी मेन्टिनेंस पर १० हजार रुपया सालाना खर्च होता है और आमदनी होती है १२ हजार रुपये। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी में ५ लाख रुपया खर्च हो जायगा। कई बार मंत्रिगण उधर से गुजरे और अन्य लोग भी। जिन्होंने भोमताल को देखा है वह जानते हैं कि बायीं तरफ वहां पानी नहीं चल रहा है। जब इतना धन खर्च होता हो उसके मेन्टिनेंस पर तब भी यह हालत हो और यह उसके बाद भी कहा जाय कि हम विकास कर रहे हैं।

इसके अलावा, हमें यह भी पता चला है कि सरकार को पता है कि खटीमा पावर हाउस आज नहीं तो कल गिरने वाला है और उसके लिये मैंने सुना कि कोई नय स्कीम बन रही है, तो मैंने वहां इंजीनियर और एस०डी०ओ० साहब से कहा कि कहीं आप उत्तर प्रदेशीय सरकार को यह न लिख दें कि यह स्कीम चल नहीं सकती। उसका देखा जाना आवश्यक है। वहां की आबादी भी, मान्यवर, ५५७ प्रति वर्गमील है और बराबर बढ़ रही है। १९५१ के सेन्सस के मुताबिक यह है। बस्ती की आबादी ८४१, फैजाबाद की ८७०, देवरिया को १ हजार, बलिया की ९६३ और आजमगढ़ की ९५१ प्रति वर्ग मील है। मान्यवर, यह भी हमसे कहा जाता है कि यह पूरब वाले तो गन्ना ही पैदा करते हैं। इसीलिये इसका नतीजा यह होता है कि गल्ले की पैदावार कम होती है। मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि गोरखपुर में सन् १९२१ में ३७० सेंट जमीन थी लेकिन अब सन् १९५१ में पौन सेंट के करीब बढ़ गयी। गाजीपुर में सन् १९२१ में ७३ सेंट थी और ५१ में ५३ हो गयी करीब आधी हो गई। इसी प्रकार जमीन पर बोझ बढ़ रहा है। गन्ना गल्ले की जगह नहीं ले रहा है बल्कि कपास, अफीम और नील की जो खेती होती थी उसकी जगह ली है और यह कहना कि गल्ले की कमी है क्योंकि गन्ने की खेती ज्यादा होती है मैं समझता हूं कि निराधार है। अन्न की पैदावार जो सन् २१ में ९०.८ प्रतिशत जमीन पर होती थी वह १९५१ में ९०.९ प्रतिशत पर है, गोरखपुर में, यानी वह बढ़ रही है। बलिया में १९२१ में ९३.८ प्रतिशत पर थी अब सन् १९५१ में ९४.२ पर है, यह भी बढ़ रहा है केवल बस्ती मे १९२१ में ९३.४ थी अब९३ है, तो केवल ·४ प्रतिशत की कमी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौनसा आधार है कि आप अपना तो कर्त्तव्य पालन नहीं करते और गल्ले की खेती में कमी गन्ने की वजह से है, यह कहना आपको उचित नहीं है। मैंने इसको साबित किया है कि आज गल्ले की खेती भी बढ़ रही है और गन्ना गल्ले की खेती वाली जगहों में नहीं बोया जा रहा है।

अधिक न कह कर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अभी जो मैंने एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट दी उसमें यह कहा गया है कि सरकार जो टैक्स लगाती है वह तो इस सदन में आता है, लेकिन जो डेफिसिट होता है या जो कर्जा लिया जाता है वह सदन में नहीं आता है।

[श्री प्रतापसिंह]

यह एक अच्छी पद्धति होगी अगर वह भी इस माननीय सदन में आये और जिस तरह से टैक्सेज के के बारे में इस आदरणीय सदन को कांफीडेन्स में लिया जाता है उसी तरह से लोन और डेफीसिट बारे में भी सदन को कांफीडेन्स में लिया जाना चाहिये। जहां यह सरकार कहती है कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सब से आगे है वहां इस बात में भी उसे एक उदाहरण पेश करना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान अनफोरसीन आइटम और अरजेन्ट एक्सपेंसेज के लिये आता है, लेकिन वह इसमें कहीं भी साबित नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय सदन इस ओर अवश्य ध्यान दे।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रताप सिंह जी ने सप्लीमेंटरी डिमांड के लिये दो टेस्ट बताये हैं, एक तो अनफोरसीन एक्सपेंसेज हों और दूसरे बहुत जरूरी खर्चे हों। ये दो ही टेस्ट सप्लीमेंटरी डिमांड के लिये होते हैं और मैं इसको स्वीकार करता हूं। इन दोनों बातों को सामने रख कर यदि अनुपूरक अनुदान की मदें देखी जायं तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जितने अनुदान हैं या तो अनफोरसीन एक्सपेंसेज में आयेंगे या बहुत जरूरी खर्च के आइटम होंगे। इस वास्ते उनका यह कहना कि जो आइटम इसमें रखे गये हैं वे अनफोरसीन एक्सपेंसेज में नहीं आते हैं, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सही नहीं है।

श्रीमन्, जिस समय हम लैन्ड सीलिंग के ऊपर विचार कर रहे थे तो हमने देखा कि हर खेतिहर मजदूर को हम जमीन नहीं दे सकेंगे और अगर दे भी सकें तो वह इतनी काफी जमीन नहीं होनी कि जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सके इसके इसलिये यह जरूरी मालूम होता है कि उनका ध्यान छोटे-छोटे उद्योगों की तरफ ले जाया जाय और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने इस बीच में १३ लाख ४१ हजार रुपये की अनुपूरक मांग मांगी है और खासकर के पूर्वी जिलों के लिये यहां जो छोटे मोटे उद्योग हो सकते हैं उन सब को थोड़ा बहुत चलान की कोशिश की गई है।

माननीय प्रताप सिंह ने कालीन उद्योग के बारे में जिक्र किया है और समय-समय पर मैं भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता रहा हूं। यह इस सबे का बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है जिसके जरिये से हम दुर्लभ हार्ड और साफ्ट करेन्सी, फारेन एक्सचेन्जेज पैदा करते हैं। साल भर में कम से कम ५ करोड़ रुपये के करीब मिर्जापुर और भदोही से विदेशों को कालीन जाते हैं। इस वास्ते यह जरूरी था कि सरकार का ध्यान इस ओर जाता और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान इस ओर गया। उधर के बैठने वाले हमारे कुछ भाइयों को इस बात की शिकायत थी कि मिर्जापुर और भदोही में जो यह उद्योग है वह व्यक्तिगत लोगों के हाथ में है, वहां भी सहकार समितियां बननी चाहिये। इस अनुपूरक बजट को आप देखें तो ३-४ सहकारी समिति बनने के लिये सरकार ने रुपया रखा है और सरकार इस बात की भी कोशिश करेगी कि विदेशों से जो आर्डर उसके पास आवें वे उन्हीं सहकारी समितियों के द्वारा एग्जीक्यूट किये जायं। यही नहीं श्रीमन्, एक क्रोमियम रंगाई होती है। वह बहुत जरूरी होती है इस उद्योग के लिये और इसमें मशीनों की आवश्यकता होती है, रासायनिक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। इसमें यह होता है कि गलीचे धोये जा सकते हैं और उनमें एक प्रकार की चमक आती है। इस प्रकार के कालीन वहां पर अंग्रेजों के दो तीन फर्म्स ही बनाया करते थे। सरकार ने इसके लिये बजट में एक योजना रखी है कि भदोही और मिर्जापुर में क्रोमियम ड्राइंग हो सके। यह बड़ी प्रशंसा की बात है।

दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मेले में एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेन्ट आफिसर्स शिकागो भेजे गये थे और सरकार ने उनसे कहा है कि जब वह लौटने लगें तो अमेरिका तथा यू० के० होते हुये आयें और वहां किस प्रकार की चीजों की मांग है इन सब बातों को देखते हुए आयें और वहां के उच्च कोटि के व्यापारियों से संबंध स्थापित कर के तथा उनसे आर्डर लेते हुये

आयें। इसके लिये गवर्नमेंन्ट ने २३,००० रुपया रखा है। यह बड़ा आवश्यक था और उनके वहां से लौटने पर यहां के व्यापारियों को बड़ी सहायता मिलेगी और कारपेट इंडस्ट्री तरक्की करेगी।

सेकेन्ड वर्ल्ड वार में जापान तथा जरमनी से पीतल के तार की जाली आनी बन्द हो गई थी। वह जाली बनारस के एक हिस्से में जो माननीय राजनारायण जी का क्षेत्र है वहां इसका उद्योग फैल गया था। इस उद्योग में आजकल बड़ी कमी हो गई हैं। सरकार ने इसको चलाने के लिये भवन निर्माण के लिये रुपया रखा है और मशीन की भी आवश्यकता होगी। इसको अच्छे ढंग से तथा एक बड़े पैमाने पर चलाया जायगा जिससे आशा है कि यह उद्योग काफी तरक्की करेगा।

मिर्जापुर के चुनार में पाँटरी बनती थी। लाल रंग के मिट्टी के बरतन तो सभी जगह बनते हैं, लेकिन सफेद रंग के मिट्टी के बरतन खुर्जा में ही बन पाते हैं। वह चुनार में नहीं बनते हैं। १९५६ में इसके लिये कोशिश की गई थी और कुम्हारों के कुछ खान्दानों को इसमें सफलता भी मिली थी। अब इसके लिये काफी रुपया रखा गया है। इसके लिए ७०,००० रुपये से एक भवन बनाया जा रहा है।

खादी उद्योग के लिये श्रीमन्, ५६-५७ में सेन्टर्स कायम किये गये थे और बजट में काफी रुपया रखा गया था और मुफ्त चर्खे बांटे गये थे। हमने अनुभव किया था कि ऐसे समय में जब दुर्भिक्ष पड़ा हो या बाढ़ आ जाती हो तो लोग इसके जरिये एक रुपया रोज पैदा कर सकते हैं और सरकार ने इसके ऊपर भी काफी धन रखा है और अकबरपुर और फैजाबाद में जो केन्द्र हैं उनको लाभ पहुंचे तथा कताई और बुनाई चालू रहे।

इलाहाबाद में झूंसी के करीब बहुत दिन से इस बात का प्रयास था कि वहां पुल बन जाय। शायद श्रीमन् को ज्ञात होगा कि कुम्भ मेले में २०-२५ आदमी इससे मर गये थे। मैं देखता हूं कि इस बजट में जो मीटर गेज रेलवे का पुल है उसी पर रेलवे अधिकारियों ने फुटपाथ बनाना स्वीकार कर लिया है। यह बहुत आवश्यक था इसमें दारागंज और झूंसी के यातायात में बड़ी सुविधा हो जायगी।

इन शब्दों के साथ जो अनुपूरक मांग उपस्थित की गयी है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, सरकार की ओर से पुनः करीब ४ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग पेश की गयी है। मैंने पहले भी विरोध किया था कि इस सरकार को अब अनुपूरक मांग पेश नहीं करनी चाहिए। मगर जिस प्रकार का नियम आज चल रहा है उसके मातहत सरकार ने उसको कर दिया और अब सरकार हमारे सामने प्रस्तुत हुई है उन अनुदानों को लेकर कि सदन स्वीकृति दे और सरकार खर्च करे। मैं श्रीमन्, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार जो आज हम से अनुदान मांग रही है वह उसको हमें नहीं देना चाहिये। हमारे कारण हैं और मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह कृपापूर्वक आपकी आज्ञा से इस सदन में जिन तथ्यों को मैं रखूं, उनको सुनेंगे। किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है,, न किसी व्यक्ति से रागद्वेष की बात है। क्या कारण है कि आज हमारे प्रदेश और देश में जो विकास की योजनायें चल रही हैं करोड़ों रुपया उनमें खर्च हो रहा है लेकिन वह लाभ में परिणत नहीं हो रहा है? हमारे यहां ही शारदा सागर बांध, माता-टीला बांध, चन्द्रप्रभा बांध, ये सब विकास की योजनाएं हैं। इन सारी की सारी योजनाओं की डिजाइन अंग्रेजी राज्य में बन चुकी थी और उस डिजाइन को आज यह सरकार कार्यान्वित कर रही है और किस रूप में कर रहीं है। इसका परीक्षण होना चाहिये, मेरी राय में उसका समुचित लाभ, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके मुताबिक मिल नहीं रहा है। इस बात को सभी लोग मान रहे हैं जब सभी लोग इसको मानते हैं तो हमको कारण की ओर जाना चाहिए। तब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इधर कुछ इतनी ढिलाई हो गयी है, सरकार संभवतः कुछ ऐसे कामों में लगी रहती है कि उसको मौका नहीं मिलता होगा डिटेल में जाने के लिए या और कोई कारण होगा। मगर नुकसान तो हो ही रहा है। मैं आज यह दृढ़

[श्री राजनारायण]

निश्चय से कह सकता हूं कि आज की यह सरकार राष्ट्र विरोधी हो गयी है, क्योंकि जब कि सरकार की नीति से राष्ट्र और समाज का फायदा न हो तो उस सरकार को राष्ट्र विरोधी कहने में हमें तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर सही तरीके से सारा रुपया खर्च हुआ होता तो पचासों करोड़ रुपया बचा होता। मैं बहुत बड़ी रकम रख रहा हूं। सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य कह सकते हैं कि ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। मगर मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं, जानकारी के आधार पर कहता हूं कि इन योजनाओं में अपने प्रदेश में आधी रकम तो बिलकुल व्यर्थ जा रही है। कोई भी योजना ले ली जाय, उसके बारे में ब्यौरे में बाद में आऊंगा, हम यह देखें कि कौन लोग योजना कार्यान्वित कर रहे हैं, कौन लोग प्लांट्स खड़े कर रहे हैं, कौन लोग मशीनें लगा रहे हैं, कहां से मशीन लगा रहे हैं, कहां से मशीनें ले रहे हैं, किन शर्तों पर ले रहे हैं, उसके लिए कोई नियमावली बनी हुई है या नहीं, उन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। जितनी योजनाओं को देखा जायगा श्रीमन्, उनमें इन बातों की कमी पायी जायगी। बिना शर्तों को पूरा करवाये हुए रुपया अग्रिम दे दिया जाता है। १००, ५० नहीं लाख-लाख रुपया दे दिया जाता है। तब हमको सोचना पड़ेगा बाध्य होकर कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। यह १९५८ में लेखा परीक्षा रिपोर्ट श्रीमन्, जो बंटी है सरकार की ओर से, मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़े देता हूं। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पेज २१ पर इस बात को माना गया है कि मार्च सन् १९५७ के अंत तक जिन विभागों को अनुदान स्वीकृत किये गये उनसे उपयोगिता संबंधी प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षा की जा रही है और १ मार्च, १९५८ को तत्संबंधी धनराशि निम्नलिखित थी:—

सामुदायिक परियोजना (नियोजन) पर ३,५४,६८,९६९ रु०, शिक्षा पर २,००,७४,५०९ रु० चिकित्सा पर १,८२,२६,५७४ रु०, सहकारिता पर ३३,०२,७०० रु०, हरिजन सहायक २६,९४,२२५ रु०, उद्योग १६,७९,४८६ रु०, जनस्वास्थ्य ९,९५,०४५ रु० जब कि चेचक, हैजा और प्लेग में हजारों आदमी इस दुनियां से चले गये, तब ९,९५,०४५ रुपया। इस प्रकार का खर्च हो गया है जिसका कि आज तक प्रमाण पत्र नहीं पहुंचा है, राजस्व पर २,३०,००० रु० कृषि १,९२,००० रुपया। इस तरह से टोटल कुल रकम ८,४५,२१,७६४ रुपया है। यह आठ करोड़ की रकम वह रकम है जिसको लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके खर्चे का प्रमाण-पत्र पहुंचना चाहिये, मगर वह नहीं पहुंचा है। तो क्यों इस सरकार को एक पैसा भी दिया जाय? मैं आपके द्वारा ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों से विनम्रता के साथ पूछूंगा कि क्या इस सरकार को अब एक पैसा देना उचित है, जनहित में है, राष्ट्र हित में है? नहीं है।

आपत्तियां जिनका निराकरण नहीं हुआ श्रीमन्, इसके बारे में लिखा है कि १९५६–५७ के अन्त तक लेखा परीक्षा कार्यालय की बहियों में ऐसी आपत्तियों की, जिनका निराकरण नहीं हुआ, संख्या और मूल्य हमेशा की तरह अधिक रहा। मुख्यया ये इंजीनियरिंग विभागों से संबंधित हैं और इनमें इस प्रकार की प्रमुख आपत्तियां सम्मिलित हैं जैसे (क) तखमीनों का न होना, (ख) तखमीनों के ऊपर व्यय-वृद्धि और (ग) ब्यौरेवार बिलों, वाउचरों उप-वाउचरों टिकटशुदा रसीदों आदि का न होना।

मैं पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार के खर्चे का तखमीना न हो, जिस सरकार के खर्चे का ब्यौरेवार बिल न हो, जिस सरकार के खर्चे का वाउचर और उपवाउचर न हो, रसीदों पर टिकट न हो, क्या वह खर्चा सही माना जायगा? उसको गबन क्यों न कहा जाय? क्यों न इस बात को ज्यादा सफाई के साथ सब लोग समझ लें कि आज यह सरकार एक अपराधी के रूप में हमारे सामने खड़ी है और इसके हिसाब-किताब में गोलमाल है। श्रीमन्, यहां पर आगे भी कहा गया है इसकी रिपोर्ट में कि यह अनियमितताएं आगे भी बनी रही हैं और उनके बने रहने की संभावना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विभाग है श्रीमन्, सिंचाई विभाग, जिसमें २३,०९,५४,२०३ रुपये के हिसाब किताब में उपर्युक्त ढंग की

गड़बड़ी पायी गई। बिजली विभाग में ८,८९,६९,७७८ रुपये की अनियमितता पायी गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में ६,९१,१९,६८४ रुपये की अनियमितता पायी गई। यह टोटल देख लिया जाय तो करीब ३७, ४० करोड़ की रकम इस ढंग से खर्च हुई है जिसका न कोई तखमीना था, न वाउचर, उपवाउचर थे और न रसीट पर टिकट है। यह अनियमितायें इसमें बताई गई हैं। अब श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ आपके द्वारा पूछना चाहता हूं सरकारी पक्ष से और सरकार से कि इसका क्या औचित्य है? यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। मैं तो कुछ ऐसा अभागा व्यक्ति हूं कि जिसकी नाना प्रकार से समालोचना व्यक्तिगत रूप से होती रहती है। कांग्रेस पार्टी के एक पक्ष के लोग कहते हैं कि चौधरी चरणसिंह जी ने फाइल को दिखा दिया होगा। दूसरा पक्ष कहता है कि मोहन लाल जी गौतम ने फाइल दिखा दी होगी। यह अजीब हालत है। मैं बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारी ऐसी हैसियत नहीं है कि हमको फाइल दिखाई जाय। इस उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी की ऐसी हैसियत बन गई है कि उसके पास अपने आप इस प्रकार के कागजात पहुंच जाते हैं। वह कागज तो जरूर पहुंचेंगे क्योंकि यहां पर जनतन्त्र है और कोई मनुष्य किसी की भावनाओं को दबा नहीं सकता है। इसी सेक्रेटरियट में दो विभाग हैं। एक तो खाने वालों का दल है और दूसरा खाने वालों को हटाने वाला दल है। उनसे सब पता लग जाता है। वह यह समझते हैं कि ये खाते हैं और हम वैसे ही बैठे रह जाते हैं। तो उनके लिये लाजिमी हो जाता है कि वह राष्ट्र के हित में काम करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें।

अब श्रीमन्, मैं एक तथ्य को सदन के सन्मुख रखना चाहता हूं। आडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट का एक नम्बर १६२ सन् १९५७-५८ का है। उसके एक पैरे को मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि उस तथ्य के द्वारा सदन के सम्मानित सदस्य समझ लें कि वह शिकायत हमारी नहीं है बल्कि सरकारी विभाग की है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ खुलासा उसमें से पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह है कि एक हिन्दुस्तान कमर्शियल कारपोरेशन, वाराणसी है। उसको बनारस डिवीजन के एक इंजीनियर साहब ने दो किस्म के ठेके दिये। हिन्दुस्तान कमर्शियल कारपोरेशन वाराणसी को जो आर्डर दिया गया उसका नम्बर ९३१ और ९३२ है। वह इस तरह से है :—

"A. Transaction with Messrs. Hindustan Commercial Corporation, Varanasi.

(1) Order no. 931 (i)/T-11, dated March 14, 1957, for A. C. S. R. conductors 50 miles at Rs. 1,325, i. e. Rs. 66,250, order no. 932 (i)/T-11, dated March 14, 1957, for A. C. S. R. conductors 50 miles at Rs. 1,325, i. e. Rs. 66,250 i. e. Rs. 1.32,500.

It is noticed that there was heavy accumulation of A. C. S. R. conductors in this division during the month of March, 1957. The stock return shows that there was a stock balance of 992 miles of A. C. S. R. conductors costing about Rs. 8 lakhs in the division duing March, 1957. The local firm Messrs. Hindustan Commercial Corporation forwarded an invoice for Rs. 1,44,558-13-0 from its Lucknow Office signed by one Surya Pratap Narain Singh representing 90 per cent of the cost of 1,179 feet A. C. S. R. conductors at Rs. 1,325 per mile through the Punjab National Bank without any order having been placed with them. Immediately two orders each for 50 miles as indicated above were prepared on representation at Banaras and also a cheque for Rs. 1,44,558-13 was prepared in favour of the Punjab National Bank and credited to the accounts of Messrs. Hindustan Commercial Corporation. The amount was far in excess of the total cost of the supply orders and no. R. R. was received along with the invoice. From the R. R. register, it appears that the material was actually despatched by the firm from Shahjahanpur on April 3, 1957, under R. R. nos. 281947 and 281948, dated April 3, 1957. The fact that the firm submitted its

[श्री राजनारायण]

invoice on March 7, 1957, from Lucknow, indicates that the transaction was finalized there and when the invoice was received in the Division on March 14, 1957, it was already a *fait accompli* and the Executive Engineer had simply to ditto it by issuing supply orders which he was not competent to do, *vide* para. 182 of F. H. B., Vol. D and also the direct purchase of it required the sanction of Director of Industries. The position as above is brought to the notice of the Government.

It is further noticed that the rate paid for the same specification of A. C.S.R. received from Messrs. Escorts. Agencies Ltd.,New Delhi, in December, 1956, was only Rs. 1,050 per mile whereas the rate paid to Messrs. Hindustan Commercial Corporation was subsequently modified Rs. 1,300 per mile. On this basis Government have to pay Rs. 30,200 extra for a material which was not immediately required by the Division. In fact, the stock of A. C. S. R. was so excessive that the following quantities had to be transferred to other Division from April, 1959 onwards."

श्री अध्यक्ष---आप संक्षेप में कहिये। इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण---इस प्रकार से श्रीमन्, हमने जितनी बातें यहां पर पढ़ीं उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। शाहजहांपुर से हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन ने दोनों आर्डर के माल भेजे जो कि १,३२,००० रुपये के होते हैं। उसको उन्होंने वाराणसी डिवीजन को भेजा है। यह इन्स्पेक्शन रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि वाराणसी डिवीजन में स सामान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह वहां पहले से था। यह इंस्पेक्शन रिपोर्ट फिर कहती है कि सारी बातें लखनऊ आफिस में हुईं और इंजीनियर बनारस को केवल डिटो क देना था। यह आडिट रिपोर्ट कहती है कि १ लाख ४४ हजार रुपये का चेक एडवांस किय गया पंजाब नेशनल बैंक को और वह हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन को क्रेडिट किया गया। वस्तुस्थिति यह है कि कलकत्ता से कुछ सामान शाहजहांपुर भेजा गया। वह सामान खराब था, लगा नहीं। वह सामान वहां स्टेशन पर पड़ा था। डैमरेज पड़ रहा था, पैसा था नहीं। सवाल था कि कैसे छुड़ाया जाय? तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब १ लाख ४४ हजार रुपया एडवांस करते हैं और उस रुपये को लेकर वह सामान छुड़ाया जाता है और फिर रेलवे से वह सामान शाहजहांपुर से बनारस भेजा जाता है। फिर उसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में यह बात कही गयी है कि दिसम्बर, १९५६ में १,००० रुपये पर दूसरी फैक्ट्री से यही माल लिया गया था तो हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन को ३०० रुपये ज्यादा क्यों दिया गया? फिर वहां सामान जाने के बाद यह देखा जा रहा है कि वही सामान आजमगढ़, फैजाबाद, मैनपुरी और इलाहाबाद डिवीजन में वाराणसी डिवीजन से भेजा गया है। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाय, श्रीमन्। क्योंकि मैं साबित यह करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---आप ३ मिनट और ले लें।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन्, इस तरह से यह पूरी रिपोर्ट हमारे पास है और एक हैं श्री ए० के० पांडे जी, जो इसके एक डाइरेक्टर हैं। इस आडिट रिपोर्ट में लिखा है कि २०,००० रुपया उनको बल्ली के लिये दे दिया गया, जबकि सामान वहां नहीं आया था। इसके साथ साथ दो सेट डीजेल इंजन ७२ किलोवाट के २०-१०-५६ तथा ९-११-५६ के बारे में हैं, ८४,३५३ का ८० प्रतिशत रुपया १३-११-५६ को इनके हिसाब में क्रेडिट किया गया पंजाब नेशनल बैंक में और जो काम नियम के मुताबिक नहीं होने चाहिये वे सारे के सारे काम हुए हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि अनेकों आर्डर इसमें गिनाये गये हैं, जिनको एक-एक कर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक भदोही में श्रीकृष्ण मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल

कंस्ट्रक्शन कंपनी बनी हुई है। मैंने उसका पता लगाने की कोशिश की, बेचन राम जी से भी संबंध स्थापित करने की कोशिश की, उनके भाई मेवा लाल जी से भी संबंध स्थापित किया। उनका कहना है कि उस नाम की कोई कंपनी भदोही में नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि इस कंपनी के जरिये से जो सामान लिया गया उसका रुपया किसने लिया? इसकी जांच होनी चाहिये। क्या जिसने रुपया लिया वह किसी मंत्री का ड्राइवर रहा या अभी भी उनके परिवार में सर्विस में कहीं लगा हुआ है या नहीं। इन बातों की जानकारी होनी चाहिये। इन बातों को छिपाने से काम चलने वाला नहीं है। यह ऐसे तथ्य हैं कि जो सर पर चढ़ कर भूत की तरह बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री या मंत्री के रिश्तेदार या जिस कंपनी में मंत्री लोग शेयर होल्डर्स रहे हों उनको अगर ठेके दिये जायंगे तो यही होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा इंजीनियर होगा कि जो माल पहुंचे बिना रुपया एडवांस कर दे? वह क्यों एडवांस करेगा यह भी एक सवाल है। जब तक उसकी सर्विस की सेक्योरिटी नहीं होगी वह ऐसा नहीं करगा। जब वह समझेगा कि मंत्री का वरदहस्त हमारे ऊपर है तभी वह ऐसा कुछ कर सकता है। मैं, अनेक उदाहरण हैं उनको नहीं दे रहा हूं, केवल इशारा कर रहा हूं।

मेरे पास सेन्ट्रल गवर्नमेंट की फाइल के कूछ कागजात है, मेरे पास प्रांविंशियल गवर्नमेंट की फाइल के भी कागजात हैं और मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट की टिप्पणी है। श्री जी० एस० माथुर के संबंध में इन तीनों फाइलों को देखने से ज्ञात हो जायगा, साबित हो जायगा कि इन्होंने साढ़े ८ लाख रुपया बिना ठेके के पूरा हुए एडवांस कर दिया है जब कि हयात साहब ने ऐसा करने से मना किया था। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि सभी कुछ सरकारी फाइलों में मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वह यह कि इस साढ़े ८ लाख में से ७५ हजार रुपया माथुर साहब के पास पहुंच गया है और मुझे पता लग रहा है कि वह यहां अप्वाइंट (नियुक्त) किये जा रहे हैं बिजली विभाग में.....

श्री अध्यक्ष---आप वैयक्तिक आक्षेप न करें।

श्री बेचनराम गुप्त---एक व्यवस्था का प्रश्न है। माथुर साहब यहां सदन में नहीं हैं और उन पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या यह उचित है?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे स्पष्ट करने को मौका दें। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आपने व्यक्तिगत आक्षेप शुरू कर दिया।

श्री राजनारायण---मैं एक लाइन में, श्रीमन्, यह फाइनेंस डिपार्टमेंट की नोटिंग पढ़े दे रहा हूं। वह यह है---

"....for the supply of two turbo generator sets for Harduaganj Steam Station. An advance payment of Rs. 8. 5 lakhs has also been made to the firm at the time of placing the order after obtaining a bank's guarantee."

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस तरह की व्यवस्था रहेगी, इस तरह के अफसरान रहेंगे, जब तक उनको शील्ड (बचाने) करने की कोशिश होती रहेगी तब तक कोई विकास नहीं हो सकता, वरना इसके आधे रुपये में सारा काम चल गया होता। इसलिए उनको पैसा नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सप्लीमेंटरी बजट की कापी देखी है और मुझे बड़ा खेद होता है कि उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो कि चायना सरकार से मिला हुआ है उसका जिक्र मैं अधिकतर कहीं भी नहीं देखता हूं। अगर कोई प्रावीजन इस सप्लीमेंटरी बजट में रखा गया है, तो मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह बिलकुल

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

नेग्लिजिबिल है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों के सामने जो हमारी तरक्की इस ८–१० साल के दौरान में हुई है उसका नक्शा इस सदन में पेश करना चाहता हूं ।

हमारे पौड़ी गढ़वाल में एक सरकारी इंटर कालिज है, जो सन् ४२ से चल रहा था और सरकारी खर्चे पर चलता था । सन् ५०–५१ में हमारी सरकार ने वह कालिज वहां से उठा कर मालूम नहीं किस जिले के सुपुर्द किया है—यह तो हमारी शिक्षा की तरक्की है । पौड़ी में सन् ४६ में गवनमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खुला । उसके लिये १९४६ में जमीन अक्वायर की गयी और उसका कम्पेंसेशन दिया गया और वह जमीन आज तक जैसी की तैसी पड़ी है जबकि किराये के मकान पर वह हायर सेकेंडरी स्कूल चलता है । लड़कियों की तादाद बढ़ गयी, बैठने की वहां कोई जगह उनको मिलती नहीं है, बाहर मैदान में क्लासेज चलती हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह व्यवस्था कब तक चलेगी ? शिक्षा मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जिन स्कूल और कालेजों के नाम—१९४६ को छोड़ दीजिये, १९५६ तक नहीं थे, वह स्कूल और कालेज कागजात में रात को बनते हैं और सुबह को यू० पी० असेम्बली के बजट में पेश हो कर तीसरे रोज खुल जाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं । यह हमारा न्याय है । उसका यह नक्शा हमारे सामने है ।

अब मैं फारेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं । हम बड़े प्रेम और सहृदयता के साथ, बड़े दोस्ताने तरीके से आपके पास कई बार गये । हमने अपने जिले की और अपने पहाड़ी इलाकों की मुसीबतें और तकलीफें आपके सामने पेश कीं—जबानी पेश कीं, लिखित पेश कीं—लेकिन आपका पत्र मेरे पास मौजूद है और उस पत्र के कंटेंट्स को दख कर हमें बड़ा खेद होता है कि माननीय मंत्री जी ने आज उन मसलों पर थोड़ा भी गौर करने की कोशिश की होती तो वहां के लोगों को कुछ न कुछ राहत अवश्य मिली होती । लोगों को जंगलों में इतनी दिक्कतें पेश हो गयी हैं कि रोज उनके चालान होते हैं, उनके गांव की बस्ती तक सरकार ने अपने तार लगाये हैं और उनकी गाय चराने के लिए कोई जमीन नहीं छोड़ी है, यहां तक कि पीने के पानी के सोते जहां से रोज वह पानी लिया करते थे वहां तार घेर कर उस पानी तक जाने के लिए भी रुकावट पैदा कर दी । अध्यक्ष महोदय, गढ़वाल जिले में बरसार कालोनी है जहां पर एक नरसरी बन रही है । सरकारी अफसरों की नजर से वह गुजरी है । वहां पर एक पानी का सोता था उसको चारों ओर से तार घेर कर बन्द कर दिया गया है और वहां के लोगों को उसका पानी इस्तेमाल करने से वंचित किया गया है । एक बार नहीं कई बार इस बात को मंत्री महोदय के ध्यान में लाया गया, इसकी लिखित रिपोर्ट भी उनके दफ्तरों में मौजूद है, खुद मैंने बात-चीत की है, लेकिन आज कई वर्षा बीत जाने पर भी उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली । वहां पर लोगों की जमीन को जबरदस्ती कालोनी में इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से उन लोगों पर जो जुल्म होते हैं उनको सरकार के सामने रखा जाता है, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मुसीबतों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, दूर करने की बात तो दूर रही ।

अब मैं इर्रीगेशन के मुताल्लिक दो बातें कह देना चाहता हूं । अगर सिंचाई मन्त्री यहां पर हों तो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आज १० वर्ष का समय बीत जाने पर भी हमारे जिले गढ़वाल में एक इंच गूल भी खुदी ? मैं चैलेन्ज करता हूं कि वह बतायें कि कहां खुदी । आपके इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का एक पूरा गढ़वाल डिवीजन खुला हुआ है, वहां पर आपके अधिकारी भत्ता बनाते और चक्कर काटते रहते हैं और जो गूलें पहले की बनी हुई हैं उनमें पानी चालू नहीं है । लाखों रुपया जाया किया गया है, इसका हमें बड़ा अफसोस है ।

अब मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की कुछ बातें कहना चाहता हूं । सरकार की तरफ से बताया गया कि तुम अपने मसलों को हल करने के लिये सरकार के हाथों को मजबूत करो और श्रमदान दो । मेरे जिले में लोगों ने जान तोड़कर काम किया, उन्होंने मोटर की सड़कों का निर्माण

किया जिस पर आज भी मोटर चलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर डाक्टर सम्पूर्णानन्द खुद वहां तशरीफ ले गये थे, उन्होंने खुद देखा कि हमारे जिले के लोगों ने बांघाट से पौड़ी तक मोटर की सड़क तैयार की, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनता मेहनत करके एक चीज तैयार करती है उसको यह सरकार सम्हाल भी नहीं सकती। मैं पूछता हूं कि क्या वह इलाका यूनियन सरकार के अन्दर नहीं है, क्या मन्त्री महोदय सोये रहते हैं, क्या उनकी मेजों पर कोई फाइल नहीं होती ? अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मन्त्री महोदय फाइलों को कभी उलटते, अगर उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश की दुर्दशा पर गौर किया होता, इस ओर कभी वह निगाह डाले होते तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बेइन्साफी कभी नहीं हो सकती थी। मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय अपनी कुर्सियों को इस प्रकार से पकड़े हैं कि कहीं वह खिसक न जायं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह यहां पर कुर्सियों को सम्हालने के लिये बैठे हैं या इस देश और प्रदेश को सम्हालने के लिये बैठे हैं ? आप खुद फैसला कीजिये कि आया मुल्क को सम्हालना है या कुर्सी को सम्हालना है।

इससे आगे मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बहनों ने, माताओं ने और मजदूरों ने तीन सड़कें फावड़े, गैंठी सबल लेकर, पहाड़ को तोड़कर तैयार कीं––जैसे पौड़ी––देव प्रयाग इत्यादि, लेकिन क्या आज तक सरकार की ओर से उन सड़कों के लेने के लिये कोई प्रयास हुआ ? मैंने इसके मुताल्लिक नेहरू जी को पत्र लिखा और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को बताया कि इन सड़कों को टेक-ओवर होना चाहिये। लेकिन चीफ मिनिस्टर मुझ पर नाराज होते हैं कि आप नेहरू जी को कैसे पत्र लिखते हैं, आपको उन्हें पत्र नहीं लिखना चाहिये था। (लाल बत्ती जलने पर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैंने आज तक कभी अधिक समय नहीं मांगा। आज पहली बार ही अर्ज कर रहा हूं कि मुझे ५ मिनट का समय और दे दीजिये क्योंकि हमारा दर्द और दुःख इतना भरा हुआ है कि सहा नहीं जाता। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अवश्य अधिक समय मिलना चाहिये।

मैं यह बताना चाहता था कि कहा गया कि हम सड़कों पर खर्च कर रहे हैं। श्री गिरधारी लाल जी के पास गया, कागजात को देखा लेकिन सड़कों में कहीं कोई प्रगति मुझे दिखायी नहीं दी। कई मार्ग जिनके लिये हमने अर्ज किया था उनमें कोई प्रगति नहीं हुई। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने इस प्रदेश के नुमाइन्दे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास का भार आपके कंधों पर है। गढ़वाल के इलाके में तीन चौथाई भाग ऐसा है, जो सड़कों से मिला हुआ नहीं है। वहां के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि पौढ़ी हेडक्वार्टर से मिलाने के लिये सड़कों का निर्माण हो तभी यह संभव हो सकता है कि इन्टीरियर के लोग गढ़वाल के लोगों के संपर्क में आकर आग बढ़ सकें। पौड़ी से थलीसैंण मोटर मार्ग बनना चाहिये।

अभी तक वहां एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा हुआ है और करोड़ों रुपये की संपत्ति वहां वैसे ही पड़ी हुई है, लेकिन सरकार की ओर से उसके एक्सप्लायटेशन के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैंने इन सब बातों को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों को, नेहरू जी को लिखा और कहा कि नेहरू जी वह समय बताइये कि इन गरीबों के लिये स्वतंत्रता कब आयेगी। आप कहते हैं कि मुल्क आजाद हो गया ! मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे आजाद हो गया ? आज भले ही नेहरू जी और मुख्य मंत्री जी क्यों न कहें लेकिन उनका नंगापन वे दूर नहीं कर सके है, उनकी निरक्षरता को दूर नहीं कर सके हैं। आपने उनके जीविका के साधनों को विकसित करने का प्रयत्न नहीं किया है। आज १२ साल लिखते-लिखते हो गया लेकिन सरकार की ओर से अभी तक जूनियर हाईस्कूल बुगंधार चौथान में नहीं खोला गया। क्या सरकार सोई हुई है ? वह सोई ही हुई है नहीं तो चिट्ठी मौजूद हैं, रिजोल्यूशन मौजूद हैं लेकिन कोई जबाव उनका अभी तक नहीं मिला। अगर वे सोये हुए नहीं तो कुर्सी पकड़े हुए हैं कि कहीं भाग न जाय। पोलीटिकल रेस लगी हुई है। कोई डिप्टी मिनिस्टर है तो मिनिस्टर बनने की फिक्र में और कोई मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर होने के सपने देख रहा है। चौबीसों घंटे इन्हीं सपनों में पागल हो रहे हैं। मैं

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

कहता हूं कि इस तरह से आप मुल्क के लिये अभिशाप बने हुए हैं और अगर आप कुर्सी को छोड़ दें तो मुल्क के लिये वरदान हो सकते हैं। क्या हमारा ऐसा नैतिक पतन हो रहा है? क्या हमारे अन्दर ईमानदारी नहीं रही है? क्या हम मुल्क के नुमायन्दे कहलाने लायक हैं? क्या हम अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहे हैं? इसका मुझे अत्यन्त खेद है।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त बोलने की मेरी तबियत है लेकिन डर लगता है क्योंकि जब मैं उधर से बोलता था तो इधर के लोग मेरी मुखालफत करते थे और जब इधर से आज बोलता हूं तो उधर के लोग मेरी मुखालफत करते हैं, लेकिन आज में ऐसा बोलूंगा कि ये भी मुखालफत करेंगे और वे भी मुखालफत करेंगे। इसलिये तबियत डरती है कि कोई साथी नजर नहीं आता। इसलिये जिन शब्दों को मैं अर्ज करूं उसको केवल पार्टी के नजरिये से न देखिये, सिर्फ दलील की कसौटी पर उसको कसें। मैंने अक्सर सुना, भाई राजनारायण जी यहां बैठे हैं मुझे बड़ी खुशी है, आप किसी विषय पर जब व्याख्यान देते हैं, चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ नो-कांफीडेंस मोशन हो, या बजट हो या भुखमरी का सवाल हो, आप हर जगह यह बात जरूर कहते हैं कि किसी मंत्री के साहबजादे हैं और उनके साथ किसी आफिसर के भाई या उनके कार्यालय के कर्मचारी रियायत करते हैं। इस तरह से वे पैसा कमाते हैं और शान से रहते हैं। ठीक है, बात सही है, इंग्लैंड के लोग काफी लिहाज भी करते हैं जबकि हमारे यहां नहीं करते हैं। वे लोग कोई शिकायत करे तब नहीं, बल्कि वे गलतफहमी से बचते हैं। बात सही भी है कि आदमी के लिये इतना काफी नहीं होता कि वह अच्छा रहे बल्कि यह भी जरूरी होता है कि लोग उसे अच्छा जानें। यह सही है, इसे मैं मानता हूं लेकिन हुजूरवाला, बड़े लोग तो रिवाज को बनाते हैं। हम इंगलैंड की हरूफ ब हरूफ नकल नहीं कर सकते हैं। हम तो उसकी नकल करेंगे जो अच्छा होगा, ठीक होगा। चूंकि इंग्लैंड में होता है इसलिये हरूफ ब हरूफ उसकी नकल हम करें, इससे तो नुकसान हो जायगा। जो रिवाज बुरा होगा उसे हम नहीं मानेंगे, लेकिन जो अच्छा होगा उसे जरूर मानेंगे। जरा गौर फरमायें आप, मिनिस्टर का लड़का होना कोई गुनाह है, कोई गलती है?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर नाम वे न भी लें तो भी आप उस विषय को पुनः रगड़ें, इस तरह की कोई बहस नहीं होना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल--मैंने कोई नाम तो नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष--लेकिन बार-बार आप किसी मिनिस्टर का संकेत तो कर रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--श्रीमन्, मैं बार-बार नहीं कर रहा हूं। मैं तो उनकी बात का जबाव दे रहा था।

श्री अध्यक्ष--आप उनकी ओर से जबाव न दें, वे खुद जवाब दे लेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल--उन्होंने जबाव नहीं दिया, तभी तो जबाव दे देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह कोई तरीका नहीं है। आप अपने विषय की तरफ ही आ जाइये।

श्री सीताराम शुक्ल--अच्छा मैं उसे छोड़ देता हूं। इंगलैंड के जो स्पीकर हैं वे इन सब चीजों से अलग रहते हैं, किसी मीटिंग में नहीं जाते, किसी पार्टी में पार्ट नहीं लेते। लेकिन टंडन जी जब यहां स्पीकर होकर आये तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हम यहां नया रिवाज स्थापित करेंगे। हम पार्टी में भाग लेंगे लेकिन यहां स्पीकर के स्थान पर बैठ कर निष्पक्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहेंगे। उन्होंने यह भी चैलेंज किया था कि अगर किसी को भी मेरे ऊपर शुबहा पक्षपात करने का हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस अदरणीय सदन के किसी भी सदस्य ने उन पर अविश्वास नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है कि किसी उच्च पद पर पहुंच जाना गुनाह नहीं है। न मालूम कितनी बार उसने जेल की सजा भोगी होगी, अगर उसे कहीं गोली लग गयी होती तो उसके बच्चों को आज कोई खाने के लिये भी नहीं पूछता। कितने ऐसे देशभक्त हैं जिनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, उन्होंने जेलखाने में ही अपनी जिन्दगी गुजार दी, बिलकुल बर्बाद हो गये, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आज यह बाल की खाल निकाली जा रही है कि वे अपने पावर को मिसयूज करते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। मुखालफत जो है वह टु दि प्वाइंट होनी चाहिये, हेल्दी होनी चाहिये। गांधी जी ने कहा था कि खद्दर पहनो, देश से छुआछूत के कलंक को दूर करो जिसे यहां के लोगों ने अपनाया। इस बीच में बहुतों को सजा मिली, वे जेल गये। तो किसी मिनिस्टर का लड़का होना गुनाह नहीं है। बुरी चीज बुरी होती है और अच्छी चीज अच्छी ही रहती है।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)---अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सम्मुख जो अनुपूरक अनुदान उपस्थित किया गया है उस पर अपना विचार व्यक्त करने के लिये जो आपने मुझे मौका दिया है इसके लिये मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। श्रीमन्, मझे इस सम्बन्ध में दो चार बातें कहनी हैं, इससे ज्यादा नहीं।

जहां तक कृषि नीति का सम्बन्ध है, आज सरकार ने कृषि सम्बन्धी मशीन बनाने के लिये ८० हजार रुपये का अनुदान दिया है। लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय सदन के सम्मुख यह बात रखना चाहता हूं कि जबतक आप अपने इन कर्मचारियों द्वारा उन जिलों के ब्लाक्स और छाया ब्लाक्स में और वहां के कोने-कोने में उन कर्मचारियों द्वारा घर-घर में कृषि सम्बन्धी प्रचार नहीं करायेंगे तबतक कृषि का उत्थान नहीं हो सकता। १२ वर्ष से अन्न उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और यह चीज इस सरकार के सामने ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार के सामने भी है। जबतक कृषि की पैदावार नहीं बढ़ेगी तबतक देश की तरक्की और खुशहाली सम्भव नहीं है, जब खेती की समस्या हल होगी तभी भारत में बड़े-बड़े कल कारखाने सफल हो सकते हैं, परन्तु १२ साल में जो कुछ यहां पर कृषि उत्थान के लिये हुआ है वह केवल नाममात्र के लिये ही हुआ है, केवल आकड़ों के जाल में फंस कर मंत्री महोदय ने यू० पी० के और हिन्दुस्तान के कृषि उत्थान को सिवा पीछे ले जाने के अलावा आगे ले जाने की कोशिश नहीं की है।

मैं आपका ध्यान प्रदेश के पूर्वी इलाकों की तरफ दिलाऊंगा, वहां पर कभी जोर की बाढ़, कभी सूखा यह दोनों चीजें वहां आया करती हैं, किसानों की कमर टूट चुकी है लेकिन मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि सूखा और बाढ़ को रोकने के लिए कौन सा प्रबन्ध हुआ है? जो छोटी-छोटी नदियों पर बांध बनाये गये हैं, मैं गाजीपुर जिले से आता हूं, बलिया और गाजीपुर बोर्डर पर टोंस नदी है जहां पर एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ नहीं है और इधर के किसानों की तमाम फसल बाढ़ से बरबाद हो जाती है। बाढ़ योजना जो सरकार ने बनाई हैं उसके द्वारा बाढ़ पीड़ित इलाकों को खुशहाल करने के लिये कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार ने यहां के नागरिकों के सामने रखी हैं?

आज प्रदेश की हालत यह है कि यहां घनघोर सूखा पड़ा है, लेकिन नहरों के जाल बिछाने की बात कही जाती है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह बड़े गर्व से कहते हैं कि प्रदेश में सिंचाई का इतना प्रबन्ध हुआ है कि नहरों का जाल बिछा दिया गया है। आज घनघोर सूखा पड़ा हुआ है और किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं और अकाल के बादल प्रदेश के सिर पर छा रहें हैं, ऐसे समय में वह सिंचाई योजना कहां है? किसान को क्यों आजतक पानें नहीं दिया गया? दोहरी घाट पम्प केनाल जो आजमगढ़ में है वहां आज के कुछ दिन पहले यह बात प्रकाशित हो चुकी है कि एक बार वह नहर चलाई

[श्री रघुवीरराम]

गई थी तो उस पर २१,००० रुपया खर्च हुआ और इस पर वहां के कर्मचारियों ने कहा कि यह नहर नहीं चलाई जायगी और आजतक नतीजा यह है कि एक बूंद पानी भी किसानों को नहीं दिया गया । जबतक कि कृषि के लिये किसान को ठीक समय पर पानी नहीं दिया जायगा, जब तक उस को अच्छा खाद नहीं दिया जायगा, जब तक उसको हर प्रकार की सुविधा नहीं दी जायगी तबतक किसान खेती में तरक्की नहीं कर सकता । रबी अभियान और खरीफ अभियान चलाये जाते हैं, जापानी ढंग से यहां खेती कराई जा रही है, मैं कहता हूं कि हमारे यहां की और वहां की जलवायु क्या यकसां हो सकती है जब कि वहां कुछ महीनों पानी पड़ता रहता है ? मान्यवर, उन कर्मचारियों को रखकर जिनको कि भूखी नंगी जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाकर तनख्वाह दी जाती है, क्या कार्य होता है ? रस्सी से नपवाकर धान रोपवाते हैं । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर जापानी तरीके से खेती पनप सकती है ? नहीं पनप सकती है ।

मान्यवर, पूर्वी इलाकों की ओर खासतौर से मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां पर यातायात के साधन बहुत कम हैं । गाजीपुर जिले में नाम-मात्र को हैं । अगर हम कलकत्ता, बम्बई या दूसरें शहरों से कोई सामग्री मंगवाना चाहते हैं तो जो चीज दो चार छः रोज में प्राप्त होनी चाहिए वह तीन-तीन और चार-चार महीने में प्राप्त होती है । इसकी ओर ध्यान दिया जाय । साथ ही गंगा नदी के ऊपर तारी घाट पर पक्का पुल बनवाने की योजना के लिये जल्द से जल्द केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय नहीं तो वह इलाका बिलकुल यातायात से वंचित पड़ा हुआ है ।

उद्योग-धंधों के बारे में मैं कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज हमारी सरकार को उद्योग-धंधों के लिये भारत सरकार ने दो करोड़ रुपया दिया है । लेकिन आज यह उद्योग-धंधे यू० पी० में कुछ शहरों तक ही सीमित हैं । कानपुर में चमड़े और कपड़े का उद्योग है । इसके अलावा कौन ऐसे शहर हैं जहां पर गरीबों के लिये कल कारखाने खोले गये हैं, जब कि पूर्वी इलाके के लिये दो करोड़ रुपये में १६ लाख कुछ हजार रुपया दिया गया है ? वहां पर हाथ करघे चलाने वाले जो बुनकर होते हैं वह हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं । पूर्वी इलाके में सूत या कपड़े का कारखाना अगर खोल दिया जाय तो वह अपनी रोजी आसानी से पैदा कर सकते हैं । इसके लिये समितियां बनानी चाहिए और निश्चित बाजार होने चाहिये जहां उचित मूल्य पर माल बिक सके । इन बुनकरों की दशा देखने से आंखों में आंसू आ जाते हैं । (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि २-४ मिनट और दे दिये जांय ।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, भारत सरकार की तरफ से यू० पी० में शिक्षा बढ़ाने के लिये कोशिश की गई है । गवर्नर महोदय की स्पीच में इसी हाउस में कहा गया कि छठवीं तक शिक्षा निःशुल्क होगी । उस समय माननीय सदस्यों द्वारा दो तीन मिनट तक मेज थपथपाई गई थी और यू० पी० के सारे छः करोड़ नागरिकों में आशा की भावना पैदा हो गई थी कि ११ वर्ष बाद हमारी सरकार शिक्षा के संबंध में ध्यान दे रही है । लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने अब उसको भी खत्म कर दिया । मुझे आशा है वे ऐसा नहीं करेंगे । विश्वविद्यालयों के ऊपर सरकार रुपया खर्च करती है, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जो जनता देहातों में, कस्बों में बसती है इसके लिये प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल भी नहीं है और अगर है भी तो किसी की इमारत नहीं है, किसी में बच्चों के बैठने का प्रबन्ध नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान दें ।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं । किस भी देश में, चाहे जहां का इतिहास देखें तो मालूम होता है, प्रजातंत्र के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अच्छे देश जो रहे हैं, उनके यहां हमेशा बजट में अधिक अनुपूरक बजट बनाने पड़ते हैं इसलिये कि उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता रहता है । हमारी सरकार ने प्रदेश में जो ९, १० साल में किया है सभी जानते हैं । सड़कों का निर्माण हुआ, पुल बने, सिंचाई की योजनायें कार्यान्वित हुई, उनमें वृद्धि हुई लेकिन फिर भी यह कहा जाय कि सरकार ने क्या किया तो यह अच्छा नहीं मालूम होता । बार-बार यह कहना कि पूर्वी इलाके में कुछ नहीं हुआ, शोभा नहीं देता ।

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए ।)

मैं पूछता हूं कि क्या पहले अंग्रेजों के समय में वहां बाढ़ नहीं आती थी ? उनकी स्थिति ही ऐसी है कि उत्तर पश्चिम का सब पानी वहां आता है और इसीलिये बाढ़ आती है । लेकिन पहले से काफी रुकावट है, हर जगह रोकने की कोशिश सरकार कर रही है । यह अगर कोई कह दे कि प्रकृति के रोष को इस सरकार ने आज तक नहीं रोका तो क्या अमेरिका, चीन आदि देशों में, जिन देशों का बार-बार नाम लिया जाता है और जहां पैसा भी अपार खर्च किया जाता है, प्रकृति के कोप को क्या रोक दिया गया ? कौन नहीं जानता पहले जिले में १ या २ अस्पताल थे लेकिन अब हर ५, ६ मील पर अस्पताल खुल रहे हैं, उसमें क्या इस प्रदेश का रुपया नहीं लगा ? एक-एक मील पर प्रारंभिक स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, जूनियर स्कूल बढ़ते जा रहे हैं हायर सेकेन्ड्री स्कूल बढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, क्या यह बजट का रुपया नहीं है ? यह क्या इस सरकार के काम नहीं हैं ?

प्लानिंग के काम में देखा जाय, जहां नियोजन को कामयाव देखते हैं वहां गांवों में भी छोटी-मोटी सड़कें बनाई जा रही हैं, पानी पीने के कुंये बनाये जा रहे हैं, छोटी-मोटी पुलियां भी बन रही हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वहां न हो रहा हो । प्रदेश के सब लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर गरीबी थी और आज भी है । इस प्रदेश के अन्दर खाने भर के लिये गल्ला पैदा नहीं होता था और न आज होता है। मैं पूर्वी जिलों की बताता हूं चाहे बनारस हो, चाहे गाजीपुर हो, बलिया, गोरखपुर आजमगढ़, बस्ती, जौनपुर, देवरिया कोई भी हो सभी जगह खाने भर के लिये गल्ला अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था और आज भी नहीं होता । हां, प्रकृति के प्रकोप से हिम्मत के साथ हमारी गवर्नमेंट लड़ती है और उसी से जनता को भरोसा होता है । छोटी-मोटी दूकानें खुल जाती हैं, कभी गल्ला मिल जाता है, कभी लगान में भी छूट हो जाती है लेकिन अगर कोई यह कह दे कि जितना गल्ले का नुकसान हुआ वह गवर्नमेंट पूरा करे तो यह गवर्नमेंट चाहते हुये भी कहां से दे सकती है ? हम कह दें कि किसानों का खलिहान जल गया और इतना नुकसान दे दो, वह कहां से देगी ? क्या आप अपने बजट को नहीं जानते ?

अनुपूरक बजट जो प्रान्त में लाया जाता है वह किस लिये लाया जाता है ? वह इसलिये लाया जाता है कि जो काम बाकी है वह पूर्ण हो जायं । कभी कहा जाता है कि सन १९५७-५८ और १९५४-५५ में कभी रुपया ज्यादा खर्च हो गया या रुपया नहीं खर्च हुआ । ठीक बात है नहीं खर्च हुआ या अधिक खर्च हो गया । जहां देश में कमी महसूस हुई वहां अधिक खर्च हुआ और जहां कारीगर नहीं मिले और टाइम से मजदूर नहीं मिलते वहां हो सकता है कि रुपया बाकी बचा हो और रह जाता है, लेकिन इस चीज को कह देना कि यह सरकार एक इंच भी आगे नहीं चल रही है और सारा बजट इसका अंड-बंड चल रहा है और सारा खर्च, इधर-उधर हो रहा है मैं, इसको मानने को तैयार नहीं हूं ।

मैंने भी देखा है, मैं भी पूर्वी इलाकों में रहता हूं और मैं भी चौबीसों घंटे समय उसी काम में देता हूं जिसमें आप देते हैं और सन् १९३० से इस चीज को देख रहा

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

हूं कि हमारा देश क्या था और आज कितना आगे बढ़ा है। लेकिन आज यह कह दें कि हम रूस के मुकाबले या अमेरिका के मुकाबले नहीं हैं तो या तो हम और आप आपस में मिलकर अधिकांश आदमियों को इस काम में नहीं लगायेंगे ...

(व्यवधान)

आप दूसरों को जितना सुनाते हैं उतना आप भी तो सुनिये। तो मैं यह कह रहा था कि क्या उन मुल्कों की जनता काम नहीं करती जिनका नाम हम बहुत लेते हैं ? क्या वहां की जनता टैक्स नहीं देती ? क्या वहां की जनता स्कूलों में ठीक से नहीं पढ़ती ? तो एक ओर हम कहते हैं कि हमें टैक्स न देना पड़े चाहे वे लोग टैक्स देते रहें, लेकिन दूसरी ओर वैसा ही काम हो जाय जैसा और मुल्कों में हो रहा है, यह चाहते हैं। स्कूल भी खुल जांय, सड़कें भी खुल जायं, सड़कें गलत भी न हों, पुल भी न टूटें तो यह तो नामुमकिन चीज है। पुल टूटेंगे, स्कूल बनेंगे और बिगड़ेंगे भी, जहां आप निर्माण का काम करेंगे आपको वहां रुपया भी बजट में रखना होगा और उसको पास करना होगा। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि यह बधाई की पात्र है। जिस सरकार ने ९, १० साल के अन्दर इस प्रदेश में जो चीजें नहीं थीं वह सब कीं। बड़ी-बड़ी सामन्तशाही, बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों की ताल्लुकेदारी और जमींदारी खत्म हुई। किसने खत्म की ? की तो इसी सरकार ने।

आज इतना सहकारी आन्दोलन चल रहा है, एक में मिल कर खेती करने का तरीका बतलाया जा रहा है, क्या यह गलत साबित होगा ? लेकिन हम और आप कहते हैं कि गलत है, तो कोई रास्ता तो बतलायें, एक जगह तो रुकें। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक छोटा-सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में सड़कों की कमी है और हर साल वे सड़कें बिगड़ा करती हैं और इसका कारण यह है कि वहां पानी का बहाव ज्यादा है, कच्ची सड़कों पर पुलियों की कमी है। हमारे जिले में ४०–४०, ३०–३० मील कच्ची सड़कें हैं जैसे केशवपुर बंधवा रोड और सुजानगंज-मछलीशहर-मंडियाहू रोड। इन सड़कों पर कहीं पुल नहीं है और कहीं चलने के रास्ते नहीं है। मैं निर्माण मंत्री से अपील करूंगा कि वे इन सड़कों को बजट में लेने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अपील करूंगा कि वह इन अनुपूरक बजट को पास करे।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, जो अनुपूरक अनुदान उपस्थित किया गया है मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। उसमें जो जंगल के लिये ग्रान्ट मांगी गयी है उस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि देहात में जो जंगल राज्य सरकार में निहित हो गये हैं उनमें से वहां की जनता के लिये कृषि-कार्य तथा जलाने के लिये लकड़ी मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वहां के लोग गोबर अधिक जलाते हैं जो खेती में खाद के काम में आता है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा जैसे जब जमींदारी के जंगल थे तो उनको कृषि कार्य, भवन निर्माण तथा जलाने आदि के लिये लकड़ी मुफ्त मिलती थी उसी प्रकार से सरकार एक खास आदेश जारी करके देहाती क्षेत्र में जो जंगल है वहां से लकड़ी दिलाने का प्रबन्ध करे।

अब मैं सिंचाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बूढ़ापार और सादुल्लानगर में कोई भी सिंचाई के छोटे-छोटे साधन नहीं हैं। इसके बारे में मैंने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वह क्षेत्र इतना उपजाऊ है कि अगर वहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह प्रदेश के अन्नोत्पादन में बड़ा सहायक हो सकता है। इस अन्न की कमी के समय जब कि देश व प्रदेश में खाद्यान्नों की बड़ी कमी है छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये और विशेष कर के जो

कृषि कार्य के लिये तकावी आदि दी जाय उन पर किसी किस्म का सूद न लिया जाय बल्कि उनको अनुदान के रूप में भी उस रुपये का कुछ अंश दिया जाय ।

श्रीमन्, प्रशासन के विषय में मुझे यह कहना है कि आज जो जिलों के अन्दर कलेक्टर्स हैं या डिप्टी कलेक्टर हैं उनको जो जनता की ओर से या विधायकों की ओर से पत्र भेजे जाते हैं उनका वे कोई जवाब नहीं देते और जब उनका सालाना दौरा होता है तो अपना प्रोग्राम भी नहीं भेजते । सरकार द्वारा इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि जब वे अपने क्षेत्र में या जिला में दौरा करें तो वहां के प्रधानों, विधायकों और दूसरे जन-प्रतिनिधियों को प्रोग्राम भेजें ।

व्यक्तिगत पत्रों की बात मैं नहीं कहता लेकिन जो जनता से संबंधित हैं या किसी विशेष बात के लिये ध्यान दिलाया जाय तो उसका उत्तर उनको देना चाहिये । यह बड़ी खेद की बात है कि मंत्रियों के यहां से पत्रों के पहुंचने का उत्तर मिल जाता है लेकिन कलेक्टरों के यहां से कोई आशा नहीं की जा सकती है ।

पुलिस में आजकल व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है । इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं । आज जहां पर रास्ते ठीक नहीं हैं और जो थाने बहुत देहातों में हैं और जहां उच्चाधिकारी आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, वहां का थानेदार अपने को बड़ा तानाशाह और नादिरशाह समझता है । वह गांवों में पार्टीबंदी करते हैं और लोगों को तरह-तरह से परेशान करते हैं ; जो उनकी दलाली नहीं करते हैं उनके ऊपर झूठे मुकद्दमे चलाता है । मेरे यहां के थाने सादुल्लानगर में कमलापुर का एक प्रधान है उसको पहले पीटा गया और यह लिख दिया कि गिरफ्तारी के समय यह चोट इसके आई । जो मुकद्दमा उस पर चल रहा था उसमें वह अदालत से बरी हो गया । किसी आर्म गार्ड पुलिस की गठरी उठाने को उसने कोई आदमी नहीं दिया था इसलिये उसके खिलाफ झूठा मुकद्दमा कायम हुआ था । श्रीमन्, इस तरह के जो अमानुषिक व्यवहार लोगों के साथ किया जा रहा है उस तरफ ध्यान दिया जाय और इस तरह की बुराई को रोकने के लिये समुचित आदेश दिये जांय और जिनके ऊपर पब्लिक कम्पलेंट्स हों उनको स्टेशन आफिसर का चार्ज न दिया जाय ।

शिक्षा के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि देहातों की तरफ कोई ध्यान नहीं है । आजकल बड़े-बड़े स्कूल और कालेजेज शहरों और कस्बों में ही खोले जाते हैं और देहातों में स्कूल तथा हाई स्कूल कुछ भी नहीं खोले जाते हैं । प्राइमरी स्कूलों की दशा इस किस्म की है कि बच्चे धूप और मेंह में बाहर पढ़ते हैं । उनके लिये सदन की कोई व्यवस्था नहीं है और न इतना अनुदान ही दिया जाता है कि वह बन सकें । मेरे क्षेत्र में, मस्लन गौरा और दौलतपुर में, ऐसे स्कूल हैं जिनकी दशा बड़ी शोचनीय है । इमारत के नाम पर ८-१० फुट का कमरा है तथा एक छप्पर की कच्ची इमारत है । उसी में पूरा क्लास चलता है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां कि बिल्डिंग गिर गई हैं वहां इमारत बनाने लिये समुचित सहायता तुरन्त दी जाय ।

बजट में एक बात देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अध्यापिकाओं के रहने के लिये व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय सरकार से शायद १४-१५ लाख रुपया मिला है । मैं निवेदन करूंगा कि जहां अब तक घर नहीं बने हैं, वहां बनाये जायं । शहरों में तो आवास रहने के लिये किराये पर भी मिल जाते हैं लेकिन देहातों में बड़ी जटिल समस्या है । इसलिये देहातों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

पब्लिक हेल्थ के बारे में केवल ७-८ करोड़ रुपया रखा गया और हमारे प्रदेश की आबादी साढ़े छै करोड़ की है । इस तरह से आप देखें कि अधिकारियों की तनख्वाह निकालने के बाद दवा-दारू में प्रति व्यक्ति एक रुपये सालाना से बहुत कम का औसत पड़ेगा यह रकम बहुत कम है और इससे अधिक मांगनी चाहिये थी। देहातों में जो अस्पताल

[श्री रघुरमतेजबहादुरसिंह]

बनें है वहां डाक्टरों का अभाव है। एक तो डाक्टर देहातों में जाना ही पसन्द नहीं करते और जाते हैं तो जल्दी चले आते हैं। इसलिये उनको कोई कम्पेंसेशन दिया जाय और देहातों में हर पांच मील के अन्दर एक अस्पताल होना चाहिये। मेरे क्षेत्र सादुल्लानगर—बूढ़ापार में कोई अस्पताल नजदीक नहीं है। ७४ मील के क्षेत्र में केवल एक अस्पताल है, लिहाजा मैं चाहूंगा कि वहां पर अस्पताल कायम किये जायं।

इंडस्ट्री के बारे में मुझे यह कहना है कि गन्ने के उत्पादकों को बहुत कम कीमत मिलती है और जब शकर बन कर बाजार में आती है तो उसकी कीमत पर कोई रोकथाम नहीं है। गन्ना का भाव बढ़ाया जाय। बिजली के बारे में बड़ी असमानता है। लखनऊ में अगर पावर ली जाय तो चार नये पैसे का भाव है और गोंड़ा जिले में ३१ नये पैसे है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह असमानता क्यों रखी गयी है? बिजली का भाव उत्तर प्रदेश में हर जगह बराबर होना चाहिए।

सड़कों की दशा हमारे क्षेत्र में बड़ी खराब है। मैंने कई बार निवेदन किया कि रेहरा से खोड़ारा तक की सड़क, बूढ़ापार—सादुल्लानगर परगना में तथा अमघटी और सिंगार घाट का पुल बनाना परमावश्यक है। वहां की जनता ने भी दरख्वास्त दिया और मैंने भी प्रयत्न किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस क्षेत्र में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिस पर यातायात किया जाय। साल में ६–७ महीने तक वहां पानी भरा रहता है। कोई यातायात नहीं हो सकता। जनता कोई रोजगार नहीं कर सकती है। आप शहरों की सड़कों को देखिये, कितनी अच्छी हालत में हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि अब शहरों को छोड़ कर जरा देहात की ओर भी ध्यान दें जहां प्रदेश की ८५ फीसदी जनता रहती है और जो इस देश की रीढ़ समझी जाती है। अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो परम दुख की बात है। अब सड़कों का कोटा शहरों में पूरा हो चुका है, अब देहात की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहां अच्छी अच्छी सड़कें हैं, वहां बैलगाड़ी के दो पहियों का बराबर चलना कठिन है। हजार-हजार रुपये के बैल दो चार महीने में मर जाते हैं। इसलिये मेरे क्षेत्र की सड़क और पुलों को तुरन्त बनवाइये।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का इन अनुपूरक अनुदानों को पेश करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बड़ी कृपा की है, हमारे कानपुर जिले में इस साल में डेरापुर में रजिस्ट्रेशन का कार्यालय खोलने के लिये, लेकिन वहीं पर सेंगुर नदी पर पुल बनाने का किस्सा पांच साल से चल रहा है वह पुल अब तक नहीं बनने को आ रहा है। एक बड़ी जरूरी सड़क है जो डेरा तक बननी चाहिए थी। वह तो बनी लेकिन पुल आज तक नहीं बन पाया। नतीजा यह होता है कि बरसात में यातायात करीब-करीब बन्द हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर भी दिलाऊंगा कि जो सड़क बारा से सिकन्दरा को जाती है, उस पर भी पुल बनना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं प्रश्नों के द्वारा भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं। कालपी के पास जमुना के पुल के संबंध में मालूम हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बन जायगा, लेकिन उसका काम शुरू होने की नौबत नहीं आ रही है। पता नहीं इस योजना में बन पाये या नहीं। वह बड़ा जरूरी पुल है। बरसात के दिनों में यातायात बन्द हो जाता है। वही लोग जा सकते हैं जो जेब में ज्यादा पैसे रखते हैं। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से जमुना पार कर पाता है।

कानपुर एक ऐसा जिला है जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक मील भी पक्की सड़क नहीं बनी है। इस सिलसिले में पी० डब्ल्यू० डी० सेक्रेटरी महोदय जब कानपुर पहुंचे थे तो उन्होंने कह दिया आपका जिला सरप्लस जिला है। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, आप

देखें कि यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। अगर इस जिले में सड़कें ज्यादा न हों तो सारा उद्योग जो इतना परिश्रम और धन लगा कर खड़ा किया गया है, कैसे चलेगा? यह कह कर टाल देना कि आपका जिला तो सरप्लस जिला है, आपके जिले में सड़कें नहीं दी जा सकतीं, समझता हूं कि यह उस जिले के साथ अन्याय है। यह वादा किया गया था कि ९ मील सड़कें वहां बनाई जायेंगी और वह सड़कें कानपुर के इन्टीरियर में जाने वाली थीं। लेकिन उसकी भी नौबत आज तक नहीं आई। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए आशा करता हूं कि वह कम से कम उस नौ मील सड़क के टुकड़े को तो इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनवाने की कृपा करेंगे।

सिंचाई के सिलसिले में भी शिकायत है। जबसे मैं इस सदन में आया हूं, सन् ५२ से बराबर मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता आ रहा हूं कि कानपुर में सिंचाई के साधन बढ़ाये जाने चाहिए। हमें यह कहकर टाल दिया जाता है कि कानपुर जिले में नहरों की टेल्स हैं। उनसे हम अधिक पानी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे जिले में ६, ६ नदियां बहती हैं। उनके पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज तक कोई भी व्यवस्था उन नदियों के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई। यह भी नहीं हो रहा है कि छोटी-मोटी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर उनको पम्प दे दिये जायं जिनसे कि सिंचाई की जा सके। मैं सरकार का ध्यान इस आवश्यकता की ओर आकर्षित करते हुए आशा करता हूं कि उनकी व्यवस्था जरूर की जायगी और इस प्रकार अन्न के उत्पादन में एक उत्साह पैदा किया जायगा तथा लोगों को नदियों के पानी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जायगा।

बिजली हमारे कानपुर जिले के ४ कस्बों में भी पहुंची है। उनमें एक कस्बा गौसगंज भी है। लेकिन वहां एक बड़ी शिकायत इस बात की हो गई है कि हरिजन मुहल्ले और मुसलमानों के मुहल्ले में बिजली नहीं पहुंची है। आमतौर पर उनकी शिकायत है कि बड़े आदमियों को ही बिजली दी गई है। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं सरकार का हर्गिज ऐसी मंशा नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा पैसा और खर्च करके उन मुहल्लों में भी बिजली पहुंचा दी जाय तो उनकी यह शिकायत दूर हो जायगी। इस अवसर पर मैं यह भी बतलाऊं कि उन मुहल्लों में बहुत से छोटे-मोटे दस्तकार भी हैं। वह उससे अपनी दस्तकारी की भी तरक्की कर सकेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, आधे दर्जन खम्भे भी बढ़ा दिये जायं तो उनको भी हम सन्तुष्ट कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जायगा।

इस अनुदानों के सिलसिले में जो पुस्तिका बंटी है उसे मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि आप अपने प्रदेश में राशनिंग विभाग के लोगों को मुस्तकिल करने जा रहे हैं। जिन नवजवानों ने अपने जीवन के बेहतरीन दिन इस विभाग की सेवा में खर्च किये, माना कि उनमें खराबियां हैं, ऐब है, लेकिन वह सब होते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके दूर करने का भी एक इलाज यह हो सकता था कि आप उनको परमानेंट कर देते, वह अब आप करने जा रहे हैं जो बहुत पहले हो जाना चाहिये था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन कर्मचारियों की ओर जिनको आपने राशनिंग विभाग से लेकर कभी डिप्टी कलेक्टर बनाया, कभी ट्रांसपोर्ट आफिसर बनाया, कभी आपने उनको कलेक्शन का डिप्टी कलेक्टर बनाया, अब वे लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर का काम कर रहे हैं। वह बिलकुल बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़क रहे हैं। आपने उनको एक स्पेशल काम के लिए नियुक्त किया है। मैं चाहता हूं कि जब आप राशनिंग वालों को परमानेंट करने जा रहे हैं तो उन्हें भी परमानेंट करने की कोशिश करें।

एक विभाग और भी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है प्रदेशीय सोल्जर्स बोर्ड का। इसमें भी कुछ नवजवानों ने अपनी जिन्दगी लगा दी है और वह हमारे इसी प्रदेश के नवजवान हैं। इनके संबंधी फौजों में ऊंचे ऊंचे पदों

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

पर काम कर रहे हैं। ये सिविलियन्स हैं, सत्रह-सत्रह वर्ष से ये आपके काम में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस विभाग में काम करने वालों को भी आप मुस्तकिल करें और उनके क्लेम को ध्यान में रखें।

अन्त में मैं अपने स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने प्रशासकों की ओर। यह जो शहंशाह आपने बिठा रखे हैं प्रदेश के पांच बड़े-बड़े नगरों में, कृपा करके उन्हें अब आप वापस बुला लें। आशा तो यह की गई थी कि ये उन शहरों की आमदनी बढ़ायेंगे, उनके इन्तजाम में कुछ सुधार करेंगे, कुछ वहां की व्यवस्था को दुरुस्त कर सकेंगे, लेकिन आम तौर पर उनमें उन्होंने खराबियां ही पैदा की हैं। जिन लोगों को आराम करना चाहिए, पेंशन लेकर घर बैठना चाहिए, उनको फिर नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने इन नगरों के काम को बिगाड़ा है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी अब आप उन्हें बुला लेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को अनुपूरक अनुदानों को ले आने के लिए बधाई देता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज इस पूरक अनुदान पर बोलने के लिये जो आज्ञा दी है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पर इसलिये कि अनुपूरक अनुदानों का बजट जो हमारे सामने पेश किया गया है इसको मैंने बहुत ध्यान से देखा और देखने पर समझ में यह आया कि सरकार हमेशा अपने प्रत्येक बजट में यह प्रयत्न किया करती है कि खर्चे की मद को ज्यादा दिखाया जाय और आमदनी को हमेशा कम दिखाया जाय। उसका नतीजा यह होता है कि हमेशा साल में बहुत-सा रुपया बच जाता है और सरकार उसको बचत के रूप में दिखाती है। लेकिन इस पूरक अनुदान को देखने से यह पता लगा कि तमाम ऐसी चीजें जिनको सरकार अपने मन से आगे बढ़ाना चाहती है, उनको वह बढ़ा लेती है और इस बजट में उनको ही शामिल किया गया है। यद्यपि बजटिंग का नियम है कि कोई ऐसी मद पर रुपया व्यय न किया जाय जिसकी पहले से स्वीकृति न ले ली हो। अतः उसी आधार पर उसमें बहुत सी चीजें शरीक कर ली गई है और उनके लिये टोकन ग्रान्ट १०० रुपये की रख दी गई है। इस तरह से सरकार बहुत मदों को उसमें शामिल कर लेती है और बचत का रुपया उसमें खर्च के लिये दिखा दिया जाता है।

सब से पहले मैं शिक्षा विभाग को लेता हूं। उस शिक्षा विभाग में करीब २८ लाख रू० जिसमें १४ लाख पिछले साल का और करीब १३-१४ लाख इस साल का, इस पूरक बजट में कुछ आवासों के निर्माण में खर्च किया जा रहा है। यह आवास गृहों का निर्माण यद्यपि अध्यापिकाओं के लिये हो रहा है लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य और ही मालूम होता है। इसमें यह भी बताया गया है कि संविधान की धारा ४५ के अन्तर्गत जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स हैं उनके अनुसार यह निर्देश हैं कि १४ साल की उम्र तक के बच्चों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाय। यह सरकार इसको पूरा करने के लिये वचन-बद्ध है किन्तु इस संबंध में सरकार को जो कार्य करना चाहिये वह बिलकुल शून्य है। बच्चों को शिक्षा देने के लिये इसमें प्रयास नहीं किया गया है किन्तु आवासगृह बनाने के लिये जरूर प्रयत्न किया गया है और इन आवासगृहों के निर्माण के लिये २५ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिये यह रुपया खर्च क्यों नहीं किया जाता और आवास गृहों पर खर्च करके क्यों इस रुपये को बरबाद किया जा रहा है? आवास गृहों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु शिक्षा का कार्य अत्यन्त आवश्यक है। उसके लिये सरकार का ध्यान न देने की बात समझ में नहीं आई।

इसमें एक छोटी सी मद के लिये कुछ रुपया रखा गया है जिसके अन्तर्गत ४०० दाइयों को नियुक्त किया जायगा। इन ४०० दाइयों में प्रत्येक को १५ रुपया मासिक व्यय मिलेगा। यानी एक दाई आठ आना रोज पायेगी। आप सोच सकते हैं कि १५ रुपये मासिक उनको

दिया जायगा यह कितने आश्चर्य की बात है ! आजकल के जमाने में किसी भी सेवक या सेविका को आठ आना रोज देना कहां तक हमें उचित होगा। आवास गृहों के लिये तो २५ लाख रुपया रखा जाय और दाइयों के लिये १५ रुपया मासिक व्यय के लिये दिया जाय यह एक विचित्र बात है।

आज मुझे इस सरकार की परीक्षा प्रणाली के बारे में भी कुछ कहना है। प्रत्येक वर्ष हम देखते है कि हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट में ४० फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी पास नहीं होते हैं। सरकार की दूषित परीक्षा प्रणाली के संबंध में भी हमको सूचना मिली कि यहां पर एक पाइलेट एग्जामिनेशन यूनिट की स्थापना की जायगी, जिसके लिये इवेलुएशन अफसर मुकर्रर किये जायंगे। उसके लिये विशेष रूप से अमेरिका से विशेषज्ञ बुलाये गये हैं। वह यहां की परीक्षा प्रणाली में सुधार करेंगे। इस शिक्षा का मौलिक सुधार तो यह है कि इस शिक्षा प्रणाली में जो अनुचित रूप से अनुपयुक्त पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन किया जाय। यदि वह नहीं किया जाता है तो शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो सकता है चाहे यहां पर अमेरिका से विशेषज्ञों को बुलाया जाय या इवलुएशन अफसरों को मुकर्रर किया जाय। यहां पर जो परीक्षा यूनिट स्थापित किये जायंगे उनमें प्रत्येक यूनिट पर ६,००० रुपया खर्च किया जायगा। ऐसे ७, ८ यूनिट होंगे। यह ६,००० रुपया खर्च इसलिये किया जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में कुछ खास परिवर्तन किया जाय। लेकिन यह परिवर्तन मेरी निगाह से इस रूप में हो सकता है कि हम पाठ्यक्रम में उचित परिवर्तन करें और किताबों में हर साल हेरफेर करने की अपनी नीति समाप्त कर दें और परीक्षायें इस प्रकार रखें कि जो विद्यार्थियों के लिये सुविधाजनक हों।

विशेष तौर पर मैं खाद्य विभाग में जो नया अखाद्य चलाया जा रहा है, उस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो टिपिओका मेकरोनी बनाने की बातें हैं उसमें २३ लाख रुपया खर्च किया जायगा और वह आटे के साथ मिलाकर सब से पहले लखनऊ शहर में बांटा जायगा। वेजीटेबिल घी असली घी के साथ मिलता है और उससे हमारे नौजवानों का स्वास्थ्य खराब हुआ है। लकिन अब यह नया प्रयोग किया जा रहा है और इसके उत्पादन पर २३ हजार रुपया खर्च किया जायगा। इस वर्ष ही राज्य व्यापार की योजना चालू की गयी है और यह कहा गया था कि १ लाख ५० हजार टन गेहूं हम इकट्ठा कर लेंगे और २४ हजार टन दूसरे अनाज। लेकिन कुल २४ हजार टन गेहूं इकट्ठा किया जा सका और उसके लिये १४ लाख रुपया मुलाजिमों पर खर्च होगा। यह १४ लाख रुपया खर्च करके एस्टीमेट का कुल एक चौथाई गेहूं इकट्ठा कर सके।

इसके अलावा शक्कर वितरण के लिये १ लाख ८ हजार रुपया खर्च किया जा रहा है और यह इसलिये कि किसानों से गन्ना सस्ते दाम पर ले लिया जाय और मिल मालिकों को मुनाफा खाने दिया जाय और उसके बाद वितरण के नाम पर सरकारी विभागों में यह रुपया बांटा जाय।

मैं मेहरोत्रा साहब की बातों का समर्थन करता हूं और सिंचाई की क्षुद्र योजनाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मद ४६ में इनके अन्दर सरकार कई लाख का खर्च करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह क्षुद्र सिंचाई योजना के अन्तर्गत सहायता सब जगह बांटी जा रही है तो अकेले कानपुर ने क्या कसूर किया है ? वह न पूर्व में आता है, न पश्चिम में और इसी वजह से वहां का सिंचाई विभाग ठंडा पड़ गया है, मृतप्रायः हो गया है, और कभी जीवित नहीं होता। मैंने कोशिश की, सरकार का ध्यान आकर्षित किया, अफसरान से मिला कि वह विभाग जागे और १०, २० हजार की योजना स्वीकृत हो जाय, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ७ लाख ४६ हजार रुपया भिन्न-भिन्न स्थानों पर खर्च किया जायगा, लेकिन कानपुर में कुछ नहीं होगा। तो वहां न सड़कों के निर्माण के लिये सरकार के पास पैसा है और न सिंचाई के लिये। पता नहीं कानपुर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जिले ने कौन-सा पाप कमाया है ? वहां से मैं और मेहरोत्रा साहब दोनों आते हैं, हम दोनों को इसके लिये सोचना चाहिये ।

अब अनुदान में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं कि जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक सूचना संचालक का कार्यालय बन रहा है ५ लाख रुपये से । यह रायल होटल में चल रहा है, लेकिन फिर भी दूसरी इमारत बन रही है । टेपिओका मेकरोनी के उत्पादन के लिय २३ हजार रुपया खर्च करना जरूरी हो गया है । ग्राम परिवार नियोजन में ६/७ हजार रुपया खर्च किया जायगा, १५ सौ रुपये प्रति साल और प्रति यूनिट में ५०० रुपया और इसका उद्देश्य होगा गांवों में कंट्रासेप्टिव्ज बांटना । सिद्धांत रूप में तो यह बात ठीक है लेकिन इनका गांवों में बेचना और वितरण करना क्या उनमें व्यभिचार फैलाने का कारण न होगा ? लेकिन यह सरकार की नबीनता है और उसके लिये उसको यह खर्च करना आवश्यक है । मुझे आश्चर्य है कि आपके इस ३ करोड़ के अनुदान में बैक-डोर से बहुत से खर्चे हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं जो किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं हैं और जिनके लिए सरकार कहती है कि रुपया हमारे पास मौजूद है, केवल टोकेन ग्रांट रख दी । अतः यह अनुदान ३ करोड़ की अनुपयुक्त है, इसे हम नामंजूर करते हैं ।

*श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)---अधिष्ठाता महोदय, मैं ३-४ बातों की तरफ आज इस बजट के सिलसिले में आदरणीय सदन की तवज्जह दिलाना चाहूंगा । विरोधी दल की तरफ से जिस अन्दाज में आंख बन्द करके सरकार की मजम्मत की जाती है उसका तकाजा तो यह है कि हम भी खड़े होकर सरकार की कसीदाख्वानी शुरू कर दें और एक लालच पैदा होती है कि जिस शिद्दत के साथ और गहराई के साथ वाकआत को अलग करके, आंख बन्द करके, सरकार की मजम्मत की जाती है वैसे ही आंख बन्द करके सरकार की मदहसराई और कसीदा-ख्वानी शुरू कर दें, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होना-कुछ ऐसी बातें और अच्छाइयां जो सरकार में हैं, कुछ निर्माण के काम किये हैं, मुल्क कुछ आगे बढ़ा है, कुछ राहत मिली है, लेकिन उसी के साथ-साथ कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बावजूद हम अपनी इन्तहाई कोशिश के नहीं कर सके हैं, कुछ शासन में ढीलापन है---उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । अगर करें तो गलत होगा, बिलकुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे विरोधी दल के भाई आंख बन्द करके एक तरफसे बुराई और मजम्मत शुरू कर देते हैं गवर्नमेंन्ट की । वह भी अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं है ।

हमें दरअसल एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि इन ११ वर्षों के अन्दर हमें क्या अवसर मिला, कैसे लोग मिले, कैसी सर्विसेज मिलीं, कैसा दस्तूरे असासी, संविधान मिला जिसके अन्दर रहकर हमें काम करना था । जैसा मैंने एक मर्तबा और अपनी तकरीर के सिलसिले में कहा था कि अगर हम डिक्टेटरशाही कायम करते तो दो दिन के अन्दर यह बुराई दूर हो सकती थी, तीसरा दिन नहीं गुजरता, लेकिन हमारे सामने दुशवारी यह है कि हमारा संविधान रिपब्लिकन है और हमारे यहां रिपब्लिकन फार्म आफ गवर्नमेंट है । मैं एक मशहूर मुदब्बिर, हरबर्ट स्पेंसर को कोट करना चाहता हूं, वह कहता है :

"The Republican form of Government is the highest form of Government requiring the highest type of human nature—a type nowhere to be found at present."

रिपब्लिकन गवर्नमेंट को चलाने के लिए बेहतरीन किस्म के किरदार रखने वाले, बेहतरीन टाइप की फितरत दरकार है-ऐसी फितरत जो कहीं पायी नहीं जा रही है । जिस वक्त उसने लिखा था उस वक्त से आज तक मैं नहीं समझ सकता हूं कि कोई तरक्की हो सकी है, लेकिन बहरहाल हम एक एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं । रफ्ता-रफ्ता ये बुराइयां दूर होंगी लेकिन इसका नतीजा पायदार होगा । डिक्टेटरशिप की बुनियाद खौफ के ऊपर होती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक डिक्टेटर हमारे सर पर मौजूद है। जाहिर है कि २ बरस, ६ महीने के लिए जब तक वह डिक्टेटरशिप है या मिलिटरी गवर्नमैन्ट है, हमारे हालात दुरुस्त रहेंगे, रिश्वत बन्द हो जायगी, सरकारी मुलाजिम और मिनिस्टर सतर्क हो जायेंगे, एम० एल० एज० और एम० पीज० दुरुस्ती की तरफ मायल होंगे---ये सारी बातें होंगी लेकिन जहां वह मिलिटरी गवर्नमेंट हटी, डिक्टेटर की वह गिरफ्त ढीली हुई तो सारी बुराइयां सूद-दर सूद के साथ औद कर आयेंगी यह तवारीख इतिहास हमें बतलाता है। हम यह मतालबा इसलिए नहीं करते कि डिक्टेटर-शिप हम अपने ऊपर तसल्लुत कर लें। वक्त लगा और वाकई बात यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमैन्ट, रिपब्लिकन फार्म आफ गवर्नमैन्ट बहुत ही समझी-बूझी हुई बेहतरीन किस्म की गवर्नमेंट है। तो वक्त लगेगा, लगे, बुराइयां धीरे-धीरे दूर होंगी, दूर हों लेकिन इसमें दिवालियापन और बेसब्री की बात नहीं होनी चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं और उसको मैं मानता हूं कि जहां तक एक आदर्श का सवाल है, एक जमाना था जब ट्रेन में कोई कांग्रेसी गांधी टोपी लगाये हुए गुजरता था तो लोग उसके करीब आने की कोशिश करते थे कि क्या बात कह रहा है, इतनी इज्जत थी लेकिन हमें इससे भी इनकार नहीं है कि आज वह जमाना आ गया है कि अगर ट्रेन में कोई कांग्रेसी सफर करता है तो लोग दूर होने की कोशिश करते हैं। हमें इस बात से भी नहीं इनकार करना है बल्कि हमें सोचना है कि क्यों ऐसा है। उस ऊंची जिन्दगी से हम जरूर नीचे गिर गये हैं लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि इस गिरी हुई हालत में भी कितने ही उठे हुए लोगों से ऊपर हैं। हमें इसका घमंड नहीं है, हमें फिर भी अफसोस है कि उस ऊंचे मकान से हम नीचे आ रहे हैं लेकिन यह दिन रात जो हमें सुनाया जाता है कि तुम्हारा पतन हो गया, गुमराह हो गये, गड्ढे में गिर गये, कहीं के नहीं रहे तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिये। जरूर हम सोचने लग जाते हैं और हमें सोचना चाहिये कि हमें फिर वही अपने ऊंचे मकान पर पहुंचना है, लेकिन उसके साथ-साथ इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हममें कुछ कमियां आ गई हैं, हम कुछ गिर गये हैं।

तो एक तो यह बात है कि रूहानी तौर से हम गिर गये हैं, हम नीचे आ गये हैं और दूसरी बात यह कि जो गवर्नमैन्ट हमें चलाने को मिली वह रिपब्लिकन फार्म आफ गवर्नमैन्ट है और तीसरी बात यह जोकि हमारे विरोधी भाइयों को भूलनी नहीं चाहिये और उसकी तरफ मैं खास तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि यहां के ऊपर अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल तक जो हुकूमत की। वह सिविल सर्विस के जरिये से उनका हुकूमत करने का एक तरीका और ढांचा बन गया था और हमने जो अपना संविधान बनाया उसके अन्दर रिपब्लिकन फार्म आफ गवर्नमैन्ट कुछ अमरीका और कुछ इंग्लैण्ड की एडाप्ट की, लेकिन उसकी रूह जो थी वह कुछ बाकी रह गई यानी यह कि यहां की हुकूमत यह हमारी कैबिनेट नहीं करती है, ऐसा मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य जरा बजट पर बोलें, जनरल स्पीच बहुत हो चुकी है।

श्री उबैदुर्रहमान---तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यहां पर सिविल सर्विस के जरिये से हुकूमत होती है। मैं इन कठिनाइयों को रख रहा था। जो लोग बजट के मौके पर कह रहे हैं कि ग्रान्ट्स मंजूर होनी चाहिये, क्योंकि हम यह नहीं दूर करा सके, वह नहीं पूरा कर सके उनके जवाब में मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारी कठिनाइयां थीं और उनको मैंने शुमार कराया कि एक तो हमारी रूहानियत में कमी हो जाना, दूसरे रिपब्लिकन फार्म आफ गवर्नमेंट का अख्तियार करना और तीसरे यह कि गवर्नमेंट का सिविल सर्विस के थ्रू होना। इन तमाम बातों के होते हुये जो कुछ हम कर सके हैं उसको किया है और अभी कुछ करना बाकी है लेकिन यह कह देना कि तुम नाकारा हो, किसी काबिल नहीं हो, मैं समझता हूं कि एक मुबालिगा है। मुबालिगे से काम नहीं होना चाहिये, हमें बैलेन्स्ड व्यू लेना चाहिये।

[श्री उबैदुर्रहमान]

इस सिलसिले में मैं सरकार की तवज्जह दिलाऊंगा पिछड़े हुये जिलों की तरफ, खासकर बस्ती की तरफ जहां से मैं आता हूं कि वहां की भी कुछ जरूरतें हैं और जैसा अक्सर मेरे भाइयों ने इधर से भी और उधर से भी कहा है कि इस कहत के जमाने में, इस सूखे के जमाने में बड़ी सख्त जरूरत थी कि हमारा जो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट है वह इनरजाइज्ड होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आइन्दा खयाल रखा जायगा और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी इस पर नजर रखेंगे कि जब पानी की जरूरत होती है तब उन गूलों, ट्यूबवेलों और कुओं में उनको बनाने और दुरुस्त करने में न लगे रहें। इन अलफाज के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जो अनुदान पेश है उसको स्वीकृति मिलनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष १६५६-६० के अनुपूरक बजट का मैं समर्थन नहीं कर सकता। मेरे पूर्व वक्ता कांग्रेसी महोदय ने बहुत-सी बातें कहीं कि विरोधी दल हर समय नुक्ताचीनी करने का आदी है। यद्यपि मैं बजट पर कुछ दूसरे विचार प्रकट करना चाहता था लेकिन अब मैं उनके सामने बजट के आंकड़े रख कर यह पूछना चाहता हूं कि वह स्वयं उत्तर दें या उनकी पार्टी के कोई वक्ता दें। सर्व प्रथम १६३७ में चुनाव के बाद माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त ने प्रथम कांग्रेसी सरकार इस प्रदेश में बनाई थी। उस समय हमारे प्रदेश का बजट १२ करोड़ रुपये का था और सरकारी कर्मचारियों पर ७ करोड़ रुपया खर्च होता था। जब हमारा देश आजाद हुआ १६४७ में, तब इस प्रदेश का बजट ४० करोड़ का हो गया और २२ करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों पर खर्च होता था। ठीक १० वर्ष बाद, १६५७ में, हमारा बजट १२ करोड़ से बढ़ कर १०८ करोड़ हो गया तथा सरकारी कर्मचारियों पर ६० करोड़ खर्च किया और इस समय १६५६-६० का बजट जो हमने पास किया था १२१ १/२ करोड़ तक पहुंच गया। आज करीब ३ १/२ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश हैं, इस प्रकार से ५६-६० का बजट १२५ करोड़ के लगभग हो गया। तथा सरकारी कर्मचारियों पर खर्चा ६० करोड़ से भी आगे बढ़ गया है।

(इस समय २ बज कर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

यह हमारी पहली कांग्रेसी सरकार के १२ करोड़ के बजट से १२५ करोड़ होना, यानी ११३ करोड़ अधिक हो जाता है। क्या वह बतलायेंगे कि इस प्रकार हमारे प्रदेश में यह खर्चा कैसे बढ़ता जा रहा है? खैर, इतनी दूर मत जाइये। अभी २ वर्षों के ही आंकड़े रखना चाहता हूं। १६५७-५८ में प्रदेश के वास्तविक खर्चे के आंकड़े हैं ६६,४२,४३,२८२ और १६५६-६० में हैं १,२१,४७,३४,४००। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये २२ करोड़ रुपया जो कि २ वर्षों में ज्यादा खर्च हुआ, और अब यह ३ १/२ करोड़ की पूरक मांगे हैं, तो यह २५ करोड़ रुपया या २६ करोड़ रुपया अधिक खर्च होने जा रहा है। क्या यह सही नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों पर अन्धाधुन्ध रुपया खर्च होता जा रहा है? जैसे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में हम क्या कहें? अभी मुझसे पूर्व कांग्रेसी वक्ता ने कहा था कि हम काफी गिर चुके हैं और खादी के कपड़े पहनने वालों से लोग दूर भागने लगे हैं। उन्हीं के कथनानुसार उनके पतन का एक-मात्र कारण यह है कि इस प्रदेश का वास्तव में शासन यह मंत्रिमंडल नहीं करता है बल्कि बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी करते हैं। लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की ओर विरोध पक्ष के लोग उंगली उठाते हैं तो आप लोग क्यों उनके बचाव के लिये आते हैं? इसीलिये आप जनता की नजरों में गिर गये। अभी तो आप केवल यही देखते हैं कि आपकी शक्ल देखकर लोग भागने लगे हैं लेकिन वह दिन दूर नहीं जबकि आपकी छाया देखकर ही लोग दूर भागेंगे। इस लिये आप अपनी त्रुटियों को देखकर संभल जाइये। अगर आप सही रास्ते पर आ जाते हैं तो जनता फिर आपको पहिले की तरह दिलों में लाकर बैठाने के लिये तैयार रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश की वास्तविकता क्या है। यह कहा जाता है कि विकास के कार्यों पर ही हमारा रुपया अधिक खर्च होता है। मान

लीजिये कि यह ठीक है। मैं आगरा जिले की फीरोजाबाद तहसील से आता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि वह कृपा कर यह बतलावें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हो गई, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिसके भी ३ वर्ष समाप्त हो गये हैं, इन ८ वर्षों में क्या फीरोजाबाद तहसील में एक इंच भी नई सड़क बनी या नहर से या ट्यूबवैल से एक इंच भूमि में नयी सिंचाई का प्रबन्ध किया है या कोई एन० ई० एस० ब्लाक वहां खोला गया। उस तहसील से आपको लाखों रुपया सेल्स टैक्स और इनकमटैक्स के रूप में मिलता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संचालकों तथा सरकार को मैं चुनौती देता हूं और खुले शब्दों में देता हूं कि जहां आपका बजट १२ करोड़ से १२५ करोड़ का हो गया वहां आपने फीरोजाबाद तहसील में क्या किया ? जब सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है तो हम कैसे विश्वास करें कि यह रुपया सही खर्च हो रहा है ?

विकास योजना को छोड़िये। हमारी रक्षा का काम देखिये कि वह कितनी बुरी होती जा रही है। फीरोजाबाद का उदाहरण है कि १९५९ में फीरोजाबाद नगर से जिसकी आबादी १ लाख है, ७ बच्चे बीच शहर से किडनैप होते हैं। बदमाशों द्वारा उड़ाये गये हैं, पुलिस कोई प्रबन्ध नहीं कर सकी। फीरोजाबाद तहसील के बोर्डर पर रूपा और लाखन डाकुओं के गैंग आपरेट कर रहे हैं और दिन-दहाड़े डाका मारते हैं। जिस गांव को चाहा लूट लिया और लोग खड़े तमाशा देखते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि पार्टी के लीडर या उनकी ओर से बोलने वाले को १५ मिनट दिये जावेंगे और दूसरे वक्ताओं को १० मिनट होंगे और ५ मिनट विशेष रूप से और भी दिये जा सकते हैं। अपनी पार्टी की ओर से मैं बोल रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मुझे उतना समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––आपकी पार्टी के नेता नहीं बोलेंगे ?

श्री जगन्नाथ लहरी––जी हां, नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––तो ठीक है।

श्री जगन्नाथ लहरी––मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक तो रूपा और लाखन की कार्यवाहियां जमुना और चम्बल के खारों तक ही सीमित थीं, अब ये क्यों आगे को बढ़ रही हैं ? मखनपुर के पास वल्टीगढ़ में रूपा और लाखन का गिरोह दिन दहाड़े आकर लूटता है और चला जाता है। हरिया और सौराम की गढ़ी के गांव लूटे जाते हैं। डाकू गांव की जनता को वे चैलेंज देते हैं कि जाओ अपनी पुलिस और फौज को बुलाओ, और ६-६ और ७-७ घंटे का समय देते हैं कि हम उनका इन्तजार करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। पुलिस कमेटी की मीटिंग हुई तो मैंने यह सुझाव रखा कि फीरोजाबाद और शिकोहाबाद तहसील के बार्डर पर पी० ए० सी० की गश्त लगवा दी जाय अन्यथा फिरोजाबाद तहसील के कई गांवों के लूटे जाने का अंदेशा है। लेकिन बावजूद मेरे इस सुझाव के पी० ए० सी० को नहीं लगाया गया और जब हरिया और सौरम गढ़ी के गांव लूटे गये तब कुछ पी० ए० सी० लगायी गयी। जब सरकार जनता के लिये सड़कों का प्रबन्ध नहीं कर सकती, उसके विकास का प्रबन्ध नहीं कर सकती तो क्या वह उसकी जानमाल की रक्षा का भी प्रबन्ध नहीं कर सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि वह कान में तेल डाले क्यों बैठी हुई है। मैं आई० जी० पुलिस से मिला और पुलिस मिनिस्टर से भी मिला लेकिन मुझे दुःख है कि उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

शिक्षा के बारे में अभी कुछ लोगों ने कहा। हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने जो १९५७–५८ का बजट हमारे सामने पेश किया था उसमें उन्होंने कहा कि इस समय हम छठी क्लास की फीस माफ कर रहे हैं, अगले साल ७ वीं की करेंगे, फिर ८ वीं की करेंगे। इस प्रकार से दो वर्षों में जूनियर हाई स्कूल तक की फीस माफ कर देंगे। ६ ठी कक्षा की फीस तो माफ हो गयी लेकिन ७ वीं और ८ वीं के लिये हमने जनता को जो आश्वासन दिया था वह अभी तक

[श्री जगन्नाथ लहरी]

पूरा नहीं किया गया है जबकि बजट १०८ करोड़ से बढ़ कर १२५ करोड़ हो गया है, १७ करोड़ अधिक हो गया है। सरकार निःशुल्क शिक्षा की ओर तो कुछ करती नहीं लेकिन बहुत-सी फिजूल खर्च करती है। उसकी ओर ध्यान भी दिलाया जाता है तब भी कुछ गौर नहीं किया जाता है। हम लोग दारुलशफा में रहते हैं और हमारी नाक के नीचे फिजूलखर्ची होती है, जिसको देख कर हमें दुःख होता है। प्रथम कौंसिलर्स रेजीडेंस (दारुलशफा ए ब्लाक) है जिसके हर गेट पर एक गेट असिस्टेंट है और चपरासी आदि हैं। लेकिन वह गेट असिस्टेंट करता क्या है। कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई मिनिस्टर साहब का रिश्तेदार है, एक त्रिपाठी गेट असिस्टेंट है। बिलकुल ड्यूटी नहीं देते और १०० रुपया उनको तनख्वाह दी जाती है। क्या वह अनाथाश्रम है। अगर किसी व्यक्ति को किसी रिश्तेदार या मित्र की सहायता करनी है तो या तो वह उसको अपनी जेब से दें या अनाथाश्रम में उसको भेज दें। इस प्रकार बेकार की नयी जगहों को निकाल कर क्यों पैसा बर्बाद किया जाता है। न वे काम करते हैं न ड्यूटी बजाते हैं. .....

श्री उपाध्यक्ष---आपका इशारा ही काफी होगा। किसी मामले को लेकर इतना विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार तो बिलकुल साहूकार बन रही है। सरकार कर्जा लेती है और कर्जा देती है। १५ अगस्त को भी ८ करोड़ का कर्जा लिया गया। हम उस कर्जे के बोझ से दबते चले जा रहे हैं परन्तु हमें यह नहीं बताया जाता कि इस प्रदेश की सरकार पर अब तक कितना कर्जा हो चुका है। सरकार स्टेट ट्रेडिंग कर रही है लेकिन बैलेंस शीट आपको किसी की नहीं मिलेगी। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री है, कानपुर की बिजली कंपनी है, रोडवेज है जब कि सरकार छोटी-छोटी कोआपरेटिव्ज तक का बैलेंसशीट मंगाती है, लेकिन इनका बैलेंसशीट तैयार नहीं कराती है। भारत सरकार के भी उद्योग-धंधे चल रहे हैं लेकिन हर साल उनकी बैलेंसशीट सदन की मेज पर रखी जाती है और उन पर सदस्यों को बहस करने का मौका मिलता है। लेकिन मुझे दुःख है कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्टेट ट्रेडिंग तो बढ़ाती जाती है लेकिन बैलेंसशीट किसी की तैयार नहीं करती। हर व्यापारी यह देखने को कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बैलेंसशीट बनाता है लेकिन उसे देखने के लिये भी यह सरकार बैलेंस शीट नहीं बना रही है। इतने वर्ष इस व्यापार को करते-करते हो गये लेकिन सरकार ने अभी तक कोई बैलेंसशीट सदन के सामने न रखकर सदन का बराबर अपमान किया है।

श्री उपाध्यक्ष---श्री रामप्रसाद नौटियाल. . . .

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---माननीय, मेरा एक प्रश्न है। अभी ठाकुर रामबलीसिंह सुल्तानपुर के यहां बैठे थे तो एक सदन का चपरासी आया और मुझसे बोला कि यह कौन बैठा हुआ है, यह कोई किसान या घसियारा तो नहीं बैठा हुआ है? मैंने उससे कहा कि ये सुल्तानपुर के एम० एल० ए० हैं। तो श्रीमन्, यहां के चपरासियों को मालूम नहीं है कि यह कोई एम० एल० ए० हैं क्योंकि सादे वेष में रहने पर चपरासी भी किसान मजदूर ही समझते हैं। श्रीमन्, मैं भी सदन में आकर किसान ही सा मालूम पड़ता हूं। अगर कोई अचकन पैजामा पहन कर आवे तो कोई चपरासी डर कर उसके पास पूछने भी नहीं जायगा। श्रीमन्, मैं भी जब बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो लोग कांपने लगते हैं कि यह कहां से आ गया। श्रीमन्, मैं ८ मिनट बोलूंगा लेकिन इस विषय पर नहीं बोलूंगा। मेरे कुछ अपने विचार हैं उनको मैं सदन की सेवा में रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप अपना नम्बर आने दीजिये, मैं माननीय सदस्य को बुला चुका हूं। बाद में विरोधी दल का नम्बर आयगा।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जिलों में छोटे-मोटे उद्योग-धंधे, कल-कारखाने और दूसरे यातायात के बहुत से साधन हैं, लेकिन जिस जिले की तरफ से मैं बोल रहा हूं वहां इन सबमें से कुछ भी नहीं है। खास कर गढ़वाल जिले में जो एक सड़क हरद्वार या कोटद्वार-बद्रीनाथ सड़क के नाम से है उसको छोड़कर दूसरी सड़कों की तरफ सरकारी अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है कारण कि सारे भारत के बड़े छोटे लोग यात्रा पर आते जाते हैं। एक तरह से यह बद्रीनाथ की सड़क इस जिले के लिये अभिशाप बन गयी है, क्योंकि उस जिले का जितना बजट सरकार की तरफ से सड़क के लिये होता है वह सब खास कर उसी सड़क पर खर्च किया जाता है। इसलिये कि वहां प्रदेशीय सरकार और भारत सरकार के मंत्री से लेकर छोटे-बड़े सभी कर्मचारियों का तीर्थस्थान होने की वजह से आना-जाना होता रहता है और जिले का जितना भी बजट है वह सब वहीं समाप्त हो जाता है। तो इन जरूरियात को देखते हुए आज के युग में बिना सड़कों के न कृषि की, न उद्योगों की, न शिक्षा की और न किसी दूसरी दिशा में हम उन्नति कर सकते हैं। इन सब बातों को नजर में रखते हुए हमने हजारों आदमियों को लेकर गढ़वाल में जन-श्रम से कई सड़कों का निर्माण किया। जैसे उदाहरण के लिये सतपुली--बैजरो सड़क का १८ मील हमने निर्माण किया लेकिन अफसोस है कि एक दो फर्लांग आगे जो चट्टानी भाग है उसको भी सरकार नहीं बनवा सकी, जिससे वह सड़क अब तक पूरी नहीं हो पायी है।

इसी प्रकार देरियाखास-बीरोंखाल मोटर रोड जिसकी लम्बाई ४४ मील है, हमने उसको भी ८ मील तक जनश्रम से तैयार करायी, लेकिन अफसोस है कि उसमें एक दो मील का एक ऐसा भाग है जो चट्टानी है जिसे जन श्रम के द्वारा नहीं पूरा किया जा सकता, उसे सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया है। मैं बार-बार सरकार से कहता आ रहा हूं कि आज नवनिर्माण और राष्ट्र निर्माण का नारा दिया जाता है तो जो कार्य जनश्रम द्वारा किये गये हैं उन्हें सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं लेती है। इसी तरह से हमारे यहां मर्चूला-बीरोंखाल सड़क जो १८ मील जनश्रम द्वारा बनायी गयी है उसे देख कर श्री बैजनाथ सिंह, असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर ने कहा था कि नौटियाल जी, मैंने रूस और चीन के इतिहास को पढ़ा है जिनमें जनश्रम द्वारा किये हुए कार्यों की गाथा है लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ऐसे जनश्रम की बात मुझे कहीं देखने को नहीं मिलती। लेकिन श्रीमन्, अफसोस की बात है कि उस १८ मील वाली सड़क का एलाइनमेंट कहीं-कहीं १०, ५ फीट ऊपर नीच कर दिया गया ताकि जनश्रम के बारे में किसी को पता नहीं लगे और वे उन जनश्रम को खा गये और इस तरह से जनता की आंखों में भी धूल झोंकी गयी तथा सरकार के भी कहने का मतलब यह है कि आज गढ़वाल की बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी को देखते हुए जहां साल भर में तीन महीने के लिये भी अन्न नहीं होता है, उस हालत में जब कि हमारे यहां साधनों की ऐसी कमी नहीं है, यदि है तो आवागमन के साधनों की है। जबकि हमें मैदानी इलाकों से अन्न मोल लेना है तो सड़कों का होना और भी आवश्यक हो जाता है, उन सड़कों को जब कि जनता इस्तेमाल कर रही है फिर भी सरकार ने उन्हें नहीं सम्हाला है। इससे सिद्ध होता है कि जो भी जनता के कामों का या राष्ट्र निर्माण का नारा है वह केवल कागजों में है और वह अब तक व्यवहार में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की गलतफहमी दूर की जाय। जो सड़कें जनश्रम द्वारा बनी है उन को सब से पहले लेना चाहिये, दूसरी सड़कों को छोड़कर उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

हमारे यहां हालत यह है कि साल भर परिश्रम करने के बाद ३ मास के लिये भी खाना नहीं पैदा कर पाते हैं। इसलिये हरिद्वार से टनकपुर तक का जितना इलाका है वहां पर बाहर से आये हुये अपराधशील लोगों को तो सरकार ने बसा दिया है और जंगलात विभाग ने ऊपर पहाड़ों पर जहां कि हमारे चरागाह वगैरह के भूखंड थे उन पर तार लगा दिया है और अधिकतर चरागाहों के लिये वहां जमीन नहीं रह गई है। पहले हमारे यहां के लोग फौज और पुलिस के लिये रिजर्व थे लेकिन अब वह कुछ भी नहीं रह गया है। आज ४२,००० अवकाश प्राप्त फौजी गढ़वाल में हैं जो आजाद हिन्द फौज और दूसरी रेगुलर सेना के लोग हैं,

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

बड़ी भारी समस्या है कि ऐसे लोगों को कहां रखा जाय और कैसे उनका प्रबन्ध किया जाय। मेरा सुझाव है कि चन्दी घाट, हरिद्वार से लेकर कालागढ़-रामनगर तक की ४ मील चौड़ी पट्टी उनको खेती के लिये दे दी जाय और जिस तरह से रुद्रपुर तराई आदि में लोगों को गोशाला और मकान आदि बनाकर दिये गये हैं उसी तरह से वहां भी प्रबन्ध कर दिया जाय और ३० साल बाद उनसे भी मकान गोशालाओं की कीमत ले ली जाय। परन्तु खेद है कि इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया और बाहर के आये हुये दूसरी जगहों से जरायम पेशा लोगों को वहां बसाया जाता है, जो लोग वहां के थे वह अपने अधिकारों से भी वंचित किये जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी इन जुर्म पेशा लोगों के बसने से खतरे में पड़ गयी है।

तीसरी बात यह है कि उधर कुछ अस्पतालों का निर्माण सरकार की तरफ से हो रहा है लेकिन जहां अस्पतालों की जरूरत है वहां वह प्रबन्ध नहीं होता है, शहरी जगहों में जैसे कोटद्वार या पौढ़ी में तो हो जायगा, या ऐसी खास जगहों पर हो जायगा कि जहां सरकारी नौकर आते-जाते हैं वहां हो जायगा लेकिन दूर देहातों में अस्पतालों का निर्माण नहीं हो रहा है और खुदा न खास्ता कहीं कोई अस्पताल खोल भी दिया तो वहां डाक्टर नहीं पहुंचते। आयुर्वेद इस देश की बहुत प्राचीन पद्धति है लेकिन हो यह रहा है कि जो आयुर्वेद के जानने वाले वैद्य हैं और जो पहले से जनता को राहत पहुंचाने के लिये अपना धर्म समझते रहे हैं और सेवा करते रहे हैं उनको भी अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ऐसे जटिल नियम बना दिये गये हैं कि वे भी आयुर्वेद के द्वारा लोगों का इलाज नहीं कर पाते हैं और जो लोगों की आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सहायता या प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यह बड़े दुख की बात है। लम्बे-चौड़े नारे लगाये जाते हैं और उद्योगों को बढ़ाने की बात कही जाती है, परन्तु आयुर्वेद जो हमारी प्राचीन सभ्यता की एक महत्व की चीज है उसकी उन्नति के लिये सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज भी आयुर्वेद के द्वारा सबसे अधिक सेवा देहातों में हो रही है, इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस तरफ अधिक ध्यान देने की कृपा करे, एन्टी मलेरिया वाले हमारे यहां गांवों में जाते हैं, लेकिन जो डी० डी० टी० उनको अब दी गई है वह बेकार है और उससे मच्छर तो क्या मक्खियां भी नहीं मर रही है बल्कि उल्ट उससे तो और खटमल, कीड़े पैदा हो रहे हैं। पहले पहाड़ों पर कताई-बुनाई होती थी और तिब्बती ऊन मिलता था। लेकिन जब से यह विकास का काम शुरू हुआ उस ऊन को नजीमाबाद और पौरी में ले जाकर रख दिया गया। गांवों के काम खत्म कर दिये गये। लोग गांवों में भेड़ पालते थे और ऊन निकालते थे। १९३८ में जब ग्राम-सुधार विभाग कायम हुआ था तो उससे प्रोत्साहन मिलता था लेकिन आज वह भी खत्म हो गया है।

सहकारिता के लिये नारे लगते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने अपने हाथ से सन् ४६ से ५१ तक सैकड़ों सोसायटियां कायम कीं। लेकिन सहकारी समितियों में लाखों रुपया गबन हो गया, किसी अधिकारी ने नहीं देखा। जब विभाग से पूछा जाता है तो कहते हैं कि सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन नहीं था। नारे सहकारिता के बहुत लगाये जाते हैं, लेकिन वास्तव में कार्य रूप में उसे परिणत करने के लिये सरकार के पास सच्चे लोगों की बहुत कमी है। सरकार को ऐसे सच्चे कर्मचारियों को पैदा करना चाहिए जो लगन से काम कर सकें। अगर यह स्वराज्य क्रान्ति से मिलता तो मुल्क का नक्शा दूसरा होता। लेकिन यहां सुलह समझौते से स्वराज्य मिला है इसलिये मेरा विश्वास है कि सहकारिता के द्वारा ही हम आर्थिक आजादी मुल्क को दिला सकेंगे। इसलिये इसकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान सरकार का होना चाहिए।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह तरीका हो गया है कि हर वर्ष दो-तीन सप्लीमेंटरी बजट हाउस में पेश करे। दूसरे देशों में इस तरह का रिवाज कम है। सप्लीमेंटरी बजट में वही अनुदान (ग्रान्ट) होने चाहिए जिनका ज्ञान सरकार को पहले न रहा हो और जो बहुत आवश्यक हों। जब हम इस बजट

को देखते हैं तो पता चलता है कि सरकार ने अनुपूरक बजट को पेश करते समय इस कसौटी से अपने को दूर रखा है। इसमें कोई ऐसी ग्रान्ट नहीं है जो सरकार की जानकारी में साधारण बजट पेश करते समय न रही हो। इस बजट में कोआपरेटिव बैंक में कुछ अंश देने हैं। क्या सरकार को यह मालूम नहीं था, पहले से क्या योजना नहीं थी कि हर जिला कोआपरेटिव बैंक को कुछ अंश देकर उसमें हिस्सा लिया जाय। इसी प्रकार से पिछले हिस्सों में कुएं बनाने की योजना है। और भी इस तरह की योजनाएं हैं।

इस बजट को पढ़ने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसको तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पर्वतीय, बुंदेलखंड और पूर्वी जिले--इन तीन हिस्सों के उत्थान के लिये यह बजट लाया गया है। इन जगहों पर पानी की व्यवस्था कैसे हो, छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएं कैसे चलाई जायं, उद्योग-धन्ध किस प्रकार से चलाए जायं, इस तरह की योजनाएं इस बजट में हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इन हिस्सों में किस प्रकार से विकास हो, कितने सालों में हो, इसका कोई तखमीना उसके पास है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कितने दिनों में, कितने सालों में उन्हें स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं? मैं समझता हूं इसके पास कोई इस तरह की योजना नहीं है। अगर ऐसी योजना होती कि हम १० साल में पूर्वी जिले, जो अभावग्रस्त हैं, जहां अन्न का अकाल रहता है, पर्वतीय जिले जहां पर पानी की कमी है, बुंदेलखंडी जिले जहां पीने के पानी का अभाव है इन स्थानों में बेरोजगारी खत्म करने, पानी का अभाव खत्म करने की योजना सरकार के पास होती तो मेरा खयाल है सप्लीमेंटरी बजट लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सप्लीमेंटरी बजट में इतना रुपया मांगा जाय और सरकार के पास कोई योजना न हो तो तकलीफ होती है कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है, क्या सोचती है। सरकार के जो सलाहकार हैं, क्या वह यह नहीं सोचते कि आखिर इतनी जन-संख्या जो इन इलाकों में रहती है इसके खाने के लिये कितना टन हर साल गल्ला चाहिये, कितना गल्ला पैदा होता है, कितना टन गल्ला और बढ़ेगा और कब वह समय आयेगा कि हमें बाहर से गल्ला नहीं मंगाना पड़ेगा? लेकिन बजट पढ़ने के बाद यह नतीजा निकलता है कि सरकार के पास दिल दिमाग नहीं है इस तरह की बात सोचने के लिये . . . .

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घन्टी बजायी गई।)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, यदि आपके पास कोई फेहरिस्त हो जिसके हिसाब से वक्ताओं को बुला रहे हों तो हम लोगों को कृपा कर सुना दें ताकि जिनके नाम न हों वे दूसरा कोई काम करें।

श्री उपाध्यक्ष--मुझे अभी आधा घंटा ही आये हुआ है फेहरिस्त का क्या सवाल है। धैर्य धारण कीजिये।

(कोरम पूरा होने पर कार्यवाही जारी हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--तो श्रीमन्, मैं समझता हूं सप्लीमेंटरी बजट में इस तरह की ग्रान्ट्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं १९५२ से देख रहा हूं, उस समय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत मुख्य मंत्री थे उन्होंने कहा था अपने प्रदेश का सारा खजाना खाली कर देना हम पसन्द करेंगे लेकिन इस प्रदेश की जो अन्न की समस्या है उसको हल करने में एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे। मैं अन्न मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पंत का वह संकल्प मालूम है? अगर वह संकल्प सही है और किसी भी सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने प्रदेश के लोगों को अन्न, रोजी, रोटी से बहाल न होने दे। लेकिन सरकार इस ओर कामयाब नहीं हुई है।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

श्रीमन्, आप देखेंगे पूर्वी जिलों की आबादी कितनी है ? गोरखपुर में प्रति वर्ग मील १,००० आदमी बसते हैं, आजमगढ़ में प्रति वर्ग मील में ९५१ आदमी बसते हैं, बलिया में ९९३ । इस तरह से जहां आबादी बढ़ती चली जा रही है तो आबादी बढ़ने के साथ-साथ और जिस तेजी से बढ़ रही है उसी तेजी से सरकार ने उनकी रोजी, रोटी का इंतजाम किया है ? नहीं किया है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितनी बेकारी थी वह दुगनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं । जनरल बजट और सप्लीमेंटरी बजट लाने से क्या फायदा हुआ । जिस जगह हम १९५२ में थे उसी जगह पर १९६० में रहे, इससे क्या होने वाला है ?

मैं सरकार से चाहूंगा कि वह जनधन का इस तरह से दुरुपयोग न करें। इस बजट में जो सामाजिक कामों में ग्रान्ट है उसमें से रुपया बचाने का प्रयत्न किया गया है यह देखकर बड़ी तकलीफ होती है । ८ लाख रुपये चिकित्सा की मद से ही बचत की गई है । इस प्रदेश में सैकड़ों ऐसे अस्पताल हैं जो पेड़ तले हैं, डाक्टरों के बैठने के लिए जगह नहीं है, रोगियों को दवा-दारू का कोई प्रबन्ध नहीं है, चारपाई का इन्तजाम नहीं है, लेकिन रुपया बचाया जा रहा है । ऐसी कोई ग्रान्ट नहीं है जिसमें सरकार ने यह अनुमान न लगाया हो कि १०० रु० की बचत होगी। आखिरकार क्या तखमीना सरकार का है ? बजट बनाने वाले क्या सोचते हैं । और माननीय मंत्री जी क्या हिसाब रखते हैं कि ८ लाख रुपये की ऐसे ग्रान्ट में बचत होती चली जाय और वह कोई संकोच न करे । इसी प्रकार की कटौतियां इस बजट में देखने से बड़ी तकलीफ हुई ।

हम लोग पूर्वी जिले के रहने वाले हैं और खास तौर से उस जिले के जहां हर साल सूखा पड़ता ह । एक डूबत हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है जहां हाहाकार मचा हुआ है वहां १२-१२ हजार आबादी पर एक सस्ते गल्ले की दूकान सरकार खोल देती ह उसमें भी सुबह से लेकर शाम तक अगर एक रुपया लेकर कोई गल्ले की दूकान पर बैठे तो चार छटांक गल्ला लेकर घर लौट जाता है यह क्या है ? हर साल घाघरा, यमुना, टोंस या जितनी नदियां हैं लाखों एकड़ जमीन काटती हैं, हजारों परिवार खानाबदोशों की तरह जिन्दगी बिताते हैं लेकिन इस बजट में उसका कोई चर्चा नहीं है । ५, ६, ७ सालों से बजट में आता है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये इतना काम मंजूर होता है कि उनको छप्पर दिया जायगा, उनको टिन दिया जायगा, लेकिन आजमगढ़ के जिले में जहां घाघरा बहती है हजारों परिवार हर साल परेशान होते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में न उनको कोई छप्पर, न टिन दिया गया है और न इसके लिए कोई सामान।

श्रीमन्, सोचने की बात है कि जिस परिवार की सारी खेती घाघरा, गंगा और यमुना में विलीन हो गई और एक मर्तबा नहीं तीन मर्तबा वह घर बनाता है, लेकिन गिरता चला जाता है और पेड़ तले बैठकर खानाबदोशों की तरह इस दूकान से उस दूकान पर टुकड़े मांगता है ऐसे लाखों आदमी इस प्रदेश में बसे हुए हैं, जब कि इस बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं है । बजट तो सदा हुआ करता है समाज और देश का दर्पण और उसी में उसके कारनामें देखे जाते हैं कि बजट में कौन-कौन काम हुए हैं, उसी से मालूम हो जाता है कि प्रदेश की क्या हालत है । लेकिन अफसोस होता है कि इस बजट में इस तरह का कोई दर्पण नहीं दिखाई देता है जिससे यह मालूम हो सके कि इस प्रदेश में भूखी नंगी जनता के लिए रोटी रोजी का कोई प्रबन्ध किया गया हो ।

श्रीमन्, मैं एक अपील इस सदन से और खासतौर से उधर के बैठने वालों से करना चाहता हूं कि सरकार के ऐसे गलत कारनामों के लिए जरा उसकी नकेल अपने हाथ में रखें और हर साल जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, जो जांच करने वाला हमारा कार्यालय है, जो एकाउन्टेन्ट जनरल साहब हैं, जिनकी इमानदारी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता है, उनके रहते हुए करोड़ों रुपया हर साल बजट में आता चला जा रहा

हैं लेकिन जिस जनता के पास खाने को नहीं है, जो जनता भूखी नंगी है, फुटपाथ पर सोती है उससे भी यह सरकार टैक्स ले लेती है। बड़ी बेरहमी से, बिल्कुल हया नहीं है, दर्द नहीं है उसके दिल में कि ऐसे लोगों से जिनके पास खाने को नहीं है उनको रोजी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब वह गल्ला खरीदने के लिए दूकान पर जाता है और सामान खरीदता है तो उससे टैक्स ले लेते हैं। और उस टैक्स को लेकर बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेशर्मी से निर्दयता के साथ उसी पैसे को पानी की तरह से बहाते हैं। इससे बढ़ कर अफसोस और तकलीफ इस बात की है कि उधर के बैठने वाले लोग सरकार को इस तरह आगे बढ़ने के लिए और बढ़ावा देते हैं, तारीफ करते हैं। इस सदन में सरकार का दल मजबूत है, कुछ दिनों तक इस तरह से अपने काम को वह करती चली जाय, मतवाले हाथी की तरह से चलती चली जाय लेकिन दिन आयेगा जब कि उसके रोने के लिये ठिकाना न रहेगा। श्रीमन्, आप इस सरकार को उपदेश दें कि वह इस तरह के गलत रवैये को रोके, जो भाई भतीजावाद प्रदेश में फैलता जा रहा है उसको रोके और निष्पक्षता के आधार पर प्रदेश का शासन इस प्रकार चलाये कि लोगों को ईमानदारी में सन्देह न होने पाये।

***श्री लक्ष्मणसिंह** (जिला अल्मोड़ा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे इस अनुपूरक अनुदान के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज राज्य की जनता इस सदन की ओर टकटकी लगाये बैठी है, राज्य की पिछड़ी हुई, कठिनाइयों और परेशानियों में पिसी हुई जनता यह देखती है कि उसके भाग्य का फैसला इस सदन में होने जा रहा है। आज हम सवा ३ करोड़ से ऊपर के अनूपूरक अनुदान स्वीकार करने जा रहे हैं तथा साल में १२५ करोड़ रुपये के करीब की यह सदन व्यवस्था करता है इस राज्य की जनता के हित में। मैं थोड़ा-सा अपने क्षेत्र की कठिनाइयों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा। वह क्षेत्र जिसने आजादी की लड़ाई में एक महान् हिस्सा लिया, जिसको बारदोली का द्वितीय स्थान दिया गया है, वहां की कठिनाइयां आज १३ वर्षों के बाद भी जैसी की तैसी बनी हैं। जहां की जनता ने हजारों रुपये प्युनिटिव पुलिस टैक्स के रूप में दिये वहां पर राज्य के विशेष अधिकारी श्री डी० डी० अग्रवाल ने सन्, १९५४ में रानीखेत में एक कान्फ्रेन्स की जिसमें मरचूला सड़क को तीसरा स्थान दिया गया लेकिन आज जब कि जिले की कई सड़कें बन चुकी हैं इसको भुला-सा दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज में वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। एक अस्पताल जो कि ग्राम सुधार के नाम से सन् १९३८ में उस समय की राज्य सरकार ने स्वीकार किया था और जनता ने अपने गाढ़े पसीने से जो इमारत बनायी थी वह जीर्णशीर्ण पड़ी हुई है और इन १३ वर्षों में कोई वर्ष ऐसा नहीं छूटता जब कि जनता के प्रतिनिधि या जिले के अधिकारी इसकी रिपोर्ट सरकार को न देते हों, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई।

श्रीमन्, आज हम अबादी और नागपुर की घोषणा करते हैं लेकिन पिछड़ा हुआ वर्ग आज भी पिछड़ता जा रहा है। तो यह जो व्यवस्था हम कर रहे हैं इससे जनता की भावनाओं में क्या प्रक्रिया हो रही है इसकी ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम देखते हैं कि हमारी भूमि की समस्या इतनी जटिल समस्या है कि पहाड़ ऐसा विकट इलाका है जहां खेती योग्य भूमि नहीं है। तराई भावर में जब भूमि की मांग की गई तो ५-७ एकड़ भी नहीं दी गई जब कि बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े फार्म रखे हैं। हमारे यहां किसान बेचारे ५-७ एकड़ भूमि के लिये तरसते हैं। हमारे यहां कोई उद्योग धंधे भी नहीं बनाये गये हैं। हमारे यहां ६ लाख मन लीसा उत्पन्न होता है जिसमें से ढाई लाख मन लीसा बरेली टर्पेन्टाइन कम्पनी को दे देते हैं। साढ़े तीन मन लीसा बचता है। टेहरी में एक उद्योग के जरिये ६ हजार मन लीसा से ६२ हजार रुपये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मणसिंह]

का मुनाफा कमाया गया है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि गृह उद्योग खोल दिये जायं तो हमारे यहां बेकारी की समस्या हल हो सकती है।

यही नहीं जो ग्रामीणों ने पाठशालायें बनाई हैं उनकी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। तराई भावर में भूमि किसानों को अनिवार्य रूप में मिलनी चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी---उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में ऐसा मालूम पड़ता है कि यह पूरब के हिस्से में आ गया है और पश्चिमी हिस्से से सौतेली मां-का सा व्यवहार हो रहा है। मैं श्रीमन्, इसके पन्ने-पन्ने में देख रहा हूं। क्या बात है ? कहीं पश्चिम का नाम भी नहीं है। न मेरठ का, न आगरे का, न मथुरा का, हां झांसी तो मिल गई है, इससे तो संबंध जुड़ गया है लेकिन पश्चिमी जिलों से नहीं जुड़ा है। हमारे यहां सब कुछ है लेकिन पूर्वी जिले वालों का कभी पेट नहीं भरेगा और न उनको खाना ही मिलेगा क्योंकि उनको सब्र नहीं रहा है। वहीं आनन्द होता है जहां सब्र होता है। यह सरकार कैसी है जो पश्चिम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पश्चिमी जिलों में कोई चीज नहीं और पूर्वी जिलों में ही सब चीजें हैं। पहाड़ी जिलों को भी मिलता है। क्या मथुरा आपका जिला नहीं है, क्या मेरठ आपका जिला नहीं है, क्या आगरा आपका जिला नहीं है, यह सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहियें।

मैं कहूंगा कि सन् १९३०-३२ में हम लोग शिक्षा के ऊपर कहा करते थे कि :---

"कोई कुपढ़ रहेगा नहीं, पढ़ पीड़ित प्राण बचाये भगेंगे।
पाप रहे नहीं ताप रहे, प्रताप को प्राण के लाले पड़ेंगे।
दुष्ट दुराचारी रहेंगे नहीं, अत्याचारी कुकर्मी किनारा करेंगे।
कोई दुखी न रहेगा, सुखी, जब देश पै राज किसान करेंगे।"
सच्ची क्रान्ति है दिल बदल जाते जनता को।
मन को बनाये शुभ कार्य को संभालेगा।

देशों में समानता और अन्दरूनी प्रेम होगा।
सब का करेगा मान नीत उर धारेगा।।
शत्रु और मित्र में न कोई भेदभाव होगा।
कथनी और करनी को दिल से न बिसारेगा।।
छुआछूत जातिवाद भेद को मिटाय देगा।
कहते हैं पुजारी जो शासन संभालेगा।।"

वह शासन संभाल सकता है। मेरे जिले की बात लें। सादाबाद से राया जाने वाली १८ मील बहुत पुरानी सड़क है। वहां से जो माल जाता है मथुरा को, २२ मील एक तरफ है और १७ मील हाथरस को पड़ता है। मैं दो-तीन बार इस सदन में प्रश्न लाया हूं कि सादाबाद-राया सड़क को पक्की करना चाहिए। लेकिन कोई सुनता है ? रजवाकुर सन्डा में तीन साल से पलेवा है। उस को एक पानी मिलता है और पूरी आबपाशी ली जाती है। मैंने सदन के सामने प्रश्न भी किया लेकिन श्री धर्मसिंह जी ने कहा कि आप लिखा पढ़ी की रसीद लाइये। मैं रसीद भी ले गया। तीन साल से उस रजबहे की पूरी आबपाशी ली जाती है और एक पानी दिया जाता है। क्या यही न्याय है ?

श्रीमन्, पुलिस के बारे में क्या कहूं। मेरे यहां पखवरी के महीने से ७-८ कत्ल हो गये। महरारा ग्राम में ५ कत्ल हुए। एक आदमी जान से मर गया। बच्चे और स्त्री बच गये। नौगावां में दीपचन्द चौधरी का कत्ल हुआ। पुलिस ने दो आदमियों को अरौटा के एक नगले में मार दिया। कोई सुनने वाला नहीं है। सब पक्षपात हो रहा है। यूनियनें बन रही हैं।

सब पार्टी की यूनियनें हैं। हर एक पार्टी टैक्स में कोई कसर नहीं रखती है। किसान क ऊपर टैक्स ही टैक्स है। इस को कोई सुनने वाला नहीं है। राया के थाने में गुन्डे घुस आये। थाने में डकैती और चोरी होने लगी। जब पुलिस का ही कत्ल हो रहा है तब हमारी रक्षा पुलिस क्या कर सकती है?

गर्की देखिये मथुरा जिले में। मैंने प्रश्न किया तो जवाब मिला कि कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां खेत न बोये गये हों। हजारों बीघा जमीन सैपऊ क्षेत्र में अब तक बिना बोये पड़ी हुई है। किसान तड़प रहा है। छाता तहसील में हजारों बीघा जमीन क्या नहीं पड़ी हुई है? न कोई नाला निकाला गया न कोई इन्तजाम किया गया।

सैपऊ, सादाबाद, राया, छाता इन सब में सस्ते गल्ले की दूकानें होनी चाहिए। लखनऊ में, आगरा में, फैजाबाद में गेहूं लो, चीनी लो, सस्ती लो। जो काम करने वाले हैं उन को सींग दिखलाया जा रहा है। लखनऊ में हमें राशन कार्ड भेज दिया कि तुम भी राशन लो। लेकिन ग्रामों में दो-दो महीने हो जाते हैं चीनी के दर्शन नहीं होते।

गांवों में दूकान चीनी की खोली जाय। सस्ते गल्ले की दूकान खोली जाय और न्याय किया जाय और नहीं, श्रीमन्, समझ लेना, यह कहा है कि बतावें तुम्हें हम क्या चाहते हैं? क्या कहा करते थे उन दिनों? कहा करते थे कि:—

"हम दुनिया से जालिम मिटा चाहते हैं।
बुरा चाहते हैं जो हम बेकसों का,
हम दिल ही से उनका भला चाहते हैं।
मगर इस सजा के खतावार हैं हम,
कि दर्दे वतन की दवा चाहते हैं।"

हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसानों के संग न्याय किया जाय। हम चाहते हैं कि सब के साथ एक व्यवहार हो। हम चाहते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी जिलों में कोई भेद न हो। ऐसा ही कानपुर और ऐसा ही आगरा। यहां तो नेता नेताओं का भेद है, पीछे आगे का भेद है। कपिल मुनि के नाती जो यह आगे बैठे रहते हैं, घंटा-घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा बोलते हैं और हम लोगों को दस मिनट भी नहीं मिलता बोलने को। और फिर यहां काम तो वही होगा चाहे जो करो। यहां तो बहुमत है, बहुमत का राज है। वह जो चाहेंगे करेंगे। इसलिए मैं तो कहूंगा माननीय मन्त्री जी से, उनसे अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दूकान चीनी की ग्रामों में खोली जाय। सस्ते गल्ले की दूकाने वहां पर खोली जायं, जहां पर गर्की और बाढ़ से जनता पीड़ित है।

शिक्षा के बारे में हम क्या कहें। चार-चार छः-छः हजार की मर्दुमशुमारी में एक मिडिल स्कूल नहीं है। हमारे यहां ऊंचा गांव रसमई ५ हजार की आबादी का स्थान है वहां पर मिडिल स्कूल नहीं। वाह रे तुम्हारी शिक्षा? चार, चार-पांच, पांच-मील जाओ तो एक मिडिल स्कूल मिलगा। यहां तो:—

हर्रे लगा न लगी फिटकिरी
चढ़े तवे पर सेंक रहे हैं।
अपना स्वार्थ सिद्ध करन को,
बैठे बैठे झेंप रहे हैं।
बिन कानून बात नहीं करते,
संविधान को लेख रहे हैं।
अन्दर शोषण, बाहर शोषण,
हम सब बैठे देख रहे हैं।"

[श्री टीकाराम पुजारी]

तो श्रीमन्, हम न्याय चाहते हैं, सब के साथ न्याय हो। इतना कह कर, मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं। कल यह बुड्ढा शेर फिर बोलेगा। कल को आठ मिनट लूंगा श्रीमन्।

किसानों का भला करो, सब लोगों को एक समान बरताव बरतो, यह मर्यादा और न्याय कहता है, श्रीमन्।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सप्लीमेंटरी का बजट आता है और पास होता है। सरकार का कार्य हो जाता है। मेरे जो विचार हैं उनको मैंने कटौती के प्रस्तावों को देकर व्यक्त कर दिया है। सारे प्रस्तावों पर मैं बोल सकूं इतना समय आप देंगे नहीं इसलिए मैं दो-एक विषयों पर ही अपने विचारों को जाहिर करना चाहता हूं। इस सेशन में मुझे प्रथम बार आपकी कृपा से बोलने का अवसर मिला है इसलिए मैं थोड़ा-सा गवर्नर के सम्बोधन की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां तक प्रदेश के कार्यों का ताल्लुक है उस पर तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बहुत अहम मसले की तरफ मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान श्रीमन्, आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश में जगह-जगह पर गोलियां चल रही हैं। क्या कारण है इसका? इलाहाबाद में गोली चली। मथुरा में गोली चली, सीतापुर जिले के अन्दर लहरपुर में गोली चली और अन्य स्थानों में भी सम्भवतः चली हों जिनकी मुझे याद नहीं है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि अखबारों में जो यह समाचार प्रकाशित हुआ कि कुछ साम्प्रदायिक तत्व इस प्रदेश में आवश्यक रूप से क्रियाशील हैं तो मैं यह मानूं कि उनके लिए अधिकारी और उनकी सरकार संगठित तौर पर गोली चलाने में क्रियाशील है और यदि तुलना की जाय तो मेरा ध्यान बरबस केराला की तरफ जाता है। मैं केराला की बातों का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं मगर इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि हमारे मन्त्रिगण इस बात पर विचार करने की कृपा करें कि केराला में एक ऐसा जबरदस्त आन्दोलन चला जिसमें लगभग ८० हजार आदमी जेल गये, रोज जलूस निकाले गये और इतनी बात होने पर भी कुल सम्भवतः १४ आदमी गोली से मरे और जो लाठी चार्ज हुआ वह प्रदेश के अनुमान से कम ही था। क्या इससे इस बात का पता नहीं चलता कि केराला की सरकार अपने अधीन कर्मचारियों पर नियन्त्रण करने में हमसे अधिक सफल रही है और जनता की भावनाओं का आदर वहां के अधिकारियों ने अधिक किया है जब कि हमारे प्रदेश में हजार दो हजार के जलूस को नियन्त्रण में रखने के हेतु गोली चलानी पड़े तो यह बहुत उचित बात नहीं मालूम होती। मेरा सुझाव आपके द्वारा सरकार को यह है कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बिठायी जाय, इस बात की जांच की जाय कि जो शासन के संचालन में आज अधिकारी लोग हैं क्या उनकी कार्य क्षमता घट रही है और यदि उनकी क्षमता घट रही है तो उनके प्रशिक्षण का इन्तजाम होना चाहिए जो नये वातावरण के अनुसार हो।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि लोकतन्त्र को खतरा उपस्थित हो गया है यह तो मैं नहीं मानता कि वाकई में लोकतन्त्र को कोई खतरा है और जब तक पण्डित जवाहरलाल जी की सरकार का और उनका नतृत्व इस देश को प्राप्त है तब तक लोकतन्त्र को कोई खतरा इस देश या प्रदेश में पैदा हो सकता है इसकी मुझे बिल्कुल आशा नहीं है, लेकिन श्रीमन्, यह जरूर कहना चाहता हूं बहुत नम्रतापूर्वक कि जब हम अनुदान पास करते हैं और जब हम बजट या सप्लीमेंटरी बजट को पास करते हैं और जनता के ऊपर टैक्स लगाते हैं और उसके द्वारा एकत्रित धन को खर्च करते हैं तो यह बात जरूर है कि जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे धन का सदुपयोग किया जा रहा है और यदि जनता के दिल में यह विश्वास घर करता चला जाता है कि हमारे ऊपर लगाये गये टैक्स का धन अनावश्यक कार्यों में खर्च किया जाता है और जो जरूरी काम हैं उनमें खर्च नहीं किया जाता है। यदि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उससे निश्चय ही लोकतन्त्र को खतरा पैदा होने की सम्भावना हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन

यह है आपके द्वारा कि हमारे मन्त्रिगण को इस पर विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहता कि सब कुछ गलत हो रहा है परन्तु यह कहने की जुर्रत करता हूं कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जितना ठीक होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है और इस बात पर यदि हमारा मन्त्रिमण्डल तवज्जह देगा तो मेरा खयाल है कि जो आलोचना केवल इस आधार पर की जाती है उन आलोचनाओं को करने का समय लोगों को नहीं मिलेगा।

मैं खाद्य नीति के सम्बन्ध में भी एक शब्द कहना चाहता हूं। खाद्य मन्त्री जी मेरे पड़ोस में बैठे हैं इसलिए वह अधिक अच्छी तरह से सुन पायेंगे। मैंने पिछली मर्तबा कहा था कि खाद्य नीति में हमारी सफलता हुई है ऐसा मैं नहीं मानता हूं और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ९ या १० को सूखे के ऊपर जो बहस होने वाली है उससे तो माननीय मन्त्री जी बच गये क्योंकि वर्षा बहुत अच्छी हो गयी लेकिन बावजूद इसके आपकी खाद्य नीति सफल हुई यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज मेरा एक सवाल था। उस सवाल से मुझे पता लगा कि इस नीति का निर्धारण किस तरह से होता है। आज मैंने सवाल किया था कि शूगर का वितरण किस तरह से हुआ। तो मुझे जवाब दिया था कि एक कोटा ३,०५० टन का और दूसरा ऐडहाक कोटा ५ हजार टन का सारे सूबे के लिए मिला। अब आप देखें कि जो पहला कोटा मिला उस में ३,०५० टन शूगर का उसका वितरण आठ जिलों में हुआ। वे जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, मेरठ और सहारनपुर। जो ५ हजार टन का जो कोटा मिला उसका वितरण १७ जिलों में हुआ जिसमें ८ जिले तो वही हैं जो पहले आगये थे बाकी ऐसे हैं जिनको १००, ११० और १२० टन मिला। अब आप देखें कि दो मर्तबा, अगर ऐडहोक कोटे को भी मान लिया जाय तो कुछ लोग ही पाते हैं। जिन जिलों को वह कोटा अलाट किया गया वह १७ जिले ही हो सके। आप देखें कि क्या शेष जिलों में चीनी के खाने वाले नहीं थे। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ कर भुला दिया, मन्त्री जी के सामने भी परिस्थितियां हैं, लेकिन इससे होता यह है कि उन जिलों की शक्कर, जिन जिलों में शक्कर नहीं दी गयी है वहां आकर ब्लैक मार्केट में बिकती है। तो जब आप अपनी नीति निर्धारण करें तो आप को पहले से विचार करना चाहिए कि उससे क्या समस्यायें पैदा होंगी और उनका निराकरण किस प्रकार हो सकेगा मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य नीति निर्धारित करते समय इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल पुरानी घिसी घिसायी बातों को ही सामने रख कर नीति निर्धारण करने की कोशिश की जा रही है और उसका ही परिणाम था कि केन्द्र के खाद्य मन्त्री जी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार जन-जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश न कीजिये, व्यावहारिक कदम उठाइये, उससे ही आपका और प्रदेश का भला होगा।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इस अनुपूरक बजट में बार-बार मैं प्रयत्न करता रहा यह देखने का कि सीतापुर में जो वाटर लागिंग से समस्या पैदा हो जाती है और विशेष कर जिले की उसकी तहसील सिधौली और मिसरिख में, उसके लिए कुछ किया गया है या नहीं। मुझे प्रश्नों के उत्तर में बतलाया गया था कि आगे आने वाले बजटों में यह योजना आने वाली है। मैंने इसमें देखा कि सीतापुर जिला सम्मिलित तो अवश्य किया गया लेकिन उसके साथ जहां कार्य रूप में परिणत करने की बात आयी है वहां उस जिले के स्थान पर लखनऊ का नाम कर दिया गया है। अगर यह लखनऊ डिवीजन की बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं, वह उसके अन्तर्गत आ ही जायगा, नहीं तो, सीतापुर जिले के लिए भी अवश्य इस योजना में कुछ करना चाहिए।

एक और सुझाव मैं बजट पर देना चाहता हूं। इस बजट में अरबों, करोड़ों रुपया प्लानिंग के नाम से मंजूर किया जाता है, लेकिन मेरा तजुर्बा है, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में बैठने के बाद, कि बहुत-सा रुपया बिना खर्च किये हुए ही वापस कर दिया जाता है। तो पहले बजट में रुपया रखना और उसके बाद बिना खर्च किये वापस कर देना यह जाहिर करता है कि हम किसी

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

प्लानिंग की तहत में नहीं चल रहे हैं। हमारी योजनायें सुनियोजित ढंग से नहीं चल रही हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमसे त्रुटियां हो सकती थीं, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हम अपने तजुर्बे से लाभ नहीं उठा सकत थे? इस बजट में भी बहुत-सा रुपया पिछले बजट से पूरा कर लिया गया है और केवल प्रतीक स्वरूप मांग मांगी गयी है। तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी जानी चाहिए और बजटिंग की पद्धति में कुछ तब्दीली आनी चाहिए।

एक पुराना ऐक्ट बना हुआ है अस्पतालों से सम्बन्धित जब जिला बोर्ड बने थे उस समय का और अब आपने हर जिले में अस्पताल ऐडवाइजरी कमेटी बना दी है। मेरे जिले में अस्पताल ऐडवाइजरी कमेटी २१ मई को बैठी जिसने फैसला किया कि बारी का अस्पताल सिधौली स्थानान्तरित कर दिया जाय। जिला परिषद् की बठक ५ जून, १९५९ को हुई और उसने भी बहुमत से इस प्रस्ताव को पास किया कि यह अस्पताल सिधौली स्थानान्तरित कर दिया जाय। अब उस के लिए केवल कन्सेंट की जरूरत है। इस का सारा काम जिला परिषद् करेगी। वहां बैठने वाले जानते हैं कि अस्पताल कहां रहने से ज्यादा जनहित हो सकेगा, लेकिन जून से आज सितम्बर तक हमको उसकी कन्सेंट नहीं मिली। जब अस्पताल ऐडवाइजरी कमेटी नहीं थी तो उस समय अवश्य आवश्यकता इस बात की थी कि आप की कन्सेंट हम को मिले, लेकिन जब उनका निर्माण आपने कर दिया है तो आपको यह कानून बदल देना चाहिए और आपकी कन्सेंट की उसमें कोई आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। जहां तक अन्तरिम जिला परिषद् के कार्यों का सम्बन्ध है, उन सब मे आप को यही नीति अपनी रखनी चाहिए। तो इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुपूरक बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सूबे के अन्दर वैसे तो अनेकों समस्यायें हैं लेकिन जो अनुदान स्वीकार किया जाता है उनमें किन्हीं जिलों में तो काफी रुपया खर्च कर दिया जाता है और किन्हीं की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मेरा सम्बन्ध जिला बिजनौर से है और हरिद्वार से लेकर रेहड़ का इलाका जो नैनीताल और काशीपुर क इलाक तक है, पहाड़ी प्रदेश के लिए सरकार न काफी रुपया मंजूर किया है, लेकिन उस इलाके से लगा हुआ तराई भाग है और उसकी उन्नति और विकास के लिए जो चीजें होनी चाहिए वह नाममात्र रूप में ही हैं। इस पहाड़ी भाग में अनेकों नदियां और नाले बहते हैं जिनका पुल बनना बड़ा आवश्यक है। विशेष तौर पर जो चालू सड़कें हैं उनका सम्बन्ध भी इन इलाकों से अलग हो जाता है जब कि नदियों में बाढ़ के कारण पानी काफी आ जाता है और सरकारी कामों में भी बाधा पड़ती है। बहुत से लड़के इन तराई भागों से पढ़ने के लिए धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, के इलाकों में आते हैं, क्योंकि अफजलगढ़ में, रेहड़ में, बढ़ापुर में कोई भी हाई स्कूल नहीं है इस-लिए आगे पढ़ने के लिए वह शहरों में आते हैं और नदियों को पार करने में उनको कठिनाई होती है, स्कूलों से गैरहाजिर रहते हैं। विद्यार्थियों के साथ तो ऐसी बात है और जिन लोगों के मुकदमे लगते हैं उनको रामगंगा और खोह नदियों को पार करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही बरसात के मौसम में अगर कोई बीमार पड़ जाय तो अस्पताल न होने के कारण मरीजों को शहर में लाना पड़ता है और बहुत से आदमी तो आ पाने के कारण मौत के घाट उतर जाते हैं। जब तराई भाग में मलेरिया फैलता है तो उसके लिए कोई विशेष उपचार नहीं किया जाता।

पानी की समस्या को लिया जाय, मेरा अभिप्राय पीने के पानी से है। पहाड़ से तराई की तरफ दो-तीन मील हट कर खोदने पर काफी गहराई पर पानी निकलता है इसलिए कुएं नहीं खोदे जा सकते। लाल ढांग में डालूपुर गांव में एक कुएं पर १४–१५ हजार रुपया लग चुका है लेकिन अब तक पूरा नहीं बन सका है। आधा बना पड़ा है। उस इलाके में पानी का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है और साथ ही अस्पतालों का भी प्रबन्ध नहीं है, बल्कि

कभी अस्पताल हटा लिये जाते हैं। अब माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि अस्पतालों की व्यवस्था हो गयी है। इस इलाके से जो कोटद्वार तक सड़क जाती है उस बीच में अनेकों नदी नाले पड़ते हैं, कोई पुल नहीं बनाया गया।

इसी प्रकार से सिंचाई के सम्बन्ध में भी कोई नहर इत्यादि इस तराई भाग में नहीं है और एक फसल पर काश्तकारों को रहना पड़ता है, इसलिए पहले लोग पशु पालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे लेकिन अब जंगलों के कट जाने के कारण पशुओं का पालना भी मुश्किल है और घसियारे पहले शहर में घास ले जाते थे, वह भी समाप्त हो गया। बढ़ापुर का परगना जो नगीना से १० मील के फासले पर है, वहां खोह नदी के कारण काफी नुकसान होता रहता है। १०,००० की झाड़पुरा की गन्ने की खेती का नुकसान हुआ और एक आदमी के पास ४-५ सौ पशु थे वह भी नदी में बाढ़ आ जाने से बह गये। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष लदापुर ग्राम को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गंगा नदी भी बिजनौर के इलाके में, मंडवार के इलाके में, जो कुन्दनपुर का इलाका है वहां बहुत नुकसान होता रहता है लेकिन कोई ध्यान उस ओर नहीं दिया जाता। बढ़ापुर के इलाके में कोई हाई स्कूल नहीं है और वहां जो बुनकर और जुलाहे हैं उन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न वहां कोई उद्योग-धन्धे खोले गये हैं न अच्छा अस्पताल ही है। और स्कूल का जिक्र तो मैं ने आप से कर दिया। अभी मैं ने मन्त्री जी से वहां एक राशन की दूकान खोलने के लिए प्रार्थना की थी। यद्यपि वहां के रहने वालों का गल्ला तो जब्त कर लिया गया लेकिन कोई दूकान की व्यवस्था नहीं हो पायी। वह एक पहाड़ी इलाका है और उन को गल्ला लेने के लिए शहर आना पड़ता है। आजकल वहां पर गल्ले की कमी है। जिला बिजनौर में ओले पड़ गये थे, फसल तबाह हो गयी थी इस लिए उस क्षेत्र को गल्ले की बड़ी दिक्कत हुई और वहां दूकानें खोलने के लिए प्रार्थना की गयी थी। अफजलगढ़ के इलाके में एक दूकान खुली है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि कादराबाद कालोनी नजदीक पड़ती है। इस अफजलगढ़ के इलाके में नहर निकाली गयी थी, लेकिन वहां पर पता चला कि किसानों को ३६ रुपये फी एकड़ सिंचाई देनी पड़ती है। इतनी सिंचाई क्यों ली जाती है? वहां पर नहर के किनारे पशुओं के पानी पीने के लिए घाट नहीं बनाये गये हैं, गावों के पशु पानी पीने के लिए कहां जायं? इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं-कहीं पर घाट बना दिये जायं जिससे पशु पानी पी सकें।

इसी प्रकार से जहां हम उद्योग-धन्धों की बातें करते हैं उस के विषय में मुझे यह कहना है कि नगीना में आबनूस का काम करने वाले बहुत कारीगर रहते हैं लेकिन पता नहीं उन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। सुन रहे थे कि कोई योजना बनी है लेकिन वह योजना चालू नहीं हो पायी। इस क्षेत्र के कारीगर अपने पेशे को उन्नत नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र में बुनाई का काम बहुत अच्छा हो सकता है। बुरुश का काम, आबनूस का काम, लोहारगिरी, बर्तन वगैरह का काम वहां पर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं है। इस सिलसिले में यह कह देना चाहता हूं कि सन् १९३९ से सम्भवतः कुटीर उद्योग योजना चल रही है और जो मुहकमा है वह तो स्थायी है लेकिन जो शिक्षक वगैरह हैं वह अस्थायी हैं। और जो ट्यूशनल क्लासेज कहीं कहीं ३-४ वर्ष चलते हैं, चलते फिरते क्लासेज हैं, लेकिन अध्यापकों को न तो प्राविडेन्ट फन्ड मिलता है और न उनको किसी दूसरे प्रकार की सहूलियतें प्राप्त हैं और जब जी में आया तब उन को हटा दिया जाता है। इन क्षेत्रों में जो शिक्षक हैं उनको स्थायी करने की योजना सरकार को बनानी चाहिए और जो सहूलियतें दूसरी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को प्राप्त होती हैं वही यहां भी प्राप्त होनी चाहिए। जब शिक्षक स्थायी होंगे तो उद्योग उन्नत होंगे, तब यहां के शिक्षकों को सिखाने की और जनता को सीखने की रुचि अधिक हो सकती है। इसी प्रकार से जहां सरकार प्रत्येक जिले में स्थायी शिक्षण केन्द्र खोलने जा रही है वहां के छात्रों के रहने की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिस से छात्र इधर उधर से आकर वहां रह सकें। आज व्यवस्था इस प्रकार की हो गयी है कि मिडिल तक पढ़े हुए या दसवीं

[श्री शिवराम]

कक्षा तक पढ़े हुए लोगों को लिया जाता है, लेकिन जो बेरोजगार हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके लिए भी सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और जहां पर गन्दी बस्तियों से अभिप्राय गरीब बस्तियों से है, गन्दी बस्तियां हैं वहां की जनता के लिए वहां पर कुछ न कुछ उद्योग धन्धे विकसित करने चाहिए।

इसी प्रकार से सरकार हरिजनों के लिए जो रुपया स्वीकृत करती है, हरिजन विभाग के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस सारे रुपये को खर्च नहीं करते हैं और उनके उत्थान के लिए संकोच करते हैं और दलील यह देते हैं कि समय से दरख्वास्तें नहीं आती हैं। कुओं की सहायता ठीक समय से नहीं मिलती है। कृषि की सहायता ऐसे लोगों को दे दी जाती हैं जो कृषि में ३-४ वर्ष से ही काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को नहीं दी जाती जो कि पहले से इस कार्य में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से आग लगी, बाढ़ की सहायता समय से नहीं मिलती है। उन को सहायता तब मिलती है जब कि वह अपने मकान छा लेते हैं। इस प्रकार से तत्काल कोई सहायता नहीं प्रदान की जाती। इस लिए तत्काल देने वाली सहायताओं को जल्दी प्रदान करने की कोशिश की जानी चाहिए और उनमें कोई देर नहीं होनी चाहिए।

वन विभाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वहां पर भाबड़ एक घास होती है जिस से बान वगैरह बनाये जाते हैं। उस को वहां पर एक कम्पनी को दे रखा है और गरीब लोगों को वह नहीं मिलती है। वहां पर एक सज्जन ने ५०० गन भाबड़ पाने का प्रयास किया, लेकिन उन को खराब दे दी गयी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर गरीब लोगों को वह कम महसूल पर दी जानी चाहिए जिस से वह रस्सी वगैरह बनाकर उनकी रोजी चल सके और उसका ठेका बड़े ठेकेदारों को न देकर सहकारी समितियों को मिलनी चाहिए जिससे वहां के गरीब मजदूरों का निर्वाह हो सके।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिये अवसर दिया। श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो समय आप देंगे, उसमें दो-चार मिनट आप बढ़ा दें क्योंकि आज मैं ऐसी कुछ बात कहना चाहता हूं जो आज तक किसी ने यहां नहीं कही होगी। इसके लिये आप कुछ मिनट मुझे ज्यादा दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—आपका भाषण सुनने के बाद मैं निश्चय करूंगा।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—मैं पहले इसी से शुरू करूंगा। श्रीमन्, मैं इस बजट के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। भारवी अपने एक श्लोक में कहता है कि वह मित्र कोई मित्र नहीं है जो राजा को अच्छी बात न सुनाये और वह राजा अच्छा राजा नहीं गिना जा सकता जो मित्रों की हितकारी बातों को न माने। श्रीमन्, हमारे जितने भी सदस्य यहां पर आये हैं और जो विरोधी पक्ष के भी लोग हैं उनको सभी सत्यरामर्श की बातों को सरकार को मानना चाहिये। बराबर यह देखा गया है कि बे बेचारे कुछ कहे चले जाते हैं और हम लोग उसका कुछ का कुछ समझते हैं। अब विचार करें कि बात क्या है? मैं आपके इस मंडप की रचना के संबंध में कुछ बता रहा हूं। यह पूर्व दिशा है जिधर आप विराजमान हैं, यहां इन्द्र का वास है। राज नारायण जी जहां बैठे हुए हैं वहां अग्नि का वास है और वहां से लेकर गेंदा सिंह जी जहां बैठते हैं वहां तक यम का स्थान है। यम वहां वास करता है। उसके बाद पश्चिम में गरुड़ का स्थान आता है, उसके बराबर कुबेर का स्थान है। और यहां पर भी जो अंड बंड लोग बक जाते हैं, वह नैऋत्य के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से लोग सत्यरामर्श देना भी चाहते हैं लेकिन बोलते वह कुछ हैं और अर्थ उसका कुछ निकल आता है। ऐसी दशा में मैंने यह प्रकाश में ले आना आवश्यक समझा।

अब जो अनुदान शिक्षा और कृषि से संबंधित है उन्हीं के विषय में मैं बोलना चाहता हूं, उन्हीं के विषय में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। वैसे शिक्षा के विषय में आपने

जो रुपया रखा है वह अपने साधनों और दिक्कतों को देखते हुए रखा होगा। लेकिन मैंने इसमें एक बात देखी कि संस्कृत की शिक्षा के लिये कुछ नहीं रखा गया है। यद्यपि संस्कृत की शिक्षा के लिये एक विश्वविद्यालय खोल दिया गया है लेकिन संस्कृत की शिक्षा के लिये जो पाठशालायें खुली हुई हैं वे उन पंडितों की तपस्या पर ही चल रही हैं जो वहां पढ़ाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर संस्कृत की शिक्षा के लिये भी कुछ ध्यान दिया जाता तो बड़ा उत्तम होता। श्रीमन्, एक निवेदन और मुझे आपके द्वारा इस सम्मानित सदन से करना है कि ४६,४७ हायर सेकेन्डरी स्कूल गवर्नमेंन्ट द्वारा चलते हैं जिन पर करोब लाख, डेढ़ लाख रुपया वार्षिक खर्च होता है। बाकी जितने स्कूल हैं वे सब जनता द्वारा चलते हैं और लाखों की तादाद में छात्र इस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। जब हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या बढ़ी तो यह भी आवश्यकता पड़ी कि हर जगह वे डिग्री कालेज खोल दिये जायं। तो अब पूर्वी जिलों में इस बात की बड़ी धूम मची जहां पढ़ाई वगैरह का प्रबन्ध नहीं था। वहां के लोगों ने जैसे भी हुआ, हालांकि सरकार इसको खोलती तो ५० लाख रुपये होने पर उसे शुरू करती, जो विकास के युग में उसके लिये संभव नहीं था कि वह उस चीज को हाथ में ले। तो जनता ने अपने से किसी तरह से शुरू किया।

चार-पांच वर्ष पहले एक नियम बना था कि तीन वर्ष तक जो इस प्रकार के डिग्री कालेज होंगे उनको कोई रेकरिंग सहायता नहीं दी जायगी। यह तीन ही वर्ष तो कठिन है, इमारत भी बनानी पड़ती है, सामग्री भी देनी पड़ती है, नियमानुकूल वेतन भी देना पड़ता है, ये तमाम बातें हैं। इसके लिये बार-बार बहुत कोशिश की गयी है और गत वर्ष तो हमारे शिक्षा विभाग ने भी इतना प्रयत्न किया है कि उन्होंने वित्त विभाग को लिखा भी कि इस बन्धन को तोड़ना चाहिये लेकिन वित्त विभाग ने अपनी अक्ल बतायी और न मालूम क्या उन्होंने किया और कहा कि यह नियम के बाहर पड़ता है। वह चीज भी टूटे, इसके लिये मैं आपके द्वारा अपने तमाम भाइयों से अपील करता हूं कि वे इस पर विचार करें कि वह नियम जो बना हुआ है कि तीन वर्ष तक कुछ भी सहायता रेकरिंग न दी जाय, क्या इस चीज को बदलने की जरूरत नहीं है? खासकर पूर्वी जिलों में जहां बराबर सूखा और बाढ़ की शिकायत रहती है, और आज भी सूखा है, वहां अगर आज जनता द्वारा कोई कालेज खोला जाय तो उस पर यह बन्धन अब भी लगा रहे, मैं समझता हूं कि इसको ढीला करना चाहिये, यह मेरी प्रार्थना है। श्रीमन्, इस बजट में एक चीज पढ़ने को मिली कि प्राइमरी पाठशालाओं से लेकर डिग्री कालेज तक के सभी अध्यापकों का वेतन नियमित हो गया है, बढ़ा दिया गया है। इसके लिये शिक्षा मन्त्रालय, माननीय मंत्री जी, और जितने भी उनके गण हैं वे सभी बधाई के पात्र हैं।

एक चीज श्रीमन्, और रह गयी। मैंने शिक्षा बजट के मौके पर भी प्रार्थना की थी। उसमें कुछ क्लर्क्स भी रहते हैं जो बहुत काम करते हैं। इन क्लर्कों के लिये भी कुछ होना चाहिये और उनका वेतन भी कुछ बढ़ाना चाहिये। इन क्लर्कों की संख्या भी बहुत थोड़ी है इसलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग इस तरफ भी ध्यान दे। क्योंकि वे सोचेंगे कि जब अध्यापकों के लिये वेतन बढ़ाने का प्रबन्ध किया गया है तो उनका कुछ भी खयाल नहीं किया गया। इसकी वजह से उनको तकलीफ है, और वे उदासीन हैं इसलिये मैं आपके द्वारा सदन से और शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जब उन्होंने १०, ११ वर्ष के बीच में जो काम अध्यापकों के लिये नहीं हुआ था, अध्यापकों को संतुष्टि के लिये उस तरफ कदम उठाया है तो उन क्लर्कों के लिये भी अवश्य कुछ किया जायगा।

अब मैं कृषि विभाग की तरफ आ रहा हूं। श्रीमन्, कृषि विभाग का जो ग्रांट है उसको बढ़ाना चाहिये। शुरू में जो ग्रांट हो, तो उसी के आधार पर अनुपूरक ग्रांट भी हुआ करता है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन से और शिक्षा मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो कृषि कालेज हुआ करते हैं, जो मान्यता प्राप्त कृषि कालेज हैं उनको वे छोड़ दें और उनको कृषि विभाग के अन्तर्गत कर दें। श्रीमन् इस आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि कृषि कालेज जो होते हैं, उसकी क्षमता और उसकी उपयोगिता को जितना कृषि

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

डिपार्टमेन्ट वाले समझते हैं उतना शिक्षा विभाग वाले नहीं समझ सकते । इस नाते नहीं समझेंगे कि उनके पास आर्ट्स, साइंस आदि विषय होते हैं जिनकी तरफ उनका ध्यान बंटा हुआ होता है और उधर उनका ध्यान नहीं लग पाता । ऐसी दशा में मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि कृषि कालेजेज जो अभी तमाम जिलों में नहीं हैं कहीं कहीं खोले गये हैं उनको कृषि विभाग के सुपुर्द कर दिया जाय तो वे ठीक चलेंगे और उनकी देखभाल भी ठीक होगी वरना वैसे तो हजारों स्कूल कालेज हैं, एक ही लकड़ी से सब हांके जायंगे और शिक्षा विभाग उनकी देखभाल न कर सकेगा । पूर्व में देवरिया और आजमगढ़ के जिलों में कृषि कालेज खोले गये हैं लेकिन कोई नहीं देखता कि उनकी क्या दशा है, अगर वहां भी वेतन ठीक समय से नहीं मिलेगा या अव्यवस्था होगी तो बदनामी और परेशानी होगी इसलिये आवश्यकता है कि यह बात मान ली जाय कि उनको कृषि विभाग के अन्तर्गत ले लिया जाय और उनकी ग्रान्ट कुछ बढ़ा दी जाय तो बड़ा उत्तम होगा । इस तरह से वहां अच्छे कृषि विशेषज्ञ जायंगे और अच्छा परिपालन हो सकेगा ।

सिंचाई विभाग के संबंध में मैं कहूंगा कि आज आप यहां लखनऊ में देख रहे हैं कि पानी बरस गया लेकिन आजमगढ़ के बारे में नहीं मालूम कि वहां बरसा या नहीं बरसा । इस विभाग के काम को जितना बढ़ाया जाय अच्छा है, हमारे यहां अधिक से अधिक कुएं बनवाए जायं क्योंकि नहर जो बनना आरम्भ हुई है वह पानी नहीं दे रही है । दोहरी घाट में करोड़ों रुपए की लागत से नहर बनी है लेकिन अभी वह पानी नहीं दे रही है, हमारी समझ में बात नहीं आती कि क्या बात है । शारदा और टांडा नहरें भी पानी नहीं दे रही हैं । ऐसी अवस्था में मैं चाहूंगा कि वहां के लिये कुओं का प्रबन्ध हो और अगर सिंचाई विभाग के इंजीनियर मान लें कि जहां पर धान का क्षेत्र है और जहां ८ आने से अधिक धान पैदा होता है उनका कहना है कि धान के क्षेत्र में कुएं नहीं लगाये जायंगे, तो सोच समझ कर अगर वह आजमगढ़ में भी दो चार कुएं लगा दें तो वहां भी कुछ धान हो जाया करे । अगर वहां कुएं होते तो जैसे इस वर्ष वहां धान बिलकुल सूख गया यह बात न होती और कुछ न कुछ हो ही जाता ।

स्वास्थ्य विभाग के विषय में मुझे निवेदन करना है कि यह विभाग जनता का स्वास्थ्य बढ़ाने का उत्तरदायी है और इस पर जितना भी व्यय किया जाय वह कम ही है । जनता की सेवा भाव के नाते बहुत से अस्पताल खोले गये हैं लेकिन अक्सर वहां डाक्टर नहीं हैं और भवन भी उनके ठीक-ठीक से नहीं बन सके हैं इनका प्रबन्ध होना चाहिये । एलोपैथी में व्यय अधिक होता है इस कारण अधिक से अधिक यूनानी, वैद्यक, होम्योपैथिक अस्पताल खोले जायं, उनमें थोड़े पैसे में काम हो जाता है । अतः मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पूर्वी जिलों की परिस्थिति को देखते हुए वहां का विशेष प्रबन्ध करने की कृपा करें ।

अन्न का अभाव है, दूकानें खोली गई हैं, हमारी जिलाधीश से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि जितनी दुकानों की जरूरत होगी वह फूड एडवाइजरी कमेटी की राय से खोल दी जायंगी । यहां से भी आदेश पहुंचे हैं कि जितनी दूकानों की जरूरत हो वह खोली जायं । गल्ले का वितरण वहां उचित रूप से हो रहा है, उस विभाग के कार्य पर बड़ा सन्तोष है । मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि परिस्थिति का अध्ययन किया जाय और प्रकृति के प्रकोप को सरकार के मत्थे, कहीं झगड़ा हो जाय वह गवर्नमेन्ट के मत्थे, लड़के लड़ जायं वह गवर्नमेंन्ट के मत्थे, बीमारी फैल जाय वह गवर्नमेन्ट के मत्थे, सब चीजों को सरकार के मत्थे मढ़ने से काम नहीं चलेगा । कोई भी गवर्नमेन्ट में इधर आये या, यह चीजें तो होती रही हैं और आगे भी होंगी । विवेक पूर्वक जन सेवा ध्येय होना चाहिये खाली टीका से काम नहीं चलेगा । इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक अनुदान के सिलसिले में जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा

हुआ हूं। आज उत्तर प्रदेशीय सरकार का व्यय व्यावहारिक और योजनाबद्ध नहीं है। उसके व्यय के सिलसिले में यही कहा जा सकता है कि नियंत्रित ढंग से उसका व्यय नहीं होता है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९५८ में दिखा गया है उद्योग विभाग के संबंध में कि ६ लाख ६५ हजार रु० की धनराशि सहकारी एसोसियेशन के आधार पर दी गई जिसमें १ लाख ५५ हजार रुपये की धनराशि का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। उसके खर्च का कोई हिसाब नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं आपके समक्ष उन अनुदानों का भी जिक्र करना चाहता हूं जिनका व्यय निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया। जिला बोर्ड को ४७,६९,४८२ रुपया, नगरपालिका को ४४,३५,८३३ रुपया दिया गया जिसका व्यय समय के अन्दर नहीं हुआ और वह धन बाद में इन्हीं निकायों के द्वारा खजाने में दाखिल कर दिया गया। हरिजन विभाग में जितना पैसा इस प्रकार से सरकार लेती है वह समय के अन्दर खर्च नहीं होता है और बाद में वापस कर दिया जाता है। किसी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि चिकित्सा के संबंध में ८ लाख रुपये की बचत हुई। समय के अन्दर खर्च नहीं हो पाया। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट १२ करोड़ से बढ़कर १३१ करोड़ के करीब पहुंच गया है और सरकारी नौकरों के ऊपर खर्च ७ करोड़ से २२ करोड़ तक पहुंचता है। उससे यही अन्दाज लगता है कि सरकार का खर्च करने का ढंग सही नहीं है। वह ठीक से तय नहीं कर पाती कि कितना पैसा कहां खर्च होगा। आडीटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें एक नहीं हजारों गलतियां पायी गई हैं और करोड़ों रुपये का अनियमित ढंग से खर्च पाया गया है। इसलिये मैं मजबूर हूं कि जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है इसमें अपनी असहमति प्रकट करूं।

जब हम आजाद नहीं हुए थे उस समय भी सब नेताओं और महात्मा जी ने भी इस चीज को महसूस किया था कि हमारे देश की तरक्की गृह-उद्योगों से हो सकती है। जब हम कुटीर उद्योग की तरफ बढ़ेंगे तभी हमारे देश की गरीब किसान मजदूर जनता का भला होगा। लेकिन ११ साल के कांग्रेसी शासन के बाद हमने और सब लोगों ने समझा है कि सरकार ने जितना प्रोत्साहन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को अथवा बड़े पैमाने पर उद्योग करने वालों को दिया है उतना गरीब किसान मजदूरों को, छोटे छोटे उद्योग-धंधे खोलने वाले लोगों को नहीं दिया है। मिट्टी का काम करने वाले हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, चमड़े का काम करने वाले हैं, लकड़ी का काम करने वाले हैं, इन लोगों को समुचित सहायता नहीं मिलती है।

पुलिस के सिलसिले में जो अनुदान सरकार मांग रही है उसके सम्बन्ध में भी निवेदन कर देना चाहता हूं। जहां तक पुलिस का संबंध है, पुलिस ने जो कुछ भी किया है वह हेय है और वह एक ऐसी चीज हमारे सामने से गुजरी है जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि पुलिस को कुछ रुपया न दिया जाय। सचमुच यहां की पुलिस गैरजनतांत्रिक ढंग से चल रही है और कोई काम जनता के हित में नहीं हो रहा है। जौनपुर जिले का ४ तारीख का किस्सा है—रामरूप यादव से पुलिस नाराज हो गई और उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर उसको मारपीट कर अपना बदला लेने की सोची। नतीजा यह हुआ कि वह बेचारा घबड़ाकर बजरंग बहादुर, वकील हैं, उनके यहां पहुंचा कचहरी में और वहां जो वकीलों के तखत होते हैं उन पर बैठा। पुलिस ने वहां भी पकड़ने की कोशिश की लेकिन २, ४ वकीलों ने उसको मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कराने की बात सोची और उसको ले गये। तो १०, २० पुलिस के सिपाही वहां से भी उसको अपनी हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में जब मैजिस्ट्रेट के सामने यह बात पहुंची तो पुलिस वालों को मैजिस्ट्रेट ने समझा या और फिर वह आदमी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद पुलिस वालों ने उन वकील साहब से कहा कि आपने हमारे मुलजिम को मदद देने की कोशिश की, आपको भी देखेंगे और २, ३ दिन के अन्दर ही उनको ३२२ के अन्दर गिरफ्तार करने को सोची और वकील साहब राम लखन सिंह के यहां पनाह में पहुंचे और किसी प्रकार वकीलों की मदद से वह फौरन जमानत पर ले लिये गये। तो मैं समझता हूं आज पुलिस जिस ढंग से काम कर रही है वह गैरजनतांत्रिक है।

[श्री हरदयाल सिंह]

मैं अपने जिला शाहजहांपुर की बात बताता हूं। अभी हाल ही का किस्सा है कि पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया और रात में किसी दूसरे गांव में पुलिस वाले ठहर गये। लेकिन किसी कारण वह मुलजिम उनके हाथ से छूट गया, हो सकता है वह सही मुलजिम हो, लेकिन छूट जाने के बाद जहां वह ठहरे हुए थे एक प्रधान की चौपाल थी, जब उन्होंने सुबह देखा कि मुलजिम भाग गया तो ४ बजे सुबह गांव वाले पाखाना पेशाब के लिये बाहर निकलते हैं तो उनमें से एक ग्रामीण को पकड़ लिया और उसी दफा में उसका चालान करके ले गये सिर्फ इसलिये कि कहीं उनकी बदनामी न हो और उसको थाने में बन्द कर दिया।

इसके अलावा मैं सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल बहुत मनमानी बढ़ गई है। मैजिस्ट्रेट अपनी मनमानी करते हैं, सब जानते हैं बहुत से मामलों में हाई कोर्ट ने कहा है कि मैजिस्ट्रेट अपने अधिकारों की सीमा से आगे बढ़ करके फैसला देते हैं और नाजायज ढंग से जनता के साथ कानूनी कार्यवाही करते हैं। तो सरकार जितना पैसा जनता के ऊपर खर्च कर रही है और जनता से टैक्स के रूप में लेती भी है लेकिन सचमुच में वह जनता के हित में खर्च नहीं होता है बल्कि नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है जिसके कारण सारा उद्देश्य ही समाप्त होता जा रहा है और समाज के अन्दर अराजकता बढ़ती चली जा रही है।

अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। कृषि के सिलसिले में जो सहायता सरकार दे रही है वह बहुत थोड़ी दे रही है। यद्यपि उसके बड़े-बड़े कैम्पेन चल रहे हैं, ग्रो मोर फूड, रबी आन्दोलन और खरीफ अन्दोलन लेकिन जितनी सहायता समय पर जनता को होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान पशुपालन विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं। जितना पैसा हम इस पर खर्च कर रहे हैं और जितने के लिये इस अनुदन में मांग की है वह पूरी तरह पर खर्च नहीं होती है। हरियाना सांड़ के लिये स्कीम कई साल हुए सरकार की बनी थी। पशुओं के रोगों की रोकथाम और पशुओं के नस्ल सुधारने के लिये यह स्कीम है लेकिन इम्प्रूव्ड किस्म का हरियाना सांड़ की बराबर मांग होती है और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है और जब तक यह नहीं होगा तब तक कोई हालत सुधर नहीं सकती है। पशुधन अगर देखा जाय तो हमारे यहां बहुत महत्व रखता है। जब तक इसका सुधार नहीं होता तब तक हमारे सारे सुधारों में अधूरापन बना रहेगा। इसलिये मैं अनुपूरक अनुदान जो प्रस्तुत हैं उनके लिये अपनी असहमति प्रकट करता हूं।

श्री राजेन्द्र दत्त (जिला मुजफ्फरनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सामने अपने विचारों को अनुपूरक अनुदानों पर रखने के लिये उपस्थित हुआ हूं। किसी देश का या किसी प्रदेश का बजट यह सिद्ध करता है कि वह किस ओर अपने समाज को लिये जा रहा है। हमारे देश के कर्णधारों ने और प्रान्त के नेताओं ने जनता को बताया कि हम ऐसा एक समाज कायम करने जा रहे हैं जिसमें सब बराबर रहेंगे, सब यकसां होंगे और समाजवादी समाज का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। अब हमें देखना है कि जो हमारा अनुपूरक बजट है उस पर पूरा उतरता है या नहीं। मान्यवर, समाजवादी समाज जो हम कायम करने जा रहे हैं उसमें यह देखना है कि आदमी के लिये किन-किन चीजों की आवश्यकता है। मनुष्य के लिये क्या प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं? खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, यातायात के साधन और स्वास्थ्य की सुविधायें। अब देखना है कि यह चीजें जो हमारा बजट पेश है उससे पूरी होती हैं या नहीं। हम देखते हैं कि हमारी प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही रुपया बजट में खर्च होने का प्राविजन किया गया है। जब यह बात सामने आती है तब यह विश्वास होता है कि वाकई जो हमारा लक्ष्य है उसी ओर जाने का प्रयत्न किया गया है और समाज को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बजट में जिन चीजों का प्राविजन किया गया

हैं और जो बातें रखी गयी हैं वह बहुत जरूरी हैं क्योंकि प्रारम्भिक जरूरियात पर ही रुपया खर्च किया गया है। मिसाल के तौर पर इसमें उद्योग के ऊपर रुपये का प्राविजन किया गया है। यह बात बिलकुल ठीक है कि जब तक उद्योगों पर हम लोग ज्यादा धन नहीं लगायेंगे तब तक प्रदेश की जनता उद्योगों की तरफ नहीं चलेगी और तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता और न हमारी आर्थिक व्यवस्था ही सुधर सकती है। किसी देश के लिये आवश्यक है कि वहां के लोगों के लिये उद्योग-धंधों को बढ़ाया जाय। सन् १९२८ में एक एकानामिस्ट ने तमाम दुनिया में दौरा किया और वे जिस नतीजे पर उसके बाद पहुंचे वह यह था कि अगर एक मनुष्य खेती से अगर एक रुपया कमाता है तो वही आदमी उतने ही समय में उद्योग धंधे से ४ रुपये ५ आने कमा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हम तरक्की कर सकते हैं। इसी कारण उस बात को इसमें रखा गया है।

हम यह मानते हैं कि खेती इस देश की सबसे खास चीज है और इस बात को लेकर अभी अभी जो भूमि सुधार किये गये हैं और जो नया बिल हमारे सामने रखा गया है उससे भी यह जाहिर होता है कि हम खेती के सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें जमीन की सीलिंग की गयी है। यह ठीक है, लेकिन इस बारे में एक बात का मैं और सुझाव देना चाहता हूं अगर मंत्री महोदय मानें कि उसमें कम से कम भी लैंड की सीलिंग होनी चाहिये क्योंकि जब तक एकोनामिक होल्डिंग नहीं होगी और ज्यादातर आदमी उसमें लगे रहेंगे तब तक देश ऊपर नहीं उठ सकता। तो इस प्रकार सीलिंग करके जितने आदमी बचें उनको ऐसे उद्योग धंधों में लगाया जाय जिससे वे इस देश के लिये कारामद साबित हों। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैं देखता हूं कि जिसके पास अनएकोनामिक होल्डिंग है वह भी उसमें लगा रहता है। इस तरह से उसकी मेहनत जो देश के अच्छे कामों में लग सकती थी उसमें बर्बाद होती है।

दूसरी बात यह है कि यातायात के साधनों की ओर जो प्रयत्न किये गये हैं वे सराहनीय हैं। जिस समय हमारा मुल्क आजाद हुआ उस समय से अब तक उसके दुगने से भी ज्यादा सड़कें हमारे प्रदेश में बन चुकी हैं। एक बात इस सिलसिले में और आपके द्वारा हाउस के गोश गुजार कर देना चाहता हूं कि जो एक फारमूला स्टार और ग्रीट सड़कों की बाबत बनाया गया है उसके मुताबिक काम होना चाहिये, यानी जो डेफिसिट, कम सड़कों वाले जिले हैं उनको भी और जिलों के लेविल पर ले आया जाय।

हम देखते हैं कि शिक्षा के लिये काफी प्राविजन किया गया है। शिक्षा हमारे लिये वाकई एक बुनियादी चीज है। अगर देश को वाकई हमने आगे बढ़ाने का दावा किया है तो शिक्षा पर काफी पैसा खर्च करना चाहिये और उसमें मौलिक सुधार की सख्त जरूरत है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उससे कई गुना अधिक खर्च आज हम शिक्षा पर कर रहे हैं और यह ठीक भी है क्योंकि जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक वे देश की जरूरतों को नहीं समझेंगे और उसे आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

उद्योग-धंधों की बाबत एक बात और रख देना चाहता हूं। अगर वाकई देश को ऊंचा उठाना है तो उद्योगों को बढ़ावा देना होगा और उसके लिये तरकीबें सोचनी होंगी। इसके लिये सेन्टर से तो काफी मदद मिलती है लेकिन हमारे प्रदेश को भी चाहिये कि ऐसे महकमे जो हमें ज्यादा प्रगति की ओर नहीं ले जाते हैं, जैसे इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज वगैरह इन पर जो काफी रुपया खर्च होता है वह उस समय तक उद्योग-धंधों और खेती पर खर्च करना चाहिये, जब तक देश सब बातों में आत्म निर्भर न हो जाय। खेती के सिलसिले में एक आवश्यक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खेती के लिये सब से जरूरी चीज पानी का देना और जहां पानी इकट्ठा हो जाय वहां से पानी का निकालना है। हालांकि जब से देश आजाद हुआ तब से सिंचाई के साधन काफी बढ़ गये हैं लेकिन बहुत सा रकबा ऐसा पड़ा हुआ है जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। इसलिये जो ज्यादा फायदेमन्द महकमे नहीं हैं उनको बन्द करके वह रुपया सिंचाई के साधनों पर खर्च करें तो उससे देश का ज्यादा लाभ होगा। दूसरे, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है वहां से पानी निकालना बहुत आवश्यक है। हजारों एकड़ जमीन बरसाती पानी में डूबी

[श्री राजेन्द्रदत्त]

पड़ी रहती है जिससे उस क्षेत्र में पैदावार नहीं होती। तो इसके लिये यह आवश्यक है कि पानी निकाला जाय। इसके अलावा लोगों को काफी मात्रा में खाद भी मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--मान्यवर, इसमें दो रायें नहीं हैं कि प्रदेश का पूर्वी अंचल लगातार ७-८ वर्षों से दैवी प्रकोप से निस्तेज और निष्प्राण हो गया है, लगातार ७-८ सालों की फसलों के खराब होने से किसानों के बगल में खाई पड़ गई है जिसका पटना असम्भव-सा हो रहा है। ऐसे संकटकाल में जब छोटे-छोटे बच्चों को मटर की रोटी भी भर पेट नहीं मिलती है, सरकारी अहलकार तकावी और मालगुजारी ऐसी निर्दयता से वसूल कर रहे हैं जो जनप्रिय सरकार के लिये कलंक की बात हो सकती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि:

"जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी।"

मान्यवर, इस अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुझे प्रसन्नता जब होती जबकि पूर्वी जिले जो पिछड़े हुये हैं, उनको अन्य जिलों के समकक्ष लाने के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया गया होता। जहां तक पूर्वी जिलों की सिंचाई का संबंध है, जिन जमीनों पर इस समय खेती हो रही है उसका आंशिक रूप से सरकार द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध हो चुका है। कहीं-कहीं पक्की सड़कों के किनारे नलकूप लगा दिये गये हैं, लेकिन न तो नालियां ही बनी हैं और न वह पानी ही दे सकते हैं। आज पूर्वी जिलों में सूखा पड़ा हुआ है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, जब धान को पानी की आवश्यकता पड़ी तो नलकूप रबी एरिया में लगे जिनमें जंग लग रही है। नलकूपों से यह अवश्य है कि किसान जल्दी से अपना खेत भर लेता है लेकिन उस का टैक्स बहुत ज्यादा होता है और जब सिपाही टैक्स के लिये दरवाजे पर आता है तो उसको घर का अनाज, बर्तन भांड़ा वगैरह बेचना पड़ता है।

मान्यवर, जहां तक शिक्षा का संबंध है, यह जरूर है कि पूर्वी इलाकों के लिये, शिक्षा के लिये सरकार ने कुछ रुपये मांगे हैं, लेकिन जो वर्तमान शिक्षा चल रही है उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। देहातों में प्राइमरी स्कूलों की हालत बड़ी शोचनीय है, अध्यापकों की हालत ऐसी है कि गरानी के जमाने जबकि पानी और लकड़ी पर कंट्रोल है तो एक अध्यापक ४०-४५ रुपये पाता है। पिछले बजट में दो रुपये तनख्वाह बढ़ाने के लिये कहा गया था, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाई गई। पता नहीं इसमें क्या राज है! अक्सर देखने में आता है कि देहातों में प्राइमरी स्कूलों की इमारतें गिरी हुई हालत में हैं और ७०-७५ फीसदी मकान गिर गये हैं, न लड़कों के बैठने के लिये टाट है और न मास्टर के बैठने के लिये कुर्सी ही है। यहां तक कि पानी पीने के लिये समुचित रूप से बाल्टी और लोटा तक का प्रबन्ध नहीं हो पाया है और छोटे-छोटे बच्चों को दरवाजों पर चिल्लू से पानी पीने के लिये दौड़ना पड़ता है। यह हालत है प्राइमरी स्कूलों की।

मैं गाजीपुर जिले की ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा जिसके लिये मैं बोलने के लिये उत्सुक हुआ। गाजीपुर जिले में २५ सेकेंडरी हाई स्कूल चल रहे हैं जिसमें कि हजार डेढ़ हजार लड़के हर साल इंटरमीडियेट पास करके निकलते हैं। लेकिन उनका अगला दरवाजा बिलकुल बन्द है। गाजीपुर में डिग्री कालेज अब तक नहीं हुआ था। यह जरूर है कि भूतपूर्व जिलाधीश महोदय कुशलपालसिंह के प्रयत्न से एक डिग्री कालेज दो साल से स्थापित हुआ है जोकि पैसे के अभाव में लड़खड़ा रहा है। मैं गवर्नमेंट से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा की घुड़दौड़ में गाजीपुर की जनता पीछे जा रही है। उसको सहायता देकर आगे बढ़ाया जाय।

जहां तक उद्योग का सवाल है, गाजीपुर जिला उद्योग के मामले में बिलकुल साफ है। वहां पर गुलाब के इत्र का रोजगार होता था और जिससे लोगों को काफी आमदनी हो जाती थी। इसमें भी दो रायें नहीं हैं कि गाजीपुर का इत्र योरोप और बाहर के देशों में भेजा जाता था, लेकिन

आज गाजीपुर, गुलाब और इत्र का रोजगार ठप हो जाने की वजह से खंडहर हो गया है। जितने गुलाब के बागीचे पड़े हुए हैं उनको देखने से रुलाई-सी आती है। अगर गवर्नमेंट इधर खयाल करे तो गाजीपुर का कल्याण हो सकता है।

दूसरी बात उद्योग के सिलसिले में मुझे यह कहनी है कि गाजीपुर जिले में एक तरह की मिट्टी होती है जिसे रेह कहते हैं। "ऊसर बरसा तृण नहिं जामा"। कितना ही पानी बरसता है लेकिन घास नहीं जमती है। रेह से सज्जी बनायी जाती है। एक खास किस्म की कौम है जो चौहान कहे जाते हैं, वह सज्जी बनाते थे जो योरोप को भेजी जाती थी जिससे शीशा बन कर आता था।

(इस समय ४ बज कर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जब वह जमीन बेकार पड़ी हुई और सज्जी से इतना बढ़िया शीशा और चिमनी बनती है तो फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट सज्जी का कारखाना खोलती? अगर ऐसा कर दिया जाय तो प्रान्त की एक लाजवाब चीज हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि मेरा इलाका जहां से मैं आता हूं, मर्दह एक ब्लाक है जहां पर चर्म शोधन उद्योग फैक्टरी की नींव डाली गयी है। लेकिन दो तीन साल हो गये हैं नींव ही नींव है। आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जहां तक निर्माण का सवाल है, यह जरूर है कि किसी भी देश को तरक्की करने के लिए वहां का यातायात का साधन सुन्दर और व्यवस्थित रूप से होना चाहिये। जब तक एक जिले से दूसरे जिले का सम्पर्क नहीं होगा तब तक व्यापार और यातायात नहीं हो सकता। इस मामले में पूर्वी जिलों में काफी अभाव है। मेरा छोटा-सा जिला है। युद्ध के समय में वह युद्ध का केन्द्र बनाया गया। दो-दो हवाई अड्डे बनाये गये लेकिन सड़कों का अभाव है। जो सड़क गाजीपुर से बहरियाबाद जाती है वह इतनी खराब हो गयी है कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। इस तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे।

कृषि के मामले में भी गवर्नमेंट ने अब तक ठोस कदम नहीं उठाया था। लोग कहा करते हैं कि जिस भारतवर्ष में दरवाजे पर जब मेहमान आते थे तो उनका दूध से स्वागत होता था, आज हमारे मेहमानों को बरेली का शीरा भी नहीं मिलता। मालूम नहीं क्या देश को हो गया? क्या ऐसे ही स्वराज्य की कामना की गई थी? क्या महात्मा गांधी के साथ देश के हजारों नवयुवक घर-द्वार छोड़ कर फकीर इसी स्वराज्य के लिए हो गये थे? क्या इसी स्वराज्य की कल्पना में देश की हजारों माताओं की गोद सूनी हो गयी? देश की हजारों ललनाओं की मांग के सिंदूर धुल गए? कदापि नहीं। वह स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य था। वह स्वराज्य वह स्वराज्य था जिसमें कि गरीबों के बच्चों का पेट भर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम लोग ठगे गए। सिर्फ एक सब्ज बाग दिखाया गया। यह सुराज कुराज हो गया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान पर वादविवाद करते समय हमें फिर एक अवसर मिलता है कि हम राज्य सरकार की कार्य-प्रगति पर एक सरसरी नजर डाल सकें। मान्यवर, यदि हम इस दृष्टि से देखें कि पिछले वर्ष जो अनुपूरक अनुदानों पर वादविवाद हुआ था उसकी अब तक के भाषणों से तुलना की जाय तो ऐसा अवश्य आभास होगा कि आलोचना की सीमा और उसकी तेजी दोनों ही पारसाल से कम थी। कदाचित् इसके यही मानें होंगे कि विरोधी पार्टियों के लोगों को भी कुछ सरकार की नीति से सन्तोष अधिक ही है। मान्यवर, प्रातः काल जब विरोधी दल से विशेषतया माननीय प्रतापसिंह जी अपना भाषण दे रहे थे तब उन्होंने एक बात कही जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहते थे कि सरकारी पक्ष से बड़े जोरों के साथ कहा जाता है, उन्होंने तो कुछ तानाशाह आदि की बात भी कह दी थी, कहा कि बड़े जोर के साथ दावा किया जाता है कि हमने प्रदेश में किसी एक आदमी को भी भूखों नहीं

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

मरने दिया, यह बड़े गौरव की बात है। उनकी राय में यह गौरव की बात नहीं बल्कि लज्जा और शर्म की बात है। उन्होंने बड़ा बल दिया और उनकी मांग यह थी कि सरकार का कर्त्तव्य यह है कि खाना बढ़िया से बढ़िया हर आदमी को दे सके। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रताप-सिंह जी को और माननीय खाद्य मन्त्री जी नहीं हैं, वास्तव में तो वे बधाई के पात्र हैं कि आज इस स्थिति को तो विरोधी दल ने स्वीकार किया कि हमारे प्रदेश में भूखों मरने की समस्या समाप्त हो चुकी और खाना मिलने का सवाल आज नहीं है। आज मांग अच्छे से अच्छा खाना मिल सकने की है। यदि यह मांग है तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी उनके साथ हूं। हमारी यह इच्छा, हमारी यह अभिलाषा, हमारी यह कामना तो होनी ही चाहिए। लेकिन राज्य अपनी मजबूरियों और विवशताओं के साथ ही चल सकता है।

श्रीमन्, इसके बाद एक माननीय मित्र ने आज गवर्नर के सम्बोधन के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं श्रीमन्, समझ नहीं पाया कि माननीय राज्यपाल के सम्बोधन का आज इस सप्लीमेंट्री बजट से क्या सम्बन्ध था? कुछ ऐसा लगता था कि कुछ बोझ उनके हृदय में दबा हुआ था। उस वक्त अवसर न मिलने के कारण, आज उन्होंने उसे हल्का किया। श्रीमन्, जनतंत्रात्मक बातों का फिर जिक्र हुआ उनके द्वारा। मैं तो यह समझ सकता हूं और उनके भाषणों को सुनने के बाद और भी मुझे यह आवश्यकता दिखाई पड़ी कि जिस जनतंत्रात्मक परम्परा की ओर माननीय राज्यपाल ने संकेत किया था कदाचित् वह आवश्यक था और उसके लिए हम सबको और स्वयं उन माननीय सदस्य को दुबारा मनन करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, इसके बाद मैं सप्लीमेंट्री बजट की दो एक बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो श्रीमन्, मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं और वह यह कि छठें दर्जे की फीस जब माफ हुई थी उस वक्त सरकार का यह खयाल था कि आगे चलकर सातवें, आठवें और कदाचित् नवें और दसवें की फीस भी माफ हो सकेगी। लेकिन जो परिस्थितियां आईं उनसे यह प्रत्यक्ष है कि कई सालों तक यह होना असम्भव है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार हो। इस समय छठे की फीस जो माफ है उसका परिणाम यह है कि इस कंसेशन का फायदा गरीब और अमीर दोनों को मिल रहा है। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी १०० रुपये, २०० रुपये से कम है वह भी उससे लाभान्वित हो रहा है और वह आदमी भी जिसकी आमदनी १,००० रुपये से भी ज्यादा है वह भी उससे लाभान्वित हो रहा है। इसलिये इसके बजाय अगर यह किया जाय कि जब तक सरकार अपने को इस दशा में नहीं पाती कि सभी क्लासों की फीस माफ करे तब तक के लिये मेरा सुझाव यह है कि सरकार उस मात्रा को कम करे और जो लोवर इनकम ग्रूप के लोग हैं यानी जिनकी आमदनी २०० या २५० से कम है केवल उनको उससे फायदा हो। और जो धन बचे उस धन से जो सातवें, आठवें, नवें और दसवें दर्जे के विद्यार्थी हैं, जिनको आज एजुकेशन कोड के मातहत १२ परसेन्ट या १५ परसेंन्ट फ्रीशिप या हाफ फ्रीशिप मिलती है उनके धन को बढ़ाया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि दसवें दर्जे के लड़कों के लिए जो कम इन्तजाम हुआ है उन गरीब लड़कों की अधिक मदद हो सकेगी जो कि आज फीस के बोझ से मरे जाते हैं और फिर धीरे-धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाया जाय। इससे हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जैसे-जैसे कि समय की प्रगति और हमारे साधन की प्रगति होगी।

इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के बारे में मेरा कहना यह है कि यह जो डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन अफसरों का इन्स्टीट्यूशन है यह बिलकुल आउट लिव कर चुका अपनी आवश्यकता को। यह व्हाइट एलीफेंट की तरह से है। इसका उपयोग दिखाई नहीं पड़ता। इसका जो परपज था वह पूरा हो चुका है। अब इस पर व्यय होना उचित नहीं मालूम होता है। इसको अबालिश कर दिया जाय और अगर काम इनसे लेना ही है तो इनकी कार्यपरिधि में समुचित संशोधन हो जिससे जो व्यय होता है उसका और उपयोग हो सके।

इसके अतिरिक्त एक बात की ओर मुझे ध्यान दिलाना है। इस मेमोरेन्डम को मैंने देखा। इसमें काफी धनराशि दिखाई पड़ती है जो सरकार के ऊपर दावे होते हैं, जो उनके भुगतान के सिलसिले में देनी पड़ती है। वैसे तो यह स्वाभाविक बात है कि इतने बड़े राज्य में मुकदमे होंगे ही और उन मुकदमों म सरकार की हार भी होगी और जीत भी होगी लकिन अगर यह प्रगति बढ़ती रहें और यह टेन्डेन्सी हो जाय कि मुकदमों में सरकार हारती रही और सरकार के खिलाफ डिग्री होती रहें तो फिर यह एक चिन्ता का विषय हो सकता है। आरबिट्रेशन की प्रोसीडिंग की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिये। मुकदमों में जाने से व्यय होता है और अधिकारियों की इनर्जी व्यर्थ खर्च होती है और परेशानी होती है। यह भी है कि स्टेट उस स्तर पर आ जाती है कि जैसे एक व्यक्ति का मामला होता है। आरबिट्रेशन की क्लाज सरकार के अनुबंधों में प्रायः होता है। उसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय। एक यह भी जरूरी बात है कि उन स्थितियों पर जरूर काबू पाया जाय कि जिन स्थितियों में इन मुकदमों को चलाया जाता है। देखने में यह आता है कि सरकार के खिलाफ डिग्री जो होती है उनमें काफी रुपया देना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक छोटा-सा आइटम है। मैंने देखा कि बलरामपुर अस्पताल में स्वास्थ्य के लिए यौगिक व्यायाम करने के लिए एक क्लास खोली जायगी। मैं उसका आदर करता हूं और स्वास्थ्य विभाग को इस के लिए बधाई देता हूं, लकिन मुझे कुछ अनमेल सा जोड़ यह लगा। बलरामपुर अस्पताल में यौगिक व्यायाम की एक्सरसाइज हों और उसका वहां पर प्रशिक्षण हो इसकी सफलता में मुझ सन्देह है। उस के लिए ३, ४ या ५ हजार रुपया व्यय किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यह परीक्षण यदि इस तरह से होगा तो कदाचित् इसका उपहास ही होगा। अच्छा होता यह प्रशिक्षण किसी आयुर्वेदिक कालेज में होता या किसी आयुर्वेदाचार्य के संरक्षण में होता क्योंकि उन को कदाचित् इसकी ज्यादा जानकारी होती। अगर यह परीक्षण करना ही है तो इसको और अधिक उदारता के साथ किया जाय। इस प्रकार से तो यह उपहास ही मालूम होता है।

इसके बाद संक्षेप में एक बात की तरफ ध्यान और दिलाना चाहता हूं जो कि ड्रेनेज स्कीम के सम्बन्ध में है। यह जो ड्रेनेज स्कीम चालू की जा रही है उसमें कई लाख रुपया व्यय हो रहा है। मैं समझता हूं ड्रेनेज की स्कीम में ज्यादा से ज्यादा व्यय होना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं और स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। लेकिन मैं दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो ड्रेनेज स्कीम पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। पिछले दिनों बरेली में जो नल की लाइनें पड़ीं सरकार की ओर से, बड़ी असन्तोषजनक थीं। म्युनिसिपल बोर्ड का उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो इस लिए उन पर पहले तो कड़ा नियंत्रण होना चाहिए और दूसरी बात कुछ वैयक्तिक है। मेरी कांस्टीटचुएंसी बरेली में वाटर स्कीम को कार्यान्वित हुए कई वर्ष हो चुके और इससे पहले स्वायत्त शासन मन्त्री जी जब वहां गये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था . . .

श्री अध्यक्ष—यह वैयक्तिक किस प्रकार है? क्या आप के घर में योजना लगने वाली है? क्या आम जनता के लिए वह नहीं थी?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, चूंकि केवल एक व्यक्ति के क्षेत्र में लगने वाली थी, और हमारे सामने सारा प्रदेश है इसलिए मैंने पहले ही क्षमा याचना कर ली। तो मैं उस के लिए निवेदन यह करना चाहता था कि जब छोटे छोटे नगरों में जल योजना आ गयी और उस में आप ड्रेनेज करने जा रहे हैं, तो बरेली, जो प्रान्त का ५वें अथवा छठे नम्बर का नगर है, उस को इसमें अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक बजट सदन के सम्मुख रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं इस सारे अनुपूरक बजट

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

को पढ़ गया और ९५ फी सदी उस के अन्दर वर्णन मुझे यही मिला कि हम को २, ३, ४ लाख चाहिए और अन्त में मांग टोकेन ग्रान्ट के रूप में १०० रुपये की मिली। इसका सीधा अर्थ है कि श्रीमन्, यह बजट मन्त्री महोदय का बनाया हुआ नहीं है। इस बजट के ऊपर जो नान आफिशियल सिविल अथारिटीज हैं उनकी छाप नहीं है, छाप है तो ब्यूरोक्रेसी की। हमारे सेक्रेटरी महोदय ने अपने मेमोरैन्डम में दो तीन वाक्य लिखे हैं। यह अंग्रेजी में हैं, मैं आप की आज्ञा से उन्हें पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वे मेरी बात का समर्थन करते हैं।

"It is possible that under some of the grants under which the Supplementary Estimates are being proposed, there may be, during the remaining months of the year, some decrease in expenditure resulting in savings or some additonal expenditure".

इसका अर्थ यह है कि उन का जो पहले घाटे का बजट था वह वास्तव में घाटे का बजट नहीं था। उसमें inflated एकाउन्ट्स दिखाये गये थे और अब यह दिखाना चाहते हैं कि हम ने घाटे के बजट को सरप्लस कर दिया। इस के साथ साथ दूसरा वाक्य इस प्रकार है--

"It is difficult at this stage to forecast the probable requirements for the remaining part of the year".

श्री अध्यक्ष--आप यह कहां से पढ़ रहे हैं?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--पहले पेज पर फाइनेंस सेक्रेटरीज नोट आन सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स।

अब श्रीमन्, बड़े आश्चर्य की बात है कि बजट बनाने वाले सज्जन को भी पता नहीं है कि वह भविष्य में कितना खर्च करेंगे। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सदन के सामने अर्थ मन्त्री इस प्रकार की घोषणा कर दें कि हम ने यह इतने करोड़ का बजट पेश कर दिया और हमारा भविष्य का खर्च इस प्रकार होगा और उस के बाद अनुपूरक बजट में कहें कि हम को कल्पना ही नहीं कि खर्च क्या होगा। तो यह कल्पनाविहीन खर्च प्रान्त को कहां ले जायगा? इस से केवल दो ध्वनि निकलती है कि शुरू में घाटे का बजट बनाना और अन्त में कहना कि हम कितने कुशल हैं कि हम ने इसको सरप्लस में बदल दिया और अगर कहीं सेविंग्स नहीं हुई तो कह दिया कि हम ने तो पहले ही कह दिया था कि खर्च हो जायगा। आप प्लानिंग का इतना हल्ला मचाते हैं, सारा स्टेटिस्टिक्स विभाग आप के पास है, और यह सब होते हुए सरकार कहे कि हमको अन्दाजा नहीं कि क्या खर्च होगा, तो मैं जानना चाहूंगा कि कहां गये उन के सारे प्लानिंग के रिसोर्सेज, और स्टैटिस्टिक्स? और अगर इस प्रकार की बात होती है श्रीमन्, तो यह विभाग की अपात्रता है और जो उस विभाग के अधिकारी हैं उनकी अपात्रता है। इस के और अनेक कारण हैं और उसका मैं उदाहरण भी दे सकता हूं कि किस प्रकार उन के अधिकारीसारे सप्लीमेंटरी बजट में गोल मोल कर के खेलते रहते हैं और किस प्रकार सौ रुपये की टोकेन ग्रान्ट्स का नाम लेकर हजारों रुपया बरबाद किया जाता है। १९५६ की जो ऐप्रोप्रिएशन की आडिट रिपोर्ट है उस की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुर्भाग्य से कृषि मन्त्री नहीं हैं, कृषि विभाग के किसी अधिकारी ने १९५३ में यह तय कर दिया कि हम ऐटलस बनायेंगे। उन को ऐटलस के लिए आर्ट पेपर लखनऊ में नहीं मिला, किसी से टेंडर नहीं मांगा गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई। वह अधिकारी अपने आप भागे हुए बाम्बे गये और वहां आर्ट पेपर खरीदा। उस के बारे में आडिटर जनरल ने जो रिमार्क दिया है वह मैं आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं।

"Payment was made to the firms in many cases in advance of receipt of the materials by obtaining advance bills".

क्यों ऐडवांस पेमेंट किया गया, क्यों नहीं मैटीरियल आया तब पेमेंट किया गया, उसका अर्थ मन्त्री महोदय स्वयं समझ सकते हैं।

"In one case, the supplier had been paid Rs.1,287 in March, 1953 for certain items included in his advance bill, which he did not have in stock".

यानी जो सामान स्टाक में नहीं था उसके लिए ऐडवांस बिल बन गया और ऐडवांस पेमेंट हो गया जैसा कि सट्टे में होता है कि माल ही नहीं है और बिक्री और खरीद हो जाती है। बल्कि यह उस से भी भीषण स्थिति है। क्या यह सरकार का विभाग स्टाक एक्सचेंज है?

"The actual receipt of certain special types of printing paper for which advance payment of Rs.24,500 had been made to the supplier in March, 1953 could not be ascertained from the records."

यह तो सईदन खां वाला हिसाब हो गया कि एक मन अशरफियां सूखने के लिए धूप म डाल दीं और १० सेर रह गयीं और ३० सेर सूखन में निकल गया। तो यह सारा आर्ट पेपर सूखने में निकल गया।

"A sum of Rs.503 was spent, out of the funds allotted for these purchases, towards the purchase of spare parts and maintenance of a Utility Van for which separate funds had been allotted".

युटिलिटी वान्स के स्पेयर पार्टस् खरीदे जाते हैं। इसी प्रकार से टोकेन ग्रान्ट्स में घपला होता रहता है और होगा जब तक इस प्रकार की ग्रान्ट्स नहीं रोकी जायंगी। १९५३ की घटना है, १९५६ में आडिटर जनरल आब्जेक्शन करते हैं और १९५९-६० की सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स में पेज २२ में फिर से "मशीन की सहायता से कृषि ऐटलस छापना सम्भव हो सकेगा" और उसके लिए ८१,००० रुपये का अनुदान रख दिया है। श्रीमन्, इतना ही नहीं, १९५३ में कागज खरीदा गया तो उसके वेयर हाउसिंग चार्जेज हैं, गोदाम किराये में लिया गया। उसका अर्थ हुआ कि उसका वाच ऐन्ड वार्ड भी होगा, उसके ऊपर आडिटर जनरल ने आब्जेक्शन किया। आखिरी पैरा है--

"The materials were, however, lying unused on the date of audit inspection in November, 1955 as the work or publication had not started even till then. An additional sum of Rs.15,360 was spent on rent of godown and on watch and ward till November, 1955."

तो टोकेन ग्रान्ट्स के अन्दर इस प्रकार के घपले होत हैं। १९५३ म कागज खरीदा जाता है, कोई रसीद नहीं, कोई टेंडर नहीं। आडिटर जनरल रसीद मांगता है, हिसाब का पता ही नहीं। युटिलिटी वान्स के स्पेयर पार्टस् खरीदे जात हैं और फिर जब कागज आ जाता है तो कहा जाता है कि इस पर इतना रुपया खर्चा हुआ है इसको बचाओ। और मजबूरन उसके लिए गोडाउन लेना पड़ा। और आज ७ वर्ष के बाद फिर उस चीज को दोहराते हैं कि ८१ हजार रुपया एटलस छापने के लिए चाहिए। श्रीमन्, यह सब टोकेन ग्रान्ट्स के फलस्वरूप ही होता है। इसलिए अगर सरकार के ऊपर रोक नहीं लगी तो इस प्रकार के भीषण घपले हमेशा होते रहेंगे और जिन को रोकने में यह सरकार असमर्थ होगी।

जहां तक पुलिस का प्रश्न है, मैं आशा किये हुए था कि जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आयी हुई हैं, उनमें हमारे प्रान्त की जो सरहद तिब्बत से लगी हुई है, उनकी सिक्योरिटी की दृष्टि से, उस ओर सरकार का विशेष ध्यान गया होगा, लेकिन उस का कहीं कोई वर्णन नहीं है। यह नितान्त सत्य है कि इन की पी० ए० सी० फ्रान्टियर पर रहती है लेकिन जाड़े में वह वहां से हटा ली जाती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीनी सेना के आदमी किसी विशेष पत्थर के बने होते हैं? वहं भीषण जाड़े में भी वहां आ जाते हैं और आप की सीमा का अतिक्रमण हो रहा है। आज उस सीमा का अतिक्रमण रोकने के लिए बारहों महीने आप की पी० ए० सी० के लोगों को वहां रहना चाहिए था लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ध्यान दिया गया है ऐटलस छापने की ओर। तो जो यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उस तरफ क्यों नहीं सरकार ने ध्यान दिया?

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

तो मेरा श्रीमन्, इस सरकार पर यह आरोप है कि यह जो सारे अनुदान आते हैं सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के या एक्सेस ग्रान्ट्स के उनके पीछे वह दृष्टिकोण नहीं होता जो कि वास्तव में एक अनफोरसीन एक्सपेंडीचर के पीछे होना चाहिए। अनफोरसीन एक्सपेन्डीचर में आज हमारी सरहद पर जो चीन के द्वारा अतिक्रमण हो रहा है उसका मुकाबला करने के लिए आज इस सरकार का ध्यान गया होता और वह आइटम हमारे सामने आता लेकिन ७ वर्ष पहले जो घपला हो चुका है उसको धोने के लिए आज यह सरकार इस सदन से ८२ हजार रुपये मांग रही है। श्रीमन्, आप देखें कि इस प्रान्त के अन्दर aggressive communalism के द्वारा झगड़े हुये हैं, होली के अवसर पर तथा लहरपुर में कम्युनल रायट्स हुये, उनको रोकने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। आज जहां-जहां विशेषकर रायट्स हो रहे हैं उनमें मैं आप को एक किस्सा बताऊं कि सुल्तानपुर से मऊनाथभंजन तक एक कम्युनल बेल्ट है, उसमें ट्रान्समीटर्स तक काम कर रहे हैं, यह सरकार स्वीकार करती है कि वहां पर पाकिस्तान के एजेन्ट्स काम कर रहे हैं। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए क्योंकि मुबारकपुर के रायट के समय ६ बजे ढाका न्यूज में यह खबर आ जाती है, लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कि सिर्फ ७ मील पर रहते हैं उनको पता ही नहीं चला कि कोई रायट हुआ। आप स्वीकार करते हैं कि सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इस बजट में आप ने सुरक्षा की दृष्टि से, पुलिस को बढ़ाने की दृष्टि से, सरहद की सुरक्षा को ठीक से रखने के लिए कोई भी अनुदान नहीं रखा।

हमारे मन्त्री महोदय पुलिस कमीशन की घोषणा करते हैं। पुलिस कमीशन अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन उसका कम्पोजीशन क्या होगा, बनावट क्या होगी इस बारे में सदन में कुछ भी नहीं कहा गया। जब आप पुलिस की आचार पद्धति बनाने जा रहे हैं जिसके आधार पर पुलिस की नीति और रीति निश्चित की जायगी तो उसके लिए आवश्यक था कि उसके कम्पोजीशन की घोषणा की जानी चाहिए थी। उस कम्पोजीशन में जहां पुलिस के अधिकारी होते, ब्योरोक्रेसी के लोग होते, वहां पब्लिक के आदमियों को भी लेने की आवश्यकता थी परन्तु इसके बारे में कोई स्पष्ट घोषणा यहां नहीं है, केवल कह दिया गया, एक स्लोगन लगा दिया गया कि पुलिस की आचार पद्धति की रचना के लिए पुलिस कमीशन बन रहा है। आज पुलिस का आचार क्या है, इस सम्बन्ध में रोज कामरोको प्रस्ताव और नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आती रहती हैं कि पुलिस ने क्या ज्यादती की, कहां मर्डर किया, कहां क्या किया। तो एक तरफ हमारे सामने पुलिस कमीशन बनाने की बात आती है और दूसरी ओर पुलिस की बर्बरता के आचार हमारे सामने आ रहे हैं। क्या मैं इसका अर्थ यह समझूं कि आपने केवल पुलिस की आचार-पद्धति रीति और नीति के निर्माण के लिए कमीशन की घोषणा कर दी परन्तु आप उस पर कार्य नहीं करना चाहते? श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और देने की कृपा करें। इसके पीछे जो सारा मिलिटरी आर्गनाइजेशन का भाव था, उसके बारे में आपने एक पैसा भी इस बजट में नहीं मांगा है।

मेडिकल विभाग को ले लीजिये। आज १५० अस्पतालों में, जैसा कि मन्त्री जी ने प्रश्नों के उत्तर में बताया था—हो सकता है कि इस से कुछ कम हों—डाक्टर नहीं हैं। क्या वे अस्पताल इसलिए बनाये गये हैं कि उनमें ईंट, पत्थर और गारा इस्तेमाल हो जाय? वहां आवश्यक यन्त्र और दवाइयों के लिए इस सरकार ने क्या किया है? पुराने मकान तो खंडहर होते जाते हैं और नये मकान यह सरकार बनाती चली जाती है। यह शासन की अपात्रता और कमजोरी है।

कालोनाइजेशन और रिहैबिलिटेशन विभाग के बारे में एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन ने रिपोर्ट दी है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। नाम नहीं लूंगा। रिहैबिलिटेशन विभाग ने पीलीभीत, बिजनौर इत्यादि कई स्थानों पर बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों के फार्म भाव से अधिक दाम पर लिये हैं। भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं, उनके बहनोई, भाई और लड़के हैं, उनके फार्म लिये हैं। १।।, १।। और २, २ लाख रुपया दिया गया है। जब कि वहां का

रोस्टर रेट २०० रु० प्रति एकड़ है। क्या यह विभाग सरकारी अधिकारियों को पैसा देने के लिए है? और मजा यह है कि उन जगहों पर सरकार की अपनी बंजर भूमि पड़ी हुई है। उसे तोड़ कर क्यों नहीं रिहैबिलिटेशन कराया जाय? कुछ ऐसे भी अधिकारियों के फार्म लिये गये हैं जिनमें साल भर में ६ महीने पानी भरा रहता है। वहां कैसे रिहैबिलिटेशन होगा? हम कैसे विश्वास करें कि जो पैसा हम इस सरकार को देंगे वह सदुपयोग में लगेगा?

इस सरकार की सिंचाई की योजनाओं को लीजिये। अभी हम लोगों ने लिखकर दिया कि हम सूखे पर विवाद करना चाहते हैं। यह ठीक है कि प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसकी भीषणता को तो कम किया ही जा सकता है। उसके बारे में तो हम विचार कर ही सकते हैं। जिस समय सूखा पड़ा तो क्या हमारे प्रान्त की नहरों ने और ट्यूबवेलों ने ठीक समय पर पानी दिया? नहीं दिया। हमारी शिकायत है कि योजना और साधन होने के बावजूद भी समय पर काम नहीं किया जाता है और सारे समाज को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। आज सरकार कहती है कि ट्यूबवेल की गूल के लिए पैसा दो। आप किसी भी गूल पर जा कर देखिये और नाली पर ठोकर मारिये तो गिर पड़ेगी। मैं नाम भूल गया हूं। यहां एक बांध के बारे में प्रश्न हुये थे कि पत्थर पानी के बहाव से टूट गये और वह बह गया। क्यों इतना कमजोर बांध बनाया गया? जिस इन्जीनियर ने उसे बनाया सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? और हमसे कहते हैं कि पैसा दो। तो क्या हम पैसा इस प्रकार से बरबाद करने के लिए दें या अधिकारियों को धनी बनाने के लिए दें?

खाद्य विभाग के लिए मैं कहता हूं। अभी लखनऊ में सदर बाजार में सरकारी दुकान पर गल्ले की चोरबाजारी का जिक्र हुआ था। एक ट्रक भरी हुई मैदा पकड़ी गयी। सरकार के इन्स्पेक्टर फैक्टरी में मौजूद हैं और वे पैसा लेकर २५ से ३० परसेंट तक फैक्टरी के मालिकों को मैदा बनाने की आज्ञा देते हैं।

अन्त में एक बात और मैं कहूंगा। सहकारिता विभाग में विशेष घपला होता है। मैंने स्वयं श्रीमन् को पत्र लिखा है जिसमें आधे घंटे का विवाद मांगा है। इनके विभाग के लोग गड़बड़ करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो सारी एविडेंस छिपा देते हैं और नष्ट कर देते हैं। जब इस प्रकार से सरकार के उच्चाधिकारी प्रश्रय देंगे तो ठीक से शासन चल नहीं सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुपूरक अनुदानों का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान हैं और उनके द्वारा लगभग सवा तीन करोड़ रुपया हम से मांगा गया है। अनुपूरक अनुदानों का आना कोई नयी बात नहीं है। हर साल इस प्रकार के अनुदान आते हैं, एक बार या दो बार। मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस समय सरकार का बजट बनाया जाता है यह सम्भव नहीं है कि तमाम बातों को सोच लिया जाय और अनफोरसीन (unforeseen) मदें निकल ही आती हैं, जिनके लिए अनुपूरक अनुदान की जरूरत पड़ सकती है। यह भी मैं मान सकता हूं कि अनुदान स्वीकार हो गये हों, लेकिन उनमें कुछ नयी मदें आ सकती हैं जिन के लिए यद्यपि पैसा विभाग के पास हो फिर भी इस सदन की स्वीकृति की आवश्यकता है।

मगर मुझे इस बात का खेद है कि एक बार नहीं, कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं कि सरकार का बजट बनाने का तरीका सही नहीं है और एस्टिमेट्स जो हमारे सामने आते हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। इन प्रस्तुत अनुदानों में अधिकांश ऐसे हैं जिनमें नया खर्चा दिखाया गया है और बाद में कह दिया गया है कि चूंकि बजट में बचत होगी इसलिए टोकेन ग्रान्ट १०० रु० की रख दी गयी है। अच्छा हो यदि जब सप्लीमेंटरी और टोकेन ग्रान्ट्स पेश हों तो इस बात का भी विवरण दिया जाय कि कितना पैसा किस मद में बचेगा और क्यों बचेगा। इस बचत के स्पष्ट मानी हैं कि सरकार के एस्टिमेट्स सही नहीं हैं। या तो कुछ मदों को जिनको इस सदन ने स्वीकार किया है, किसी वजह से या विभाग की इनएफिशियेंसी के कारण छोड़ दिया

[श्री नवलकिशोर]

गया या बाकई बचत हुई है। हमारे सामने इसका स्पष्ट चित्र होना चाहिए। मेरा तो केवल यही तर्क है कि यह इस बात का सबूत है कि हमारे एस्टिमेट्स जितनी होशियारी से बनने चाहिए उतनी अच्छी तरह से वे नहीं बनाये जाते हैं और यह दुख की बात है।

इस में ऐसी मदें भी मैंने देखी हैं जो अनफोरसीन नहीं कही जा सकतीं। क्या वजह थी कि पहले यह मदें प्रथम बजट में नहीं आयीं? मिसाल के तौर पर, ग्रान्ट नं० ५, बन में २,५०,००० रुपये हैं। इस में २, ३ आइटम्स हैं. ये बातें हमारे सामने मुद्दत से हैं, जैसे अस्क टिम्बर ट्रीटमेंट प्लान्ट का खरीदा जाना। जो मदें हम आसानी से आर्डिनरी बजट में रख सकते हैं उन्हें सप्लीमेंटरी बजट में नहीं लाना चाहिए।

यही नहीं इसके अन्दर एक चीज और है। मुद्रण मशीनों का खरीदा जाना। इससे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी एक छापाखाना खोलने जा रहा है। एक टेंडेन्सी हमारे डिपार्टमेंट्स में होती जा रही है कि वे इंडेपेंडेण्ट होना चाहते हैं। किसी मामले में कोआर्डीनेशन या कोआपरेशन से काम करना नहीं चाहते। हमारे पास इतना बड़ा गवर्नमेंट का छापाखाना है जिसकी एक ब्रान्च लखनऊ में भी है जिसकी मशीनों के लिये हमने १८-१९ लाख रुपया मंजूर किया था। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्राइवेट छापेखाने भी हैं। यद्यपि आज यह ग्रान्ट चन्द हजारों की ही है लेकिन मुझे भय है कि फिर इसमें स्टाफ रखा जायगा और धीरे-धीरे एक पूरा विभाग प्रिन्टिंग एन्ड पब्लिसिटी का हो जायगा। एस्टीमेट कमेटी ने इस बात की जोरदार सिफारिश की थी कि प्रिन्टिंग एन्ड पब्लिसिटी का केन्द्रीयकरण होना चाहिये। अगर फिर भी गवर्नमेंट प्रेस उस काम को किसी वक्त करने में असमर्थ हैं तो वह काम प्राइवेट प्रेसेज को दिया जाय क्योंकि उनके काम की कीमत गवर्नमेंट प्रेस से कम आती है। लेकिन यहां तो डिपार्टमेंट इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके इंडेपेंडेण्ट छापेखाने हों।

ग्रान्ट नम्बर २३ के अन्दर कृषि इनफारमेशन ब्यूरो के लिये भी छापे की मशीनों के लिये रुपये की मांग की गयी है। एस्टीमेट कमेटी ने एक सिफारिश की थी और यह कहा था कि यह उचित नहीं है कि इतना बड़ा इनफार्मेशन डिपार्टमेंट होते हुये भी कि जिसका बजट १४ लाख के बजाय ४६ लाख का हो गया हो, जो सारे प्रदेश पर छाया हुआ हो, हर जिले में सूचना अधिकारी हो चाहे उपयोग हो या न हो तब भी ऐग्रीकल्चर के लिये अलहदा से इनफारमेशन ब्यूरो का खोला जाना उचित नहीं है। अगर यह ठीक भी मान लिया जाय तो भी यह कोई ऐसी ग्रान्ट नहीं है जो अनफोरसीन कही जा सके। इसी तरीके से और भी चीजें हैं।

हर आदमी जानता है कि १२ साल पीछे कुम्भ होता है और ६ साल पीछे अर्द्धकुम्भ होता है लेकिन उसके लिये भी पैसा सप्लीमेंटरी बजट में रखा गया है। बात यह है कि हमारा जो कर्मचारिवर्ग है वह इसको भली प्रकार से जानता है कि यह बजट जल्दी में पास होगा, सदस्यों को देखने का समय मिलेगा नहीं, इसलिये ऐसी चीजों को भी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में रख दिया जाय। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। इस प्रकार की जितनी भी ग्रान्ट्स हैं उनको मेन बजट में ही आना चाहिये। इसका सरकार को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिये।

कुछ और भी बातें हैं। रामनगर में म्यूनिसिपैलिटीज के एक्जीक्यूटिव आफीसर का एप्वाइंटमेंट हुआ। घोड़ा न चढ़ सकने के कारण उसको हटाया गया। हटाने के आर्डर में कोई कमी रह गयी जिसकी वजह से केस चला। हालांकि थोड़े से रुपये की बात है लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेंसी को साबित करता है। इसी प्रकार से कालोनाइजेशन में एक शख्स ने २० हजार रुपये से अधिक का गबन किया। सरकार ने उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया और केवल उसको बरखास्त कर दिया। जिन आफिसर ने उसको बरखास्त किया था उन्होंने यह काबलियत दिखाई कि जो उनकी बरखास्तगी का आर्डर दिया था उसमें कुछ कमी

छोड़ दी। उसने कोर्ट में दावा किया और कोर्ट ने ९ हजार की डिग्री कर दी। इस प्रकार से २९ हजार रुपया पब्लिक एक्सचेकर का बरबाद हो गया। जिस आफिसर की वजह से यह गलती हुई और सरकार को ९ हजार रुपया देना पड़ा उसके विरुद्ध सरकार ने कोई ऐक्शन लिया? इसका मंत्री जी कृपया जवाब दें। एक बात और कहना चाहता हूं। इसके साथ-साथ इसमें कुछ अनुदान ऐसे भी हैं जो इस सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के अन्तर्गत आने ही चाहिये थे। मिसाल के तौर पर टी० सी० एम० के अन्तर्गत इंजीनियरों को दूसरे देशों में भेजने की बात है। हमारे यहां के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का कोर्स बजाय ३ वर्ष के ४ वर्ष का हो गया। इसी तरह कुछ आइटम जो हैं वह एजूकेशन डिपार्टमेंट में भी हैं, उद्योगों में भी पैसा मांगा गया है इस बात की बड़ी शिकायत है कि हमारे यहां इंडस्ट्रीज की बड़ी कमी है जिसको बढ़ना चाहिये। एक कोई साहब शिकागो गये हैं जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिये बाजार की स्टडी करेंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें। और क्या-क्या बातें होंगी उसे तो मैं आगे चल कर देखूंगा लेकिन मेरी शुभकामना उन आफिसर तथा हैंडलूम इंडस्ट्रीज के साथ है कि वह अच्छी तरह से बढ़े और विदेश के लोगों में उसका काफी प्रचार हो। ऐसी ग्रान्ट्स का मैं समर्थन करता हूं और प्रशंसा भी करता हूं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसका कोई स्थान सप्लीमेंटरी बजट में नहीं था। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखा जाय कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में वही चीज हमारे सामने आवे जिसको कि इन्सान साधारण तौर पर पहले से सोच नहीं सकता था। हर चीज को सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के नाम पर पास कराना अनुचित सा है। जहां तक इन अनुदानों का सम्बन्ध है मैं इनका समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक अनुदान को देखने के बाद एक अजीब विचित्रता सी दिखलायी पड़ी। जिस प्रकार की विचित्रता घाटे के बजट को देख कर मालूम होती थी ठीक उसी प्रकार की विचित्रता इन अनुपूरक अनुदानों को देख कर भी हुई। मालूम यह पड़ता था देखने से कि ३ करोड़ से ऊपर की जो यह रकम मांगी गयी है, कोई बहुत ही जरूरी चीज आ गयी, कुछ ऐसे जरूरी काम आगये हैं जिनको सरकार उस वक्त बजट में नहीं दिखला पायी थी और उस बजट के पास होने के और इस समय के दरमियान कुछ अजीबो गरीब घटना हुई है जिससे इतनी लम्बी चौड़ी मांग करनी पड़ गयी है। लेकिन श्रीमन्, जिस वक्त मैंने इन मांगों के स्मृतिपत्र को ध्यान से आद्योपान्त पढ़ा तो मुझे यह मालूम पड़ा कि "खोदा पहाड़, निकली चुहिया"।

ये जितनी मांगें हैं वे सब बजट के वक्त आ सकती थीं लेकिन ऐसा न करके उनको इधर रख दिया गया। पता नहीं यही जनतांत्रिक तरीका है कि इस किस्म के सप्लीमेंटरी ग्रान्ट रखे जायं। जानबूझ कर ये चीजें की गयी हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या बात है इसको वे अपने जवाब में बतलायेंगे।

श्रीमन्, जो कुछ थोड़े से अनुदान हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बजट के समय पर भी रखे जा सकते थे। श्रीमन्, अनुदान संख्या ५—बन को देखा जाय। कांटेदार तार लगाने के लिये खम्भे लगाने के लिये साल के खम्मे नहीं लगाये जा सकते हैं, क्योंकि उनके स्लीपर्स रेल गाड़ियों के लिये बन जाया करते हैं। इसलिये मामूली किस्म की लकड़ी लगाई जाती है जो सड़ जाया करती है। इससे बड़ा नुकसान होता है इससे बचने के लिये अस्कू टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट खरीदने के लिये १० हजार रुपये की रकम रखी गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बजट पेश होने के पहले यह बात समझ में नहीं आयी थी? अगर पहले यह स्कीम समझ में आयी थी तो इसको पहले बजट में ही ले आना चाहिये था। मगर उस समय न लाकर अब इधर लाया गया है। श्रीमन्, इधर आकर छापेखाने की मशीनों की भी जरूरत आ पड़ी। क्या पहले छापेखाने की जरूरत नहीं पड़ी थी जो इस वक्त इतने लम्बे चौड़े अनुदान की आवश्यकता आ पड़ी? इसके आगे श्रीमन्, देखें अनुदान संख्या १०—राजस्व के लिये किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) एटा

[कुंवर श्री पार्लासिंह]

जिले में ऊधर बांध की मरम्मत। इसके चौथे आइटम में लिखा है कि चूंकि यह कार्य आवश्यक और अपरिहार्य था और उसके लिये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी इसलिये यह रखा जा रहा है। तो क्या यह बांध बजट पास होने के बाद बना और अगर पहले से बना था तो क्या इस में खराबी बजह बनने और आज के बीच पैदा हुई जिसकी मरम्मत की आवश्यकता पड़ गई कि जिस के लिये बजट में रुपया नहीं मांगा जा सकता था ?

इसके बाद है अनुदान संख्या १९--सिंचाई स्थापना पर व्यय। कहते हैं कि कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है। उनके लिये २२,२०० रुपये के खर्च का अनुमान है। क्या यह जरूरत भी ३ मास में ही आ पड़ी जिन को संयुक्त राज्य अमरीका भेजा जा रहा है, पहले से नहीं मालूम था बजट के वक्त ? उस वक्त न रखकर अब इस समय क्यों यह रखा गया है ?

अब अनुदान संख्या २५ देखा जाय---राज्य के पूर्वी जिलों में मत्स्य विकास कार्यक्रम का विस्तार---क्या यह वस्तु बजट के पास होने के बाद शुरू हुई, इसकी भी पहले से खबर नहीं थी ? इसी तरह से अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं। इस में ४ आइटम हैं, दूसरा है 'मजदूरी तथा सामान की कीमतों में वृद्धि और पुलों तथा पुलियों के लिये अधिक आयोजन जिसमें वर्तमान पुलियों की मरम्मत भी सम्मिलित है'। क्या ये सब पुलियों की मरम्मत इन्हीं ३ मासों में दिखाई पड़ी, मजदूरी भी इन्हीं ३ मास में बढ़ गई पहले से नहीं मालूम था बजट के समय ?

करीब-करीब सब की यही हालत है। अनुदान संख्या ४० है लेखन सामग्री और छपाई--इस में किस लिये रुपया मांगा है ? कुछ मकान हैं, कुछ क्वार्टर्स हैं जो गिर रहे हैं उनकी मरम्मत के लिये रुपया रखा गया है। वह मरम्मत क्यों की जा रही है ? इसलिये नहीं कि उन में रहने वाले लोगों की कष्ट है बल्कि इस में स्पष्ट लिखा है कि जो किराया सरकार को मिलता वह नहीं मिल रहा है मरम्मत न होने की वजह से। अतः मरम्मत करना आवश्यक है जिस से उन में रहने वालों से किराया वसूल किया जा सके। क्या यही समाजवादी ढांचे वाली सरकार का तरीका है कि मरम्मत इसलिये जरूरी है कि किराया नहीं मिल रहा है, इस तरह से व्यापारात्मक प्रवृत्ति से सरकार काम कर रही है।

अनुदान संख्या ४१ देखा जाय। इस में एक आइटम है कि देहरादून सिटी बोर्ड द्वारा प्रेमनगर कालोनी, देहरादून में पानी सप्लाई का प्रबन्ध तथा सड़कों नालियों आदि की मरम्मत। यह भी क्या बजट पास होने के बाद ३ महीने में नई कालोनी बन गई या आसमान से टपक पड़ी। यह बजट में नहीं रखी जा सकती थी क्या ?

इसी तरह से अनुदान संख्या ४६ में है देवहा बांध, पीलीभीत की मरम्मत। बांध बना और मरम्मत शुरू हो गई, मई, जून में आवश्यकता महसूस हो गई। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिछले साल की बरसात में उसमें नुकसान हुआ जिससे अनुभव किया गया कि पीलीभीत शहर को भी नुकसान पहुंचे। इससे सिद्ध है कि बजट पेश करने के पहले सरकार के मस्तिष्क में वह बांध आ चुका था मगर उसमें न रख कर सप्लीमेंटरी में ले आए हैं। इस प्रकार से करीब-करीब सब में यही हालत है।

पुलिस अनुदान संख्या १८ है। एक बड़ी भारी विचित्रता जो इसमें है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। बजट में आमदनी तो दिखला दी क्योंकि रुपया सेन्टर से मिला था लेकिन उसमें खर्चा दिखलाना भूल गये। मालूम नहीं बजट बनाते वक्त बजट बनाने वाले सो रहे थे जो खर्च दिखलाना भूल गये। इसलिये इसे यहां ले आये हैं।

अनुदान संख्या १४ में जैसा अभी नवल किशोर जी ने बतलाया बनारस के केस के बारे में, कमिश्नर साहब ने उनको आर्डर दिया और वह आर्डर बगैर कानूनी सलाह लिये दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने रिट फाइल की और जीत गये। उनकी डिग्री हो गई सरकार के

ऊपर। माना कि यह आस्किमक चीज हुई लेकिन किसकी गलती से हुई ? जिस किस की गलती हो उसी की तनख्वाह से पैसा काटा जाना चाहिये देहात के रहने वाले किसान जो खाने बगैर मर रहे हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाय और इस तरह से बांटा जाय यह कहां का न्याय है ?

एक चीज और बड़े मजे की है। अनुदान संख्या १३ में। यौगिक क्रियाओं में रोगों का इलाज करने के लिये बलरामपुर अस्पताल में विभाग खोल रहे हैं। कहते हैं कि पश्चिमी देशों में भी हमारी इस प्राचीन प्रणाली पर लोग बहुत ध्यान देते हैं। हमारी इस समाजवादी सरकार के नेत्रों से कोई चीज तब दिखाई देती है जब कि पश्चिम से सूरज उगता है। पूर्व से सूरज की किरणों को देखने की ताकत हमारी समाजवादी सरकार के नेत्रों में नहीं है। पश्चिमी चश्मा चढ़ा हुआ है उसके अन्दर से देखते हैं। जब पश्चिमी देशों ने जोर दिया कि योगिक क्रियाओं से रोगियों को लाभ हो सकता है तब मंत्री जी के नेत्र खुले और बलरामपुर अस्पताल में ५ हजार की एक ग्रान्ट रख दी। मालूम नहीं आंसू पोंछने के लिये था क्या ? उस पर तो अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिये।

बड़ी लम्बी चौड़ी बातें की गईं स्वास्थ्य के बारे में। अभी माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के ही उत्तर में कहा था कि १५६ अस्पताल गांवों में ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं। जहां काम कम्पाउन्डरों द्वारा हो रहा है अगर प्रति अस्पताल पर पांच हजार की ही आबादी रख ली जाय तो कितने आदमियों की जान खतरे में है। कहा है कि नीम हकीम खतरये जान और नीम मुल्ला खतरये ईमान। बिना समझे बूझे लोगों के हाथ में इतने आदिमियों की जान देकर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम तो अस्पताल खोलते जाएंगे चाहे डाक्टर मिलें या नहीं।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)––श्रीमन्, एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कल उठाना चाहता हूं, आपको सूचना दे रहा हूं, माननीय विष्ट, सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस के खिलाफ। उन्होंने सदन की कार्यवाही को गलत तरीके से लिखा है।

२ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २४–२५ पर श्री नवलकिशोर द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष––अब मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ को दी गई नजूल की आराजी संबंधित श्री त्रिलोकीसिंह के २ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २४–२५ पर श्री नवलकिशोर द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––अध्यक्ष महोदय, २ सितम्बर को मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी के संबंध में दो प्रश्न माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने पूछे थे। प्रश्न संख्या २४ और २५ में पूछा गया था कि जिन टर्म्स पर उनको लीज दिया गया है वह क्या हैं ? यह तो प्रश्न संख्या २४ में पूछा गया था। और प्रश्न २५ में यह पूछा गया था कि वहां अब तक कितनी इमारतें बन चुकी हैं और उनमें से कितनी तिजारत के काम के लिये इस्तेमाल की जाती हैं ? जवाब दिया गया कि १६ इमारतें हैं जिनमें से ११ इमारतें तिजारत में इस्तेमाल होती हैं। श्रीमन्, इन उत्तरों से मुझे यह लगा कि जो उत्तर दिया गया वह काफी संतोषजनक नहीं था और मुझे भय है कि मोती लाल मैमोरियन सोसायटी जैसी संस्था के प्रति कुछ जनता में गलत धाराणायें बनने का अंदेशा है। और आपको याद होगा, यह भी पूछा गया था कि वहां शराब की दुकान है और शराब की दुकान का चर्चा बार-बार आया और ऐसा मालूम होता था जैसे उस सोसायटी ने कोई शराब की दुकान खोल दी है। और सही बात है। इतनी

[श्री नवलकिशोर]

ऊंची संस्था शराब की दुकान खोले तो अनुचित सी बात होगी। यह भी पूछा गया कि इसके अध्यक्ष कौन हैं और माननीय मंत्री जी को शायद उस समय नाम नहीं मालूम था। एक आध सदस्य ने तो यह भी कहा कि क्या कोई भूतपूर्व मंत्री उसके अध्यक्ष हैं ? इस सम्बन्ध में मुझे थोड़ी जानकारी है वह मैं हाऊस के सामने रखता हूं और आशा है कि मंत्री जी उसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे।

मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी को १९४० के अन्दर एक परपीचुअल लीज दिया गया और वह हैलट साहब के जमाने में मिला। जो जमीन मिली उसके अन्दर तीन प्लाट जमीन के ऐसे थे जो दूसरों के कब्जे में थे और उन साहबान को १९३० में १५ साल के लिये लीज दिया गया था। इस लीज की एक यह शर्त थी कि जब उनके लीज का टर्म खत्म होगा तो वह तमाम जमीनें उनके तमाम राइट्स मोतीलाल मैमोरियल सोसायटी को ट्रांसफर कर दिये जायंगे। उन्हीं में से एक जमीन के ऊपर जो कि श्री नागेश्वर सहाय खरे के नाम में थी उन्होंने अपने पैसे से दुकान बना ली। और मुझको इत्तला है कि उन्होंने कुछ अपना काम किया और १९३८ में, जो भैरों वाइन स्टोर जो आज भी वहां स्थिति है, उसके लिये वह दुकान उन्होंने किराये के लिये दे दी। १९४९-५० में उन्होंने अपने अधिकार सोसायटी को दे दिये। एक बात तो मैं साफ यह कहना चाहता हूं कि जो शराब की दुकान थी, यह, जिस समय मोतीलाल सोसायटी को लीज दिया गया, उससे कई साल पहले से वहां थी और बावजूद तमाम कोशिशों के यह दुकान खाली नहीं करायी जा सकी, क्योंकि कानून रेंट कंट्रोल का ऐसा है जिसकी वजह से खाली नहीं हो सकी। एक दिक्कत और भी है कि जो उसके असली मालिक थे वह मर गये और उनकी बेवा है और बेवा जिस समय रोती झींकती है तो और भी दिक्कत होती है। मैं सोसाइटी की तरफ से मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इन दूकानों को वहां से हटवा दें तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरी बात यह है कि सिर्फ तीन इमारतें पहले से थीं इन तीन प्लाट्स पर और इनको उन्होंने अपनी-अपनी बनायी थीं। मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी ने कोई दुकान बना कर नहीं दी। इतना जरूर किया है कि इन तीन प्लाट्स के बीच में जो जमीन थी लिहाजा सोसायटी ने उसको टेम्पोरेरी तौर पर एक, एक साल के लीज पर दे दी है बदले में यह लोग कुछ थोड़ा सा कमपेन्सेशन भी देते हैं सोसायटी को जो उसके कामों में खर्च होता है। मगर जो स्ट्रक्चर्स वहां बने हैं जिनके नाम लीज हैं उन्होंने अपने बनाये हैं सोसायटी ने कोई नहीं बनाया सिर्फ ३, ४ जैसे होम्योपैथिक अस्पताल वहां का जो स्टाफ है उसके लिये कुछ इमारत है, बच्चों का म्यूजियम है, लाइब्रेरी है एक प्ले ग्राउन्ड है। और भी इनकी बहुत सी स्कीम्स हैं जिसके अन्तर्गत वह विद्या मंदिर व कम्युनिटी सेन्टर बनाना चाहते हैं उद्योगिक म्यूजियम बच्चों का बनाना चाहते हैं। ज्यों-ज्यों सोसायटी के पास पैसा आयेगा यह काम होते जायेंगे। यही नहीं इस सोसाइटी की एक यह भी मांग है और उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है कि वे हमारे पूज्य आचार्य नरेन्द्रदेव जी से संबंधित उनकी स्मृति में एक पुस्तकालय को ६ या ७ लाख रुपये खर्च करके बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात तो यह हुई।

तीसरी बात यह है कि जहां तक अध्यक्ष की बात थीं मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि सन् १९३५ से १९३७ तक इसके अध्यक्ष हमारे बम्बई के वर्तमान गवर्नर श्री श्रीप्रकाश जी रहे हैं। सन् १९३७ से १९५६ तक परमपूज्यनीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी इसके अध्यक्ष रहे। सन् १९५६ और १९५७ में डाक्टर संपूर्णानन्द जी इसके अध्यक्ष रहे और उसके बाद नवम्बर सन् १९५७ से श्री चन्द्रभान जी गुप्त इसके अध्यक्ष हैं। तो यह जो धारणा बनने का अंदेशा है कि इधर वह दुकान हुई है वह बात नहीं है। यह दूकान तो जो हमारे महान् नेता थे आचार्य जी उन के सामने भी थी सन् १९३८ से थी क्योंकि कोशिश करने के बाद भी वह दूकान खाली नहीं करा पाये। बात्या तो यह है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके बार में स्पष्टीकरण कर दें तो मैं जो कुछ फिर कहना होगा कहूंगा।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मुझे खेद है कि मेरे उत्तरों से कुछ गलतफहमी हुई। लेकिन उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पास जो प्राप्त सामग्री थी उसके आधार पर ही मैं उतना उत्तर दे सकता था। उसके बाद लीज वगैरह को देखा। यह सही है कि तीन दुकानें पहले से ही वहां मौजूद थीं और उनकी लीज को सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिया गया था और इनसे यह तय कर लिया गया था कि इसके कारण जो जिम्मेवारियां होंगी वह सोसाइटी की होंगी गवर्नमेन्ट का उनसे कोई डाइरेक्ट ताल्लुक नहीं रहेगा, यह बात भी सही है कि शराब की दुकान वहां पहले ही से थी। मेरे पास नागेश्वर सहाय जी ने एक खत की कापी भेजी है जो खत गुप्त जी को, उन्होंने लिखा है। उस खत में यह बयान किया है कि वह दूकान वहां पर सन् १९३८ से थी और इसका लीज से कोई ताल्लुक नहीं है।

जहां तक दूसरी बातों का ताल्लूक है मेरी सोर्स आफ इन्फार्मेशन भी सोसाइटी ही है और मैं समझता हूं कि वह ठीक ही होगा। मैं इतनी ही बात कहता हूं कि अभी तक कोई ब्रीच आफ लीज टर्म्स नहीं हुआ है क्योंकि जितना भी पैसा है वह इसी सोसाइटी के परपज के लिये खर्च होता है यह सोसाइटी अच्छा काम कर रही है। कोई ब्रीच आफ लीज टर्म्स हमारी नजर में अभी तक नहीं है। फिर अगर कोई चीज सामने आयेगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि कोई ब्रीच आफ लीज रूल्स नहीं किया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह भूमि सालाना लगान पर इसलिये दी गयी थी कि उस पर अजायबघर, पुस्तकालय, औषधालय और औद्योगिक विकास, इत्यादि के लिये इमारतें बनबायी जायं और उसकी पूर्ति हेतु काम किया जाय अथवा इस जमीन को किराये पर उठाकर उससे जो आमदनी हो उस को उस उद्देश्य की पूर्ति में लगाया जाय ?

श्री अध्यक्ष---तो आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, प्रश्न तो बड़ा स्पष्ट है कि क्या सोसाइटी को जो यह भूमि नामिनल रेंट पर दी गयी है वह इस वास्ते दी गयी है कि वह उस उद्देश्य की पूर्ति में न लगाकर किराये पर जमीन को चलाकर उस रुपये को उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं तो इन दोनों में कोई कंट्रेडिक्शन नहीं देख सका। जब तक जमीन खाली पड़ी है और जो सारा प्रोग्राम मकान बनाने का एक साथ पूरा नहीं हो सकता है तो उससे इस बीच अगर वह कुछ फायदा उठा लेती है और उस फायदे को भी उसी में लगा देती है तो मेरी दृष्टि से कोई ब्रीच आफ लीज टर्म्स इसमें नहीं हुआ।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४० के बाद भी ३–४ वर्ष हुये उक्त भूमि और सड़क के बीच में नजूल की बहुत सी जमीन मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी को दे दी गयी है ? यदि हां, तो उसके लीज के टर्म्स क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो नया सवाल है, इससे संबंधित नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---जो वक्तव्य अभी हमारे भाई नवलकिशोर जी ने दिया है उसके बारे में मंत्री जी का क्या विचार है, वह सही है या गलत है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया कि बहुत सी चीजें जो उन्हें मालूम थीं उन्होंने बता दीं। बाकी जो नवलकिशोर जी ने कहा उसे वह सही मानते हैं, यह तो बताया उन्होंने क्योंकि उनकी बहुत सी जानकारी भी सोसाइटी के द्वारा ही हुई है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो ऐग्रीमेंट हुआ था उसमें यह कहा गया था कि अगर उन दुकानों को हटाना होगा तो सोसाइटी मुकदमा लड़ेगी और हटायेगी तो क्या सरकार को जानकारी में यह बात है कि शराब की दुकान सन् १९३८ में खोली गयी और उसके बाद से सोसाइटी ने कोई मुकदमा दायर करके उसे हटाने की कोशिश की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैंने अर्ज किया कि उन्होंने कोई कोशिश उसके बाद नहीं की क्योंकि सन् १९४६ तक तो लीज ही चलती थी और इस बीच ये लोग जेल वगैरह चले गये थे और बाद में आने के बाद रेंट कंट्रोल आ गया, उसकी वजह से और फिर जिस मकान से इसका ताल्लुक है वह एक विधवा का है। गुप्ता जो उस समय तक पिक्चर में थे नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इन्हीं दुकानों में एक प्रताप नाम का पी०एस०पी० का कार्यकर्त्ता भी लेसी है और उससे काफी झगड़ा हुआ लेकिन उसने खाली नहीं किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हमारे पास इस वक्त उसकी इनफारमेशन तो नहीं है लेकिन गुप्ता जी से यह जरूर मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है और उन्होंने मुख्य मंत्री जी को ऐसा लिख कर भी भेजा है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---सन् १९५६ में जो चुनाव हुआ उसमें चुनने वाले लोग कौन थे और अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से हुआ ?

श्री अध्यक्ष---यह विषय से संबंधित नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---उन्होंने कहा कि १९४६ और १९५६ में चुनाव हुआ।

श्री अध्यक्ष---यह सवाल नहीं है। सवाल यह था कि कौन अध्यक्ष रहा। आपका भी अगर वही मतलब हो तो बता दीजिये। दूसरी तरफ से पूछने का मतलब यह था कि क्या उसके चेयरमैन हमेशा भूतपूर्व मंत्री रहे हैं और उनके जमाने से ही शराब की दुकान चली आ रही है। यह आक्षेप करने का इरादा मुझे स्पष्ट दिखाई दिया था और उसका स्पष्टीकरण श्री नवलकिशोर जी ने यह दिया कि नरेंद्रदेव जी जिस वक्त शराब की दुकान मौजूद थी उस वक्त से सन् ५६ तक चेयरमैन थे। उसके बाद मुख्य मंत्री भी सोसायटी के प्रेसीडेंट रहे हैं। उसके बाद गुप्ता जी चुने गये, चाहे गलत तौर से चुने गये हों, लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी शराब की दुकान कायम रखने की थी तो केवल दो साल की थी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---लीज लिखने वाले कौन थे और लेसी कौन था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---लेसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था और उस तरफ से मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी थी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उसमें ऐसे कितने दुकानदार हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, देश के अन्दर ज्यादा आदमी कांग्रेस पार्टी के ही समर्थक हैं इसलिये वहां भी ज्यादा आदमी कांग्रेस विचार के होंगे।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९४० में जब जमीन की लीज इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने दी तो उस समय कितने किरायेदार थे जिसका अधिकार ट्रस्ट ने सोसाइटी को ट्रांसफर किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसमें तीन आदमियों का जिक्र है।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार आग्रह करना चाहती है कि वहां से दुकान हटा दी जाए और उसके लिये ठोस कदम उठाना चाहती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, सरकार नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं समझती है क्योंकि १९३८ से वह दुकान है और लीज देते समय कोई शर्त ऐसी नहीं की थी कि सोसायटी की दुकान हटानी पड़ेगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ११ दुकानों में तिजारत चलती है वह मोतीलाल सोसाइटी चलाती है या उसने किसी को दे दी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, उसकी सारी इनकम सोसाइटी को ही मिलती है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, अभी दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी के प्रश्न पर चेयर से व्याख्या हुई तो मैं यह जानना चाहता हूं कि व्याख्या का यह अभिप्राय है कि दोनों कसूरवार थे या एक ही खतावार था ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने प्रश्न पूछा था कि चुनाव किस तरह से हुआ। वह दूसरी तरफ जा रहे थे चुनाव की लीगेलिटी और इल्लीगेलिटी का नया विषय उठाते हुए, इसलिये मैंने कहा कि यह प्रश्न सामने नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)---इन तीन किरायेदारों के अतिरिक्त जो जमीन पड़ी हुई थी। वह लीज पर टेम्पोरेरिली शरणार्थियों को दी गई है ?

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, प्रश्न हुआ था कि दुकानें किराये पर दी गईं, मैं पूछना चाहता था कि इन दुकानों के अलावा जो लीज से पहले थीं उनके अलावा जो जगह दी गई टैम्पोरेरी तरीके पर काम करने के लिये उनमें शरणार्थी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, सरकार के पास डायरेक्ट इनफारमेशन नहीं है बल्कि जो पत्र लिखा है उसमें इनफारमेशन मिली कि शरणार्थियों के लिये टेम्पोरेरी स्टाल बनाकर वह जगह दी थी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जमीन पर शराब की दुकान होने की सूचना सरकार को कब प्राप्त हुई और उसको हटाने के लिये कोई कदम उठाया गया ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने जवाब दे दिया है कि उसको उठाना वह ठीक नहीं समझते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस नैतिक दृष्टि से वह दुकान नहीं हटाई जा रही है क्या यह वही नैतिक दृष्टि है जिससे कानपुर ड्राई एरिया नहीं रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष---आप तो राय का पूछ रहे हैं।

श्री नवलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उससे स्पष्टीकरण हुआ। माननीय सुरथबहादुर शाह ने प्रश्न पूछा था कि जो किराया आता है वह भी उसके आबजेक्ट्स के काम में आता है और उसी पर पैसा खर्च होता है। श्रीमन्, इसके संबंध में मेरी जानकारी यह है कि जितनी बातें उन दुकानों के संबंध में कही गई हैं

[श्री नवलकिशोर]

उन दुकानों से मुश्किल से १२५–१५० रुपये माहवार की आमदनी होती है और सब पैसा सोसाइटी के आब्जेक्ट्स में ही खर्च किया जाता है और मैं आपको बतलाऊं कि यह वह सोसाइटी है जिसके पास शुरू में कुछ भी धन नहीं था और आज ५०–६० लाख के उसके ऐसेट्स हैं। तो यह इतना अच्छा काम कर रही है। दूकानों के बारे में श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट जी ने पूछा तो बता दूं कि एक योजना सोसाइटी के विचाराधीन है जिसके बारे में श्री मेहरचन्द जी खन्ना से भी बातचीत चल रही थी कि अगर वह कुछ रुपया दे दें तो हमारे जो शरणार्थी भाई आये हैं उनके लिये दूकानें और मकान वगैरह बना दिये जायं, क्योंकि आब्जेक्ट्स में यह भी है कि जो कोई गरीब और दुखी हो उसकी इमदाद की जाय और शरणार्थियों के पुनर्वासन की बात भी है। लेकिन यह कि किराये की नीति से सिर्फ वहां काम किया गया है या यह नीति हो कि चूंकि कम दामों पर लीज है उससे ज्यादा फायदा किया जाय सो यह सोसाइटी कोई कामर्शल हाउस नहीं है और कोई बिजिनेस नहीं करती है। इसका काम चैरिटेबिल परपजेज का है। आज भी उनके सामने कई योजनायें हैं। जो नरेंद्रदेव पुस्तकालय बनाने वाले हैं उसी पर ६–७ लाख रुपया खर्च होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय सदस्य जो पहले भाषण दे रहे थे प्रश्न के खोलने में और अब जो भाषण दे रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि जो यह प्रश्न था इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब भी माननीय सदस्य के भाषण से कोई कंफ्युजन नहीं मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री शिवप्रसाद नागर—यह है कि अगर किसी वजह से कोई कंफ्युजन नहीं है तो आध घंटे की बहस में सदन का समय नष्ट नहीं होना चाहिये। नियम ५० के उप-नियम (३) की तरफ आप का ध्यान दिलाता हूं। "कोई सदस्य जो ऐसा विषय उठाना चाहता हो, उस दिन से, जिस दिन वह उस विषय को उठाना चाहता हो, तीन दिन पूर्व सचिव को उसकी लिखित सूचना भेजेगा और उस विषय या उन विषयों का, जिनको यह उठाना चाहता है, संक्षेप में उल्लेख करेगा:

परन्तु सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी जिसमें सम्बद्ध विषयों पर चर्चा उठाने के कारण बताये जायेंगे।"

जो चर्चा उठायी गयी है उसका कोई कारण नहीं प्रतीत होता है।

श्री अध्यक्ष—यह तो राय है। यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। जब मैंने उपस्थित करने की इजाजत दे दी है तो यह सवाल अब नहीं उठ सकता है।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथियों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस सिलसिले में जो मैंने समय लिया वह इसलिये लिया क्योंकि उन्हीं की तरफ से भ्रामक बातें पूछी गई थी।

श्री अध्यक्ष—आपने एक चीज नहीं बतायी। शराब की दूकान उठाने के लिये बार-बार सदन में सवाल किया गया है। तो क्या सोसाइटी उसे हटाने के लिये तैयार है या नहीं?

श्री नवलकिशोर—सोसाइटी श्रीमन्, अहसानमन्द होगी अगर सरकार उस दूकान को हटाने में सहायता दे। उसमें कुछ कानूनी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से सोसाइटी हटा नहीं पा रही है। नहीं तो सोसाइटी एक सेकेंड के लिये भी रखना नहीं चाहती। अन्त में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि सोसाइटी के पास बहुत सी और स्कीमें हैं। ज्यों-ज्यों ये योजनायें कार्यान्वित होती जायंगी, जमीन को खाली करवाने की कोशिश की जायगी। इतना ही मुझे कहना है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे प्रसन्नता है। अपनी तरफ से सरकार दबाव नहीं डालना चाहती थी। वैसे हम राय जरूर देते कि हटवा सकें तो अच्छा है। जो कानूनन मदद हो सकती है उसे करने में सरकार को प्रसन्नता होगी।

३१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ पर श्री राज नारायण द्वारा उठाए गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—अब मगराही फार्म (मिर्जापुर) के लिये जमीन खरीदने में सरकार द्वारा प्रचलित रेट दो सौ रुपया प्रति एकड़ की जगह आठ सौ रुपया प्रति एकड़ दिये जाने से संबंधित श्री राजनारायण के ३१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ पर श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा। श्री रामस्वरूप वर्मा ने लिख कर दिया है कि हमारे स्थान पर श्री राजनारायण बोलेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह मगराही फार्म का प्रश्न इस सदन में कई बार उठ चुका है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को भी लिखा था और जहां तक मैं समझ सका हूं हमारे उस लिखने पर सरकार ने वहां पर डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर को भेजा और डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर जब वहां गये और २८ अक्तूबर, १९५८ को जो उन्होंने अपनी रपट दी उसमें उन्होंन हमारी बात का कतई समर्थन किया। वह रपट जो २८ अक्तूबर, १९५८ को डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने दी है वह हमें भी मिली है श्रीमन्। विधान सभा के प्रथम सत्र १९५९ के पहले सोमवार के प्रश्न संख्या ७० पर जो हमारा प्रश्न था, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर की रपट हमारे पास भेज दी थी। इसमें उन्होंने लिखा है उत्तर में कि "जी हां, रिपोर्ट की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है"। जब यहां से डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर गये तो हमको उसकी जानकारी हो गई थी और जो उन्होंने वहां पर गवाही साखी वगैरह ली थी उससे हमको पता चल गया था कि उनको इस बात की जानकारी हो गई है वहां जमीन का रेट २०० रुपया प्रति एकड़ से अधिक नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने जो अपनी रपट पेश की वह सफाई के साथ और निर्भीकता के साथ पेश की। अगर वह डरते तो इस तरह की रपट न देते। उसमें लिखा है:

"I inspected the Government Agricultural Farm at Magurahi to-day on October 28, 1958. The farm opened in March, 1957 and it has an area of 85.3 acres. The area is not compact and consists of long irregular strip of land."

देखा जाय श्रीमन्, बात इसमें यह है कि आखीर सरकार ने यह जमीन ली क्यों? हमारा कहना यह है कि जमीन सरकार ने ली एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पैसा देने के लिये, अब आप चाहें कहें लेकिन नाम तो आयेगा क्योंकि जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है उसका नाम है विश्वनाथ पांड . . . .

श्री अध्यक्ष—उस प्रश्न और उत्तर का तो आप जिक्र कर नहीं रहे हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर आपको गलत मिला. . . .

श्री राजनारायण—उन्होंने हमारे प्रश्न के उत्तर में डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर की रपट भेज दी। अब फिर जो दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था जो कि विधान सभा के प्रथम सत्र १९५९ के चौथे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया था उसमें जब हमन यह पूछा कि क्या अब यह सरकार की जानकारी में बात आ गई कि २०० रुपये प्रति एकड़ की जगह ८०० रुपये प्रति एकड़ दिये गये तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि "जी नहीं"। मगराही

[श्री राजनारायण]

फार्म का मूल्य जिलाधीश मिर्जापुर ने २०० रुपया नहीं ८०० रुपया प्रति एकड़ आंका था। अतएव उसी के अनुसार भुगतान किया गया। अब मैं आश्चर्यचकित हो गया कि डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर वहां गये, अच्छी तरह से जांच की और कहा कि यह बात सही है कि दो सौ रुपये प्रति एकड़ के भाव पर ही यहां जमीन बिकी है और उसी जमीन का कर्मचारियों ने ८ सौ रुपया प्रति एकड़ दाम दिलाया है उस पर भी यह उत्तर दिया गया। डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने यह भी लिखा है श्रीमन्, कि हमें यह बहुत ज्यादा दाम क्यों दिया गया? इसके कारण का पता नहीं चल रहा है जबकि दो सौ रुपये प्रति एकड़ के भाव पर ही वहां जमीन मिलती थी। तो यह उत्तर माननीय मंत्री जी का गलत हुआ। मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि जिलाधीश ने भी ८ सौ रुपया प्रति एकड़ की सिफारिश नहीं की, न तो जिलाधीश ने किसी समय ऐसा कहा ही है, यह मेरी अपनी जानकारी है और अगर माननीय मंत्री जी के पास कोई रिपोर्ट है तो वह उसे पेश करें सदन के सामने। श्रीमन्, अब देखा जाय कि उस फार्म पर कितना रुपया सरकार का नष्ट हो रहा है। हमारे पूछने का सारा मतलब यही था। जो डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था कि १२ हजार ८ सौ रुपये का नुकसान इसमें हुआ है .....

श्री अध्यक्ष---यह पूछा था क्या आपने? यह क्या उसमें है?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह तो ७० नम्बर का प्रश्न था। उस पर पूरक करने का समय आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इसके लिये इजाजत नहीं दूंगा। जब यह प्रश्न आया नहीं तो इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता। प्रश्न ७० के बारे में विवाद उठाया भी नहीं गया है।

श्री राजनारायण---यह ७० नम्बर का प्रश्न तो पहले सोमवार के लिये था। दूसरा चौथे सोमवार का देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---एजेंडे में यह है आज के कि मगराही फार्म (मिर्जापुर) के लिये जमीन खरीदने में सरकार द्वारा, प्रचलित रेट दो सौ रुपया प्रति एकड़ की जगह ८ सौ रुपया प्रति एकड़ दिये जाने से संबंधित श्री राजनारायण के, ३१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३---तो जिस प्रश्न से संबंधित विवाद उठाया है उसी तक आप सीमित रखें अपने को।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन्, उसी में हमारा प्रश्न यह आता है।

श्री अध्यक्ष---उसमें जो पूरक प्रश्न पूछे गये उनके सम्बन्ध में आप कह सकते हैं।

श्री राजनारायण---दो सौ की जगह आठ सौ क्यों दिया गया और यह फार्म सरकारी फार्म के रूप में लिया ही क्यों गया? क्योंकि यह जमीन बिलकुल स्केटर्ड हैं और कम्पैक्ट नहीं है। कहीं पर एक एकड़ है और कहीं पर दो एकड़ है। इस पर डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है और हमने जो उनको पत्र लिखा था उसके उत्तर में भी लिखा है कि इसमें नुकसान होता है। सरकार का २०० बोरे सीमेंट बिलकुल सड़ गया। सन् १९५७-५८ में ७२ एकड़ जमीन में खरीफ की फसल बोई गई जिसमें केवल ७ मन उत्पादन हुआ था। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वह जमीन फार्म के लायक नहीं थी। उस जमीन को किसी की साजिश या तिकड़म से सरकार ने खरीदा। वह जमीन श्री विश्वनाथ पांडेय की है जिन्होंने उसकी रजिस्ट्री की है और वह एक माननीय मंत्री के सम्बन्धी हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि इसमें किस बात का कन्फ्यूजन है यह अभी तक सदन को मालूम नहीं हो सका है। वह क्या चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। एक तो यह कि इस फार्म की बाबत जितनी कीमत कूती गई ८०० रुपये वह इसकी कीमत नहीं थी। उनका कहना यह है कि उसकी कीमत २०० रुपये थी जिसका ८०० रुपया दिया गया ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मेरा वैधानिक प्रश्न है। जिस समय आप बोल रहे थे तो माननीय सदस्य इस सदन में खड़े रहे। क्या उनके लिये उचित है ?

श्री अध्यक्ष—उनसे गलती हुई। उनको बैठे रहना चाहिये था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब वह २०० रुपये एकड़ की जमीन थी तो उसका ८०० रुपया क्यों दिया गया ? वह एकत्रित जमीन नहीं थी तो उसको क्यों लिया गया ? वह फार्म के लायक जमीन नहीं थी, छितरी हुई जमीन थी तब भी उसको लिया गया। सब से बड़ी नजाकत इसमें यह हुई कि जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई उनको बेचने का कतई हक नहीं था क्योंकि वह सीरदार थे। सीरदार को अपनी जमीन बेचने का हक उस वक्त तक नहीं है तब तक कि वह जमींदारी अबाशिन ऐक्ट के अन्तर्गत उसका भूमिधर न बन जाय और १० गुना लगान उसका जमा न करे। वह जमीन किस तरह से उनसे ली गई ? वह जमीन एक राजा की थी। यदि सरकार चाहती तो .....

श्री अध्यक्ष—इससे इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री राजनारायण—अगर सरकार उस जमीन को लेना चाहती तो उस समय उसने नहीं ली जब उसको मुफ्त मिल रही थी। उस वक्त सरकार ने उसको नहीं लिया क्यों ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—मान्यवर, माननीय रामस्वरूप वर्मा ने जो प्रक्रिया नियमावली की धारा ५० के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा करने के लिये समय के आवंटन की आपसे आज्ञा मांगी थी जिसके लिये आपने आधा घंटे का समय उनको दिया उसके सिलसिले में आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदन में जो बातें उन्होंने टीका के रूप में दी हैं मेरी समझ से वे भ्रमात्मक हैं और गलत हैं। आपने यह कहा कि डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर की जांच की रिपोर्ट आ चुकी है तब पुनः इस बात की जांच की रिपोर्ट तैयार कराये जाने की क्यों आवश्यकता हुई ? और डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को न मानने का क्या कारण है ? और डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को उचित नहीं जान पड़ी। यही नहीं माननीय राजनारायण ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि सरकार के पास ऐसी शिकायत की गई और सरकार ने उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बिठाई और उसके बाद वर्मा जी को इन्क्वायरी करने के लिये भेजा। यह सब बिलकुल गलत है। वाकया यह है कि वर्मा जी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के नहीं बल्कि प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं जो स्वतः जब दौरे पर गये तो उस फार्म पर भी वह पहुंच गये। उन्होंने जो अपने रिमार्क दिये हैं वह उनका इन्सपेक्शन नोट है ।

शायद माननीय सदस्य भूले नहीं होंगे कि जो सवाल उन्होंने किया था १३ नम्बर का, ३१ अगस्त, १९५९ को उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि निरीक्षण की रिपोर्ट क्या दी है। यह बात ७० सवाल में उन्होंने पूछी है। तो यह कहना कि वहां पर वह सरकार के द्वारा जांच करने के लिये भेजे गये थे बिलकुल गलत है। शायद राजनारायण जी स्वयं भूल जाते हैं कि स्वयं उन्होंने मांग की थी कि जो उनकी निरीक्षण रिपोर्ट है वह माननीय सदन की मेज पर रख दी जाय। तो मैं यह भ्रम मिटाना चाहता हूं और शायद यह जितनी भी बातचीत हुई और यह समय का जो आवंटन किया गया यह इस भ्रम के कारण ही हुआ। माननीय मंत्री जी ने कभी यह नहीं कहा कि वह उसकी इन्क्वायरी करा रहे हैं या दुबारा इंक्वायरी करायेंगे। बात यह थी कि जो यह कहा गया कि २०० रुपये एकड़ की जमीन है और उसका ८०० रुपया एकड़ दाम दिया गया, इस बारे में हमारे पास जो रिपोर्ट है वह यह कि, जैसा कि उत्तर में कहा जा चुका था, वास्तव

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

में उसकी कीमत ८०० रुपया ही है और उसकी पूरी जांच हमने जिलाधीश महोदय से करा ली थी और जिलाधीश महोदय ने दो बार इसकी इंक्वायरी करायी। एक तो परगनाधीश से और दुबारा तहसीलदार से और इस के अतिरिक्त हमने रेवेन्यू विभाग से भी जो कागजात मंगवाये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट से, उन से भी जो रिपोर्ट सरकार के सामने आयी उसमें यह कहा गया था कि ५०० रुपया बीघा या ८०० रुपया एकड़ इस जमीन का दाम है। अब माननीय राज नारायण जी ने यह कहा, मुझे पता नहीं कि उनका संकेत किस ओर है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से यह जमीन खरीदी गयी। वह प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें यदि मैं आदरणीय सदन के सामने यह बात लाऊं कि प्रभावशाली व्यक्ति तो वह है कि जिन से राजनारायण जी से मुकदमेबाजी चल रही है।

श्री गोविन्दसिंहबिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---व्यवस्था का प्रश्न। क्या यह सवाल किसी प्रकार भी राजनारायण जी से या उनकी किसी चीज से संबंधित है जिसका कि माननीय मंत्री जी जिक्र कर रहे हैं और आक्षेप कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने एक प्रभावशाली व्यक्ति की बात कही। तो उसी में वह बता रहे हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति कौन है। राजनारायण जी को बोलने का पूरा अख्तियार है। आप क्यों बीच में बोलते हैं? वह प्रभावशाली व्यक्ति का स्पष्टीरण कराना चाहते हैं तो वह स्पष्ट करेंगे।

श्री गोविन्दसिंहबिष्ट---यह तो हाउस में बोल रहे हैं, हाउस की बात है।

श्री अध्यक्ष---बारबार जब उन्होंने प्रभावशाली व्यक्ति का जिक्र किया तो उसे बताने का अधिकार मंत्री जी को जरूर है।

श्री कालीचरण अग्रवाल---तो मैं निवेदन कर रहा था कि चूंकि कहा गया था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं इसलिये मैंने बतलाया कि वह प्रभावशाली व्यक्ति कौन हैं। नालिश हुई, मुकदमा नम्बर १७, सन् १९५९ का माननीय राजनारायण जी के भतीजे जदुनाथ सिंह जी पर और जिसमें माननीय राजनारायण जी के टी०ए० बिलों का भी रेफरेंस है जो उन्होंने एलेक्शन कमीशन के सामने जो हिसाब जाता है उसमें नहीं दिखाये थे और जब नालिश हुई तो यह प्रश्न असेम्बली में भेजा गया। तो यह ऐसी बात नहीं कि जिसके लिये मैं आदरणीय सदन का अधिक समय लूं।

अब जो वास्तविकता है मैं उस पर आना चाहता हूं। जो यह कहा गया कि २०० रुपये एकड़ की चीज थी और उस पर ८०० रुपया एकड़ दाम दिया गया, तो उसके लिये मैं यह निवेदन करूं कि जिलाधीश महोदय की जो रिपोर्ट आयी उसमें लिखा गया है कि उसकी कीमत ८०० रुपया एकड़ होनी चाहिये। उन्होंने इस बात की पूरी इंक्वायरी करा ली थी और उन्होंने जो मेरे पास सूचना भेजी है वह इस प्रकार है:

"There is no recent sale in village Magurahi, pargana Barhar, but the sale price of land in its neighbouring villages is Rs.500 per bigha. It comes to Rs.800 per acre. Therefore, it will appear that the rate of Rs.500 per bigha reported by the S. D. O. is quite correct. Development work is going on in Robertsganj and its neighbouring villages and therefore the price of land is on increase day by day.

The land to be acquired is close to a canal and therefore it has got irrigation facilities.

Under the above circumstances, I agree the report of the then S. D. O. and the Sub-Registrar, Robertsganj. The rate of land at Rs.500 per bigha, i.e. Rs.800 per acre approximately, is reasonable."

तो यह जिलाधीश की सूचना सरकार के पास आयी उसी के आधार पर यह रुपया दिया गया। इसके बाद मैं आदरणीय सदन के सामने यह भी निवेदन करूंगा कि यह जो रुपया दिया गया है ८०० रुपये एकड़ के हिसाब से, अगर कोई माननीय सदस्य चाहें तो आकर मेरे पास देख सकते हैं कि जमीन का नक्शा क्या है। वह जमीन एक कम्पैक्ट एरिया है और उनका यह कहना कि कोई १० एकड़ की पट्टी है कोई ४ और कोई ५, यह गलत है? बीच में इस जमीन के कहीं कोई रास्ता भी नहीं आया है या किसी दूसरे का खेत भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि जो डेवलपमेन्ट कमिश्नर महोदय ने कहा कि यह लांग स्ट्रिप है तो यह तो सुन्दरतम चीज है जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। बात यह है कि यह रेक्टेंगुलर नहीं है, यह सही है कि स्क्वायर नहीं है लेकिन कैनाल के किनारे-किनारे वह जमीन चली जाती है, रास्ते में किसी प्रकार की दूसरी जमीन नहीं आती। एक तरफ नहर का पूरा पानी उसको मिलता रहता है।

दूसरी बात यह है कि हमने जो जमीन की कीमत दी है वह ५०० रुपया एकड़ दी है, ८०० रुपया एकड़ की नहीं दी। उस पर जो बंधी बनी हुई है जोकि मिर्जापुर और बुन्देलखंड के इलाके में हुआ करती है तो १२ फिट का तो उनका बेस है, ८ फिट ऊंची है, ४ फिट से लेकर ६ फिट तक टाप पर बंधी बनी हुई है। अगर कीमत लगायी जाय तो ५० हजार रुपया तो उसी की कीमत हो जाती है, क्योंकि उनसे सिंचन की सुविधा प्राप्त हो जाती है और यह सत्य है कि बंधी वाली जमीन की कीमत बिना बंधी की जमीन से दुगनी हुआ करती है। तो अगर ८०० रुपया एकड़ समझा जाय तो ४०० रुपया एकड़ पड़ेगी। यह हो सकता है कि २०० और ढाई सौ रुपया असिंचित जमीन की कीमत हो, लेकिन जब उसके आस-पास की जमीनें बिकी हैं, जैसी कि रिपोर्ट है, कि ५०० रुपया बीघा और ८०० रुपया एकड़ की बिकी हैं और अभी-अभी जो सूचना आयी है उससे मालूम हुआ कि बिना बन्धी की ५०० रुपया एकड़ की बिकी है, तो जब वहां बन्धी की सुविधायें हैं तो ८०० रुपया एकड़ उसकी कीमत अधिक नहीं है। उसके एक तरफ तो नहर है, दूसरी तरफ राबर्ट्सगंज से बनारस जाने वाली सड़क है और अगर वहां निर्माण कार्य हो रहा है तो आगे बहुत जबरदस्त उसकी कीमत हो जायगी।

एक मैं निवेदन करूं कि जो प्रश्न ७० आदरणीय राजनारायण ने कहा, वास्तव में तो वह १३ नम्बर का जो प्रश्न है उससे यह चर्चा संबंधित है, लेकिन उन्होंने ७० नम्बर ....

श्री अध्यक्ष--मैंने उनको रोक दिया था, लेकिन अगर आप इसका जवाब देते हैं तो वह भी जवाब दे सकते हैं।

श्री कालीचरण अग्रवाल--मुझे तो ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह जो खराबियां बतलायीं गईं कि कुएं (well) काम नहीं कर रहे थे और दीगर खराबियां थीं तो इनके सम्बन्ध में भी डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने कहा वह उनके ऐसे सजेशंस हो सकते थे। और माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि फिर विचार करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने जो कहा उसमें कौन-कौन सी बात सही हो सकती है तो उस पर यह प्रश्न उठाना कि डेवलपमेंट कमिश्नर की तहकीकात की रिपोर्ट को न मानने के क्या कारण हैं, तो उनकी तो कोई तहकीकात की रिपोर्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हुआ कि सरकार ने डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर महोदय को बुलाया था, डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर को पूछा था कि किस आधार पर यह लिखा गया था कि जमीन के दाम २०० रुपया एकड़ के हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि "मैं तो कैजुअल विजिट के तौर से गया था मेरे पास कुछ लोग आये, मैं नहीं कह सकता वह इंटेरेस्टेड भी हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि २०० रुपया एकड़ की जमीन है और ८०० में बेची गयी है।" इस कारण मैंने ऐसा लिखा उनको तो कानूनी अख्तियार भी नहीं था, जहां तक कि कीमत का सवाल है, कि वह अपने विचार प्रकट करते। वह उनके अधिकार के बाहर की बात थी। बहरहाल चूंकि वह रिपोर्ट आयी

[श्री कालीवरण अग्रवाल]

और चूंकि वह हमारे डिपार्टमेन्ट के अफसर भी नहीं हैं, हमने उसकी भी इंक्वायरी अपने विभाग से करायी और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने लिखा है जहां तक रेट का प्रश्न है, वह सही नहीं है और वाकयात उसके खिलाफ हैं।

श्री अध्यक्ष---उत्तर काफी हो गया। अब प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में जो फार्म खरीदा गया उसके मालिक का उस फार्म से सीरदारी का सम्बन्ध था या भूमिधरी का ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर किसी फर्म का इंसपेक्शन कर सकते हैं, यदि नहीं, तो उन्होंने किस आधार पर रिपोर्ट लिखी थी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---उनको निरीक्षण करने का सर्वदा अधिकार है, लेकिन कीमत पर राय प्रकट करने का अधिकार नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि भूतपूर्व जो इसके मालिक थे वह किसी वर्तमान मन्त्री जी के समधी लगते थे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ८५ एकड़ जमीन फार्म के लिये ली गई वह कुल जमीन एक प्रकार की पैदावार और उपजाऊपने की नहीं है बल्कि उसमें कुछ उपजाऊ है और कुछ ऊसर बंजर है और कुछ जमीन बलुही है इसलिये उसकी बहुत कम कीमत मिलनी चाहिये ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--- अभी तक मुझे मालूम नहीं कि क्या उसमें उपजाऊ है और क्या गैर उपजाऊ है लकिन बहुत अच्छी जमीन छांट कर ली गई और उस मुहकमें वालों ने अच्छी से अच्छी जमीन जो मिल सकती थी वह ली, इसमें कोई ऐसी जमीन नहीं है जो उपजाऊ न हो।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस इलाके में यह जमीन ली गई है और मंत्री जी ने अभी अपने बयान में कहा कि उस इलाके में और भी ऐसी जमीनें हैं जो इसी क़ीमत पर बिकी हैं तो क्या सीलिंग के वक्त जो ४० एकड़ से ज्यादा जमीनें होंगी उनको भी सरकार इसी कीमत पर लेगी या इससे कुछ कम क़ीमत पर ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मंत्री जी ने यह कहा था कि कलेक्टर की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें ८०० रुपया प्रति एकड़ उन्होंने सही माना है तो क्या वह रिपोर्ट दिखलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---वह तो बता दिया गया है। अगर आप आज्ञा देंगे तो मेज पर भी रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष---उसमें क्या शब्द हैं यह आप बता दें, यानी ८०० रुपया प्रति एकड़ है उसमें या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो अभी मेरे सहयोगी ने बता दिया है। उसके अलफाज यह हैं---

"It can safely be said that the rate for this land would be nearabout Rs.500 per bigha. The decision, however, rests with the deapartment and on whether the owner is willing to sell his land on a price lower than that what has been recommended by us".

तो ५०० रुपया बीघा ८०० रुपया एकड़ एक्जैक्टली होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--- क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि जिन सज्जन की जमीन खरीदी गई है उन्होंने अपनी १७० एकड़ जमीन में से ८५ एकड़ खराब जमीन बेच दी ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--- क्या यह सही है कि जिन महाशय ने जमीन बेची उनसे राजनारायण जी का कोई मुकदमा चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो पहले बता दिया गया है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--- क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन खरीदी गई है उस जमीन के आस-पास का सर्किल रेट क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी मिर्जापुर जिले में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां का सर्किल रेट अभी तय नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आज ही पूछा था। वहां पर सर्किल रेट कोई एकसाँ नहीं है। बहुत सी जगह कुछ है ही नहीं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस जमीन के पास जो और जमीनें खरीदी गई हैं वह २०० रुपया फी एकड़ के हिसाब से खरीदी गयी हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि डेवलपमेंट कमिश्नर ने यह लिखा है कि ७२ एकड़ में ७ मन अनाज खरीफ में हुआ ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---मुमकिन है उस साल फसल वर्षा में डूब गयी हो और कम पैदा हुआ हो।

श्री राजनारायण---आज माननीय मंत्री जी के जवाब को सुनकर यह कहना पड़ता है कि सवाल दीगर जवाब दीगर। यह हिम्मत है इस सदन में एक मंत्री की कि वह प्रश्न के जवाब में कहे कि यह रिपोर्ट है और आज कहे कि वह रिपोर्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष---वह उत्तर कृषि मंत्री जी ने दिया और आज जो जवाब दिया वह डिप्टी मिनिस्टर ने दिया। उन्होंने जो जवाब दिया वह कानून की दृष्टि से तो नहीं दिया, लेकिन उनका मतलब यही था कि उक्त अफसर को रिपोर्ट करने का अधिकार नहीं था।

श्री राजनारायण---हमारी तरफ से कोई भी रिपोर्ट दे, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे रेवेन्यू विभाग हो या कृषि विभाग हो या कोई और दूसरा विभाग हो लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मैंने यह प्रश्न आज नहीं उठाया। यह प्रश्न फरवरी में उठा। 'ग्रामवासी' की एक कटिंग मेरे पास है जिसमें ९ फरवरी, सन् १९५९ ई० को यह समाचार छपा कि विधान सभा में इसकी चर्चा उठायी गयी। सरकार इस मामले की छानबीन में पड़ी। सुनने में आ रहा है कि खतौनी स्याहा आदि पूरा बस्ता गायब हो रहा है। जब यह सवाल फरवरी में उठा तो अब

[श्री राजनारायण]

सवाल दीगर और जवाब दीगर। इसमें माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहिये था कि यह विश्वनाथ पांडे की जमीन थी या नहीं थी और उन्होंने राजा साहब बढ़हल से उसको लिया था। उस जमीन में से जो रद्दी जमीन ८५ एकड़ थी उस को ६८ हजार में सरकार को बेंच दिया [×] क्योंकि कोई कलेक्टर हो या रेवेन्यू आफीसर हो यह सभी जानते हैं कि सीरदार को जमीन बेचने का हक़ नहीं है। फिर यह जमीन कैसे बिकी इसका कोई उत्तर सरकार की ओर से नहीं दिया गया। कहा गया कि राजनारायण जी के भतीजे पर मुकदमा चल रहा है। न जानें किस भतीजे पर मुकदमा चल रहा है। सारे समाज के आदमी ही श्री राजनारायण के भतीजे हैं! मेरा किसी भी भतीजे, भाई, लड़का से उतना ही संबंध है जितना संबंध किसी भी साथी, मित्र या किसी भी मंत्री या मेम्बर से हो सकता है। इसके साथ ही साथ यह और कहना चाहता हूं कि उस दिन मिनिस्टर साहब माननीय कमलापति जी ने कहा था कि वे मुकदमा चलायगे। हो सकता है कोई मुकदमा चलवा दिया हो। सारी जनता है, चलायें। राजनारायण पर चलायें तो हम देख लेंगे। अभी भी वे जवाब में लीपापोती कर रहे हैं। [× × ×]

श्री कालीचरण अग्रवाल—मैं केवल एक उत्तर देना चाहता हूं। कहा गया कि जमीन इसलिये ली गयी कि वे कमलापति जी के समधी थे। इसका उत्तर यह है, क्षमा मुझे करें आदरणीय सदस्य, कि यह सवाल इसलिये पूछा गया [× × ×] ...

श्री गौरीशंकर राय—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या कोई मन्त्री यह कह सकते हैं कि किसी मेम्बर ने किस दुश्मनी की वजह से कोई प्रश्न किया है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस तरह का जिक्र न करें। वे दोनों भाग दोनों तरफ से हटा दिये जायेंगे जो व्यक्तिगत आक्षेप हैं।

श्री कालीचरण अग्रवाल—श्रीमन्, मेरी निश्चित सूचना है कि श्री पांडेय जी जिनक लिये कहा गया है कि वे एक मंत्री महोदय के समधी हैं, न तो उनके यहां कोई लड़का ब्याहा ह, न लड़की कोई ब्याही है, इसलिये यह बात नितान्त गलत है और इस आरोप में किसी प्रकार की सत्यता नहीं है और न गम्भीरता।

श्री अध्यक्ष—अब समय हो गया। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
७ सितम्बर, १९५९।

[× × ×] उक्त भाग माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिये गये क्योंकि उनमें वैयक्तिक हमला था।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

उन नगरपालिकाओं की सूची जिनसे पेंशन स्कीम के उनके यहां लागू होने के संबंध में सम्मति प्राप्त हुई है ।

पक्ष में	विपक्ष में
१—आगरा	१—अतरौली
२—इलाहाबाद	२—औरैया
३—कैराना	३—अमरोहा
४—शामली	४—सहसवां
५—नगीना	५—बिल्सी
६—गोंडा	
७—खुर्जा	
८—अनूपशहर	
९—मनपुरी	
१०—मुरादाबाद	
११—बलरामपुर	
१२—बदायूं	
१३—उझानी	
१४—शिकोहाबाद	

रायबरेली, सम्भल, हसनपुर नगरपालिकायें स्कीम के पक्ष में हैं पर आर्थिक दशा ठीक न होने से इसे लागू नहीं कर सकतीं ।

अल्मोड़ा और चन्दौसी नगरपालिकाओं ने कहा है कि इस स्कीम को लाग करन क लिय तैयार हैं यदि उन्हें अधिक अतिरिक्त व्यय-भार वहन न करना पड़े ।

नगरपालिका तिलहर ने स्पष्ट मत नहीं दिया है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५४ पर)

तालिका 'अ'

उत्तर प्रदेश में सरकारी पशुधन तथा पशुधन से उत्पादित वस्तुओं के विक्रय केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर हैं:--

१--राजकीय यंत्र सज्जित क्षेत्र, भरारी, जिला झांसी।
२-- ,, ,, ,, सैदपुर, जिला झांसी।
३-- ,, ,, ,, आराजीलाइन्स, जिला बनारस।
४-- ,, ,, ,, नीलगांव, जिला सीतापुर
५-- ,, ,, ,, बाबूगढ़, जिला मेरठ।
६-- ,, ,, ,, माधुरीकुन्ड जिला मथुरा।
७-- ,, ,, ,, हस्तिनापुर, जिला मेरठ।
८-- ,, ,, ,, मंझरा, जिला लखीमपुर।
९-- ,, ,, ,, हेमपुर, जिला नैनीताल।
१०--तराई राजकीय दुग्धशाला, नंगला, जिला नैनीताल।
११--जिला दुग्धशाला प्रदर्शन क्षेत्र, मथुरा।
१२--सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़।
१३--सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ की शाखायें जो लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, नैनीताल, रांची तथा दिल्ली में स्थित हैं।
१४--राजकीय गोसदन मलगवां, जिला इटावा।
१५-- ,, ,, गरजिया सोत, जिला नैनीताल।
१६-- ,, ,, बिछिया, जिला बहराइच।
१७-- ,, ,, रानीपुर जिला बांदा।
१८-- ,, ,, बरबर, जिला लखीमपुर खीरी।
१९--चर्म विकास तथा शव उपयोगिता केन्द्र, बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ।
२०--सरकारी भेड़ फार्म ओरई, जिला जालौन।
२१-- ,, ,, पीपलकोटी, जिला गढ़वाल।
२२-- ,, ,, डुन्डा हरसिल, जिला टेहरी।
२३--सरकारी कुक्कुट फार्म, गोंडा, आजमगढ़, मुरादाबाद, फैजाबाद, कालसी (देहरादून), चक गंजरिया (लखनऊ), मथुरा तथा नगला (नैनीताल)।
२४--कुक्कुट विकास केन्द्र, कल्यानपुर (कानपुर)।
२५-- ,, ,, ,, चैल, (इलाहाबाद)।
२६-- ,, ,, ,, मसौली (बाराबंकी)।
२७-- ,, ,, ,, कांट (शाहजहांपुर)।
२८-- ,, ,, ,, भोजीपुरा (बरेली)।
२९-- ,, ,, ,, बिजपुरी (आगरा)।
३०-- ,, ,, ,, रावर्ट्सगंज (मिर्जापुर)।
३१-- ,, ,, ,, वाराणसी।
३२-- ,, ,, ,, एग्रीकल्चर फार्म, गोरखपुर।
३३-- ,, ,, ,, शाहाबाद (हरदोई)।
३४-- ,, ,, ,, आसफपुर (बदायूं)।
३५-- ,, ,, ,, सफीपुर (उन्नाव)।
३६-- ,, ,, ,, माद्दरा (मेरठ)।
३७-- ,, ,, ,, रायपुर मनिहारन (सहारनपुर)।

३८— ,, ,, ,, कैसर गंज (बहराइच)।
३९— ,, ,, ,, अफजलगढ़ (बिजनौर)।
४०— ,, ,, ,, सदनगर (रामपुर)।
४१— ,, ,, ,, हवालबाग (अल्मोड़ा)।
४२— ,, ,, ,, रीजनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, (गाजीपुर)।
४३— ,, ,, ,, मोहसिन बाग (मैनपुरी)।
४४—केन्द्रीय भेंड पालन तथा ऊन विकास अनुसन्धान क्षेत्र, पशु लोक, ऋषिकश दहरादून।
४५—पशु प्रजनन तथा दुग्धशाला क्षेत्र, कालपी, (देहरादून)।
४६—भेड़ प्रजनन क्षेत्र, करसी (अल्मोड़ा)।
४७— ,, ,, बरहापट्टा (अल्मोड़ा)।
४८— ,, ,, पांगु (अल्मोड़ा)।
४९— ,, ,, श्रीवरी (देहरादून)।
५०— ,, ,, मत्थुसेन कालाकन्था (गढ़वाल)।
५१— ,, ,, कोपरधार (टेहरी)।
५२—मेढ़ा केन्द्र, गोगिना (अल्मोड़ा)।
५३— ,, ,, लीटी (अल्मोड़ा)।
५४— ,, ,, भंडोली (गढ़वाल)।
५५— ,, ,, अखौरी (टेहरी)।
५६— ,, ,, चोरपनी (देहरादून)।
५७— ,, ,, मनोरा (गढ़वाल)।
५८— ,, ,, मचवा (देहरादून)।
५९— ,, ,, पूना पोखरी, (देहरादून)।
६०— ,, ,, सामकोट (अल्मोड़ा)।
६१— ,, ,, थलकुन्डा (टेहरी)।
६२—कुक्कुट प्रदर्शन केन्द्र, मंसूरी (देहरादून)।
६३— ,, ,, ,, चकराता (देहरादून)।
६४—कुक्कुट विकास केन्द्र, कायमगंज, (फर्रुखाबाद)।
६५—कुक्कुट प्रदर्शन केन्द्र, रानीखेत (अल्मोड़ा)।
६६— ,, ,, ,, चम्पावत (अल्मोड़ा)।
६७— ,, ,, ,, पीपलकोटी (गढ़वाल)
६८— ,, ,, ,, ग्वालदम (गढ़वाल)।
६९— ,, ,, ,, पौरी (गढ़वाल)।
७०— ,, ,, ,, कोटडवारा (गढ़वाल)।
७१— ,, ,, ,, टेहरी (टेहरी-गढ़वाल)।
७२— ,, ,, ,, पशुलोक (देहरादून)।
७३—अंगोरा बकरी प्रजनन केन्द्र, ग्वालदम (गढ़वाल)।
७४—राजकीय पशुधन क्षेत्र, चक गंजरिया, लखनऊ।

तालिका 'ब'

उत्तर प्रदेश में सरकारी पशुधन तथा पशुधन से उत्पादित वस्तुओं के क्रय केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

१—भुल्लनगढ़ी, जिला अलीगढ़ ।
२—बमौती, जिला आगरा ।
३—ताजगंज, जिला आगरा ।
४—सुल्तानपुर, जिला आगरा ।
५—खेरीगढ़, जिला आगरा ।
६—मेरठ ।
७—मुजफ्फरनगर ।
८—एटा ।
९—मनपुरी ।

———

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर।)

एडहाक कोटों की तालिका

३०५० टन का प्रथम एडहाक कोटे का एलाटमेंट

नगर					कोटा (टनों में)
१—लखनऊ	..	..	..	..	२००
२—कानपुर	..	..	..	..	१,०००
३—आगरा	..	..	..	..	४००
४—इलाहाबाद	..	..	..	..	४५०
५—वाराणसी	..	..	..	..	४००
६—बरेली	..	..	..	..	२००
७—मेरठ	..	..	..	..	२००
८—सहारनपुर	..	..	..	..	२००
			योग	..	३,०५०

५,००० टन का द्वितीय एडहाक कोटे का एलाटमेंट

१—लखनऊ	..	..	..	..	६००
२—कानपुर	..	..	..	..	६००
३—इलाहाबाद	..	..	..	..	४५०
४—वाराणसी	..	..	..	..	४५०
५—मेरठ	..	..	..	..	२६०
६—सहारनपुर	..	..	..	..	२००
७—बरेली	..	..	..	..	२५०
८—आगरा	..	..	..	..	४५०
९—रामपुर	..	..	..	..	१७०
१०—शाहजहांपुर	..	..	..	..	१००
११—मुरादाबाद	..	..	..	..	२००
१२—अलीगढ़	..	..	..	..	२००
१३—मथुरा	..	..	..	..	१५०
१४—मिर्जापुर	..	..	..	..	१२०
१५—गोरखपुर	..	..	..	..	१५०
१६—देहरादून	..	..	..	..	२००
१७—झांसी	..	..	..	..	१५०
					५,०००

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६३ एल० ए०—१९५९—८४५।